सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

तृत्तीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली –110001

Phone : +91 11 23353503 • +91 11 23753923

www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2014–15 में, केविविआ ने भारत में विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

आयोग ग्रिड के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व के भाग के रूप में ग्रिड निरंतरता बैंड प्रचालन को कड़ा करते हुए और विचलन व्यवस्थापन प्रभारों के माध्यम सहित महत्वपूर्ण पहल करता रहा है। वर्ष के दौरान ग्रिड अननुशासन के मामलों की सुनवाई करते हुए आयोग ने ग्रिड संहिता के उल्लंघन की ओर जाने वाले मामलों पर कड़ाई से कार्य किया और एसएलडीसी के प्रमुखों एवं राज्यों के एसटीयू को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

आयोग का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व विद्युत बाजार को उन्नत बनाना है। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहण में आयोग विभिन्न विनियामक हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार का विकास करता है और इसी के साथ साथ निगरानी के रूप में भी कार्य करता है और प्रतिस्पर्धा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है।

निर्बाध पहुँच की मनाही के दृष्टांत आयोग के नोटिस में लाए गए और आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रयोग के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली को गैर भेदभाव निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के लिए समुचित निर्देश जारी किए।

आयोग नियमित अंतरालों पर अल्पकालिक विद्युत बाजार में विकास की मॉनिटरिंग करता रहा है। आयोग ने पावर एक्सचेंजों के बोर्ड में निदेशक के रूप में अर्हकताओं और अनर्हकताओं को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियमों को अधिसूचित किया।

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम दिन रात अंतःदिवस/आकस्मिक बाजार के प्रचालन के लिए पावर एक्सचेंजों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना था। इस तथ्य पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आयोग वितरण कंपनियों द्वारा ऊर्जा अपेक्षा की पूर्ति के लिए अननुसूचित अंतःपरिवर्तन पर निर्भरता को हतोत्साहित करता रहा है। आयोग ने सहायक सेवाओं को आरंभ करने पर लोक परामर्श की प्रक्रिया भी आरंभ की है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य भार उत्पादन संतुलन का बेहतर संचालन और बड़े पैमाने पर समन्वित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बेहतर संचालन रहा है।

आयोग नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सदैव सक्रिय रहा है। इसके लिए आयोग ने अंतरराज्यिक स्तर पर पवन और सौर पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, असंतुलन संचालन के लिए फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श आरंभ किया। आयोग ने आरईसी फ्रेमवर्क के सुदृढ़ीकरण के निर्णय लिए और कई मुद्दों के समाधान किए। इस संदर्भ में आयोग ने वितरण कंपनियों को आरपीओ स्तर से आगे आरईसी के क्रय के लिए पात्र बनाया। सौर आरईसी कीमतों को तर्कसंगत बनाया जाए और आरईसी की मल्टिप्लायर की अवधारणा को पुरानी सौर आरईसी आधारित परियोजनाओं के लिए आरंभ किया गया।

विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधनों का प्रस्ताव किया जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वितरण क्षेत्र में अंतर्वस्तु एवं पृथक्करण, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए उपाए, टैरिफ की तर्कसंगतता, ग्रिड सुरक्षा के लिए उपाए आदि शामिल है। आयोग ने अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में कई पहलुओं पर विचार किया।

आयोग ने अपने संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए विनियामक फोरम(एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम(एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) के कार्यकलापों को प्रोत्साहित

किया। आयोग विनियामक फोरम(एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम(एफओआईआर) और दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम फोरम (साफिर) को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है।

विनियामक फोरम (एफओआर) अध्यक्ष, केविविआ की अध्यक्षता के अधीन विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक निकाय है। एसईआरसी / जेईआरसी के अध्यक्ष एफओआर के सदस्य हैं। फोरम की वर्ष के दौरान 7 बैठकें हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतैक्य विकसित किया। फोरम ने कई अध्ययन जैसे "क्रास सब्सिडी में कमी के लिए रोड़ मैप" "24 x 7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने पर अध्ययन" तथा "ग्रामीण तथा कृषि उपभोक्ताओं के फीडर पृथक्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने के लिए फ्रेमवर्क और प्रभावी मीटरिंग पर उपायों का सुझाव देना" जैस अध्ययन किए गए।

आयोग अपने उत्तरदायित्व के निर्वहण में सभी स्टेकहोल्डरों से उनके सतत सहयोग की कामना करता है।

गिरीश भा. प्रधान

विषय सूची

1.	आयोग	11
2.	मिशन विवरण	15
3.	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	19
4.	पूर्व वर्ष : एक अवलोकन	27
5.	उपभोक्ता के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष	33
6.	विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां	37
7.	वर्ष 2014–15 के दौरान गतिविधियां	41
8.	2014–15 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं	85
9.	2015–16 के लिए कार्यसूची	89
10.	लेखों की वार्षिक विवरणी	93
11.	आयोग का मानव संसाधन	97
अनुबंध		101

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल/एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डिस्काम	वितरण कंपनी
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां

जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एसपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निमार्ण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर–राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
निपको	उत्तर–पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईआर	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति

ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आईएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसकृत लिक्वीफाईट प्राकृत गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजीवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच

एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की ट्रेफिक अधिकरण
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार

1
आयोग

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफो को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।"

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण

अभिवृद्धि की है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन केवल टैरिफ नियतन की शक्तियां ही केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में निहित थी। विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, अर्थात्, अंतरराज्यिक पारेषण, अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप लाइसेंस में संशोधन करने, उसे निलंबित करने और निरस्त करने की शक्तियां, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि।

अधिदेश

जैसाकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :–

(क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(ग) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(घ) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(ञ) विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं। केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;
(ii) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;
(iii) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन; और
(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2
मिशन विवरण

2. मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह दने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य :–

क भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।

ख एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

ग अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।

घ अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

ड विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

च सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।

छ थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।

ज प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

क सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।

ख पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।

ग एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।

घ यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।

ड विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।

च विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री गिरीश भा. प्रधान
अध्यक्ष
(22 अक्तूबर 2013 से पदासीन हैं)

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर दोनों के 37 वर्षों से अधिक सिविल सेवा कैरियर का अनुभव रखने वाले श्री गिरीश भा. प्रधान का जन्म 20 दिसम्बर 1952 को मुंबई में हुआ। इन्होंने सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर, राजस्थान (1969) से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की तथा सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास (आनर्स) में (1970–73) में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इन्होंने वर्ष (1973–75) में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री (इतिहास) में प्राप्त की, स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कार्लेटन विश्वविद्यालय, ओटावा, कनाडा से लोक प्रशासन स्नातकोत्तर (एमपीए 1984–85) की डिग्री प्राप्त की एवं नेशनल डिफेंस कालेज (एनडीसी 1992) से स्ट्रेटेजिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा, श्री प्रधान ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेवा कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेज्युट स्तर पर इतिहास पढ़ाया एवं स्टेट बैंक ग्रुप में प्राबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में महाराष्ट्र का कैडर आवंटित किया गया एवं इन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर महाराष्ट्र राज्य में कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, नागपुर एवं पुणे जैसे विभिन्न जिलों में विनियामक एवं विकासात्मक कार्यों को संचालित किया।

वे वर्ष 1980–81 में सिंधु दुर्ग के नए जिले से निकटता से संबद्ध रहें। बाद में, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य एवं सचिव के रूप में कार्य किया। श्री प्रधान पुणे के नगरपालिका आयुक्त एवं मुंबई के अपर नगरपालिका आयुक्त रहे। यशवंत राव चव्हाण ऐकेडमी आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक के रूप में वे उस संस्था को देश का उच्च सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान बनाने में अग्रणी रहे। स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा सुधारों के लिए उनके पास मोनोग्राफ है।

श्री प्रधान ने राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, गृह कार्य एवं विद्युत मंत्रालय में कार्य किया है। इन्होंने वर्ष 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में निदेशक तथा राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव दोनों के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2003 तक लोक सभा के स्पीकर के सचिव के रूप में कार्य किया।

श्री प्रधान ने नवम्बर 2003 में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया जहां उन्होंने योजना, समन्वयन, ऊर्जा कुशलता, पारेषण एवं ओएम सहित विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे जनवरी, 2008 में अपर सचिव के रूप में पदोन्नत हुए और पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. से संबंधित मामलों एवं उनकी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओ, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, प्रचालन एवं मानिटरिंग, समन्वयन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन एवं विद्युत मंत्रालय के सूचना तकनीक प्रभाग से

संबंधित मामलों को शामिल करते हुए नीति एवं योजना, पारेषण में कार्य किया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री प्रधान 1 फरवरी, 2011 से विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए और अक्तूबर, 2011 में उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया।

उक्त के अलावा, श्री प्रधान ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित विवेच्य रिपोर्टो के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका राज्य तथा केन्द्रीय स्तर दोनों पर विद्युत क्षेत्र में (12 वर्षों) का एक दीर्घकालीन अनुभव रहा है। वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत एक मिशन जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन नामक मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रहे जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा में विश्व लीडर के रूप में भारत को स्थापित करना रहा है।

श्री एम. दीनदयालन
सदस्य
(4 मार्च 2010 – 21 फरवरी, 2015)

श्री एम. दीन दयालन (जन्म तिथि 22 फरवरी, 1950) के पास भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने का 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री दयालन ने अपने जीवन की शुरूआत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु (1972) में रसायन विज्ञान के व्याख्याता के रूप में की और फिर इंडियन बैंक, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, में पदभार ग्रहण किया जहां इन्होंने विभिन्न पदों पर लगभग 6 वर्ष तक सेवा की। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार में प्रवेश किया और 1978 में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में शामिल हो गए। श्री दयालन ने राज्यों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा एवं लेखा देखरेख के मध्यम व वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया।

विशेष रूप से श्री दयालन ने हरियाणा और केरल में महालेखाकार के पद पर सेवा की है। इन्होंने दूरसंचार विभाग में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्य किया है और इसे बीएसएनएल के रूप में निगम बनाए जाने के दौरान कार्य किया है। इन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, प्रशासन तथा राज्य राजस्व विभाग की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रभारी निर्देशक के पद पर सेवा की है।

श्री दयालन वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार रहे हैं, जिसमें सभी विभाग, अर्थात् राजस्व, व्यय, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा एवं विनिवेश विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा, राज्य सभा तथा उच्चतम न्यायलय सहित विधि विभाग शामिल हैं। वे 1994 से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद और 2006 से अपर सचिव के पद पर आसीन रहे हैं।

श्री दयालन ने सिंडीकेट बैंक में सरकार के नामित निदेशक, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के बोर्ड के अंशकालिक सदस्य तथा भारतीय सुरक्षा मुद्रण एवं टकसाल निगम में सरकार के नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री दयालन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं।

श्री दयालन रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा लीड्स विश्वविद्यालय, यूके से कारपोरेट वित्त में एमबीए की उपाधि से सम्मानित हैं।

श्री दयालन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा हनोई वियतनाम स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की लेखापरीक्षा में विविध एवं व्यापक अनुभव है।

श्री दयालन सरकारी सेवा से 28 फरवरी, 2010 को सेवानिवृत्त हुए।

श्री ए. के. सिंघल
सदस्य
(9 अक्तूबर 2013 – कार्यरत)

व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री ए.के.सिंघल का उत्कृष्ट कैरियर रहा है जिसमें सिद्धान्तों के अनुपालन की विशिष्टता विद्यमान रही है। उनका निगमित वित्त प्रबंधन में 37 वर्षो से अधिक का समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव हैं। उन्होंने 8 वर्षों से अधिक एनटीपीसी लि. (महारत्न कंपनी) के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया।

एनटीपीसी में, श्री सिंघल ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लेकर बोर्ड को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और कंपनी की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान की। वे संगठन के वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार थे जिसमें स्वदेशी एवं विश्व स्रोतों से वित्तीय संसाधन संग्रहण करना, निधियों का अनुकूलतम उपयोग करना, बजट नियंत्रण एवं निवेश निर्णय शामिल है। एनटीपीसी में 12 वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी के लिए उन्होंने इक्विटी के आईपीओ, एफपीओ एवं ओएफएस जैसे बड़े महत्वपूर्ण संव्यवहार किए, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अत्यधिक बड़ी दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं लीं एवं यूएसडी 2 बिलियन मध्यकालिक नोट कार्यक्रम की स्थापना की एवं उसके अंतर्गत नोट्स जारी किए। सीएफओ के रूप में उन्होने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना की और बेहतर निगमित सुशासन प्रणालियों का अनुपालन किया।

उन्होंने विलयन एवं अधिग्रहणों को शामिल करने वाले निर्णयों में सक्रिय भूमिका अदा की जिसमें उत्पादन, पारेषण, कोयला खनन जैसे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की गहन जानकारी एवं इसके प्रचालन तथा परिरक्षण के लिए अवधारण, निर्माण से नवीकरणों को ध्यान मे रखते हुए कारोबार का बेकवर्ड एवं फारवर्ड समाकलन शामिल है। उन्होंने निवेशकारी समुदाय तथा कपंनी के प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनुभव प्राप्ति के लिए निर्माणाधीन यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान संबद्ध शासकीय कार्यों के लिए कई देशों का दौरा भी किया।

श्रेष्ठता एवं सुदृढ कार्य नैतिकता के लिए श्री सिघंल स्थायी कारबार की सफलता के लिए केवल सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं विनम्रता को महत्वपूर्ण मानते है। उनके निर्देशन एवं नेतृत्व में एनटीपीसी ने वित्तीय रिपोर्टिग एवं निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। श्री सिंघल को विभिन्न फोरमों में सर्वोत्तम सीएफओ के रूप में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें आईसीएआई (दो बार) आईएमए (लाईफटाइम एचीवमेंट अवार्ड), सीएनबीसी टीवी 18, एएसबीए टॉप रेंकर शामिल है और वे 9 डाट 9 मीडिया सीएफओ संस्थान द्वारा देश के सर्वोच्च 100 सीएफओ में तीन बार श्रेष्ठ रैंक पर भी रहे।

श्री सिंघल निगमित सामाजिक प्रतिबद्धता (सीएसआर) के लिए विभिन्न प्रकार की पहल के लिए प्रेरक बने रहे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक सीएसआर पहल का लक्ष्य निम्नतम स्तर के लोगों के जीवन में सुधार लाना है और उन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने कार्य किए ताकि उनको अंत तक उसका लाभ मिल सके। एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री सिंघल ने ईपीआई, क्रिबको एवं एनएफएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री सिंघल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने विद्युत क्षेत्र विनियामक के रूप में उच्चतर उत्तरदायित्वों को ग्रहण करते हुए, 9 अक्तूबर 2013 को आयोग में पदभार ग्रहण किया।

श्री ए. एस. बख्शी
सदस्य
(5 अगस्त 2014 – कार्यरत)

श्री ए.एस.बख्शी, मैकेनिकल इंजिनियर व एमबीए का विद्युत क्षेत्र में 39 वर्षों से अधिक का कुल अनुभव रहा है। श्री बख्शी ने वर्ष 1974 में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (नई दिल्ली) में अपना कैरियर आरंभ किया जबकि प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन था। उन्होंने वर्ष 1974 की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) का कार्य सौंपा गया। उन्होंने वर्ष 1975 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में कार्यभार ग्रहण किया और दोबारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में तैनात किए गए।

वर्ष 1979 में श्री बख्शी को भारत सरकार द्वारा विदेश कार्य पर जल एवं विद्युत विभाग, आबूधाबी सरकार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्री बख्शी ने अपने परिरक्षण विभाग में उम अल नार(पश्चिम) विद्युत संयंत्र में कार्य किया। इस संयंत्र में 6 आयल फायर्ड विद्युत उत्पादनकारी यूनिट और 6 डिसेलीनेशन संयंत्र हैं। वर्ष 1984 में आबूधाबी से प्रत्यावर्तन पर श्री बख्शी ने अपने मूल विभाग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया जहां उन्होंने विद्युत संयंत्रों तथा थर्मल संयंत्रों की ऊर्जा आडिट के आरएंडएम में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्ष 2002 में उन्हें सीईए का निदेशक (प्रशासन) बनाया गया और वर्ष 2004 में उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और योजना विंग में तैनात किया गया – मुख्य इंजीनियर के रूप में वे समग्र रूप से देश के लिए उत्पादनकारी योजना के लिए उत्तरदायी थे। वे वर्ष 2007 और वर्ष 2011 में राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं को सामने लाने में प्रेरक रहे। वे 12वीं योजना के लिए विद्युत में कार्यकारी समूह के सदस्य सचिव भी थे जब वे सदस्य (योजना), सीईए थे। वे सदस्य (हाइड्रो) और सदस्य (जीएंडओडी), सीईए भी रहे।

वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहे और जुलाई 2011 में भारत सरकार के पदेन सचिव भी रहे। वे उत्पादनकारी योजना, पारेषण योजना और समग्र रूप से देश के लिए भार पूर्वानुमान के लिए भी उत्तरदायी रहे। उन्होंने हाइड्रो परियोजनाओं को सहमति प्रदान करने के लिए समिति की अध्यक्षता की। वे इस अवधि के दौरान अध्यक्ष, सीबीआईपी और अध्यक्ष ईईसी भी रहे। श्री बख्शी 2011 से 2013 की अवधि के दौरान कई समितियों के सदस्य या अध्यक्ष रहे।

कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को सीईए के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया गया जिसमें 17वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, अतिविवेचनीय यूनिटों के लिए मानव विनिर्देशन, 2011–12 की सामान्य समीक्षा, कार्बनडाईआक्साइड बेस लाइन डाटा विद्युत क्षेत्र से सीटीसी की समाप्ति, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इनपुट इत्यादि शामिल हैं।

श्री बख्शी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में 5 अगस्त 2014 को कार्यभार ग्रहण किया।

4

पूर्व वर्ष – एक अवलोकन

4. पूर्व वर्ष – एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और बाध्यता इकाइयों की उपलब्धता के बीच असमानता का पता लगाने के लिए वर्ष 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र विकसित किया ताकि उनकी नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं की पूर्ति की जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देना और उनकी लागतों की वसूली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए वैकल्पिक तरीका उपलब्ध करना है। आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने तथा मुद्दों को तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे संदिग्धताओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता एवं जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम 2014 अधिसूचित किया है।

आयोग ने अनुमोदित किया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए केन्द्रीय एंजेसियों के साथ पंजीकरण के लिए लागू करने के पात्र होंगे यदि इसने नवीकरणीय क्रय बाध्यता की अधिकता में अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत अपनाए गए या धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की है जैसा कि अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना या टैरिफ नीति या उपयुक्त आयोग द्वारा, जो भी अधिक है, विनिर्दिष्ट किया जाता है। आयोग ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि इन विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1095 दिनों के लिए वैध होंगें

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम 2014 दिनांक 6.01.2014 को अधिसूचित किया गया और मूल विनियमों का शुद्धिपत्र 17.02.2014 को अधिसूचित किया गया। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले)(प्रथम संशोधन) विनियम 2014 को अधिसूचित करते हुए यह स्पष्ट किया कि समयब्लॉक के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत के अधिक निकासी/कम निकासी अनुसूचित निकासी या 150 मेगावाट, जो भी कम है, की 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.70 एचजेड और अधिक तथा 50.10 एचजैड से कम' है बशर्ते कि किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.70 एचजैड से कम' है और किसी क्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '50.10 एचजैड और अधिक' है।

आयोग ने स्टार्टअप विद्युत अर्थात विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अंतर्गत आईएसटीएस से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व परीक्षण और पूर्ण भार परीक्षण सहित गतिविधियों को आरंभ करने के लिए सहायक उपकरण के लिए अपेक्षित विद्युत प्राप्ति के लिए आगामी उत्पादकों की आवश्यकता का पता लगाया। तदनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के चतुर्थ संशोधन को अधिसूचित किया। ग्रिड से स्टार्टअप पावर प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उत्पादक से आवेदन करते हुए संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। स्टार्टअप पावर की निकासी की प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन की तारीख के बाद 6 महीने के लिए

और प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन की प्रत्याशित तारीख से पूर्व 15 महीनों की अधिकतम अवधि के लिए अनुमति दी गई है। संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अनुमति देते समय और भुगतान में चूक की स्थिति में इस प्रकार की निकासी को रोकते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया गया है या यह स्थापित हो जाता है कि स्टार्टअप निर्माण गतिविधि के लिए प्रयुक्त किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम 2010 को 21.01.2010 को अधिसूचित किया गया। बोर्ड के गठन एवं बोर्ड में शेयरहोल्डरों के प्रतिनिधित्व सहित पावर एक्सचेंज के स्वामित्व और अधिशासन के लिए प्रदत्त पावर मार्केट विनियम के विनियम 22 में व्यवस्था की गई है। तथापि, यह विनिमय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकता और अनर्हकता के बारे में मौन थे। पावर एक्सचेंज के पारदर्शी निगमित अधिशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) (प्रथम संशोधन) विनियम 2014 के माध्यम से आयोग ने विनिमय बोर्ड के लिए निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकता और अनर्हकता की व्यवस्था की गई है। संशोधन विनियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि पावर एक्सचेंज का कोई शेयर होल्डर किसी अनर्हकताओं से ग्रस्त है तो इस प्रकार को शेयरहोल्डर या उसका नामिती पावर एक्सचेंज के बोर्ड मे निदेशक के रूप में नियुक्त होने से हटा दिया जाएगा।

बाजार के विकास के अनुसरण में ग्रिड संबद्ध कंपनियों की व्यवस्था के उद्देश्य से आयोग ने एक्सचेंजों द्वारा अतःदिवस बाजारों या आगामी दिवस आकस्मिकता के लिए मौजूदा उत्पादों के प्रचालन को जारी करते समय रात दिन अंतः दिवस/ आकस्किमता बाजार के प्रचालन को आरंभ करने के लिए पावर एक्सचेंजों को निर्देश देते हुए आदेश जारी किए। आयोग ने इन उत्पादों के लिए समयसीमा भी विनिर्दिष्ट की ताकि व्यापार विंडो उक्त निर्णयों के अनुरूप अवधि के लिए खुली रह सके।

प्रकृति से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों अनिश्चित एंव परिवर्ती समझा गया है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए तथा ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के समेकन के लिए ग्रिड कोड में विशेष उपबंध किए गए हैं तथापि इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए कई कठिनाइयां अनुभव की गई हैं। इस प्रकार आयोग ने अनुभव किया है कि इंफर्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (पवन एवं सौर जैसे) के लिए अनुसूची से विचलनों को संचालन और पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण के लिए फ्रेमवर्क सृजित करने की आवश्यकता अनुभव की है जो इस प्रकार के उत्पादन की प्रकृति में परिवर्ती घटक हैं। तदनुसार 'अंतरराज्यिक स्तर पर पवन एवं सौर पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकारी केन्द्रों के लिए पूर्वानुमान अनुसूचीकरण और असंतुलन' पर फ्रेमवर्क तथा ड्राफ्ट संशोधन तैयार किए हैं और (I) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम (II) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम (III) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीरकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंध और शर्तें) विनियम में दिए गए उपबंधों को तैयार किया और स्टेक होल्डरों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हुए इसे सार्वजनिक रूप से रखा गया। अन्य बातों के साथ साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में यह शामिल है कि पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण को सौर एवं पवन प्रादेशिक कंपनियों के लिए किया जाना चाहिए ताकि पूर्वानुमान को उत्पादक और/या आरएलडीसी को उपलब्ध कराया जा सके। इसमें बेहतर/कमतर पूर्वानुमान एवं तदनुरूपी अनुसूचीकरण के लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन को भी प्रस्तावित किया गया है।

विद्युत बाजार के विकास के उन्नयन के लिए उपाय के रूप में "कुल (बंडलिंग) और गैर कुल (अंबडंलिंग) कान्ट्रेक्ट के लिए विद्युत व्यापारियों को अनुमति प्रदान करना और संव्यवहारों के लिए औसत व्यापार मार्जिन संगणित करना" के संबंधित स्टाफ पेपर तैयार किया गयां। इस स्टाफ पेपर में अनिवार्य रूप से विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उत्पादकों या विक्रेताओं से विद्युत के क्रय के मामले में व्यापार मार्जिन की संगणना के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया और एक कीमत पर सिंगल डिस्काम या क्रेता को बेचने या एक कीमत पर सिंगल उत्पादक से विद्युत का क्रय करने और इसे विभिन्न कीमतों पर बहुविध क्रेताओं को (डिस्काम औद्योगिक उपभोक्ता आदि) पर बेचना है। इस पेपर में डिस्कॉम, निर्बाध पहुंच के उन्नयन, उत्पादन प्रयोग में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि की बलैंडिग इत्यादि द्वारा भार प्रबंधन पर कुल एवं गैर कुल के प्रभाव पर विचार विमर्श किया गया है।

आयोग विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर), दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियमन फोरम (साफिर) को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। विनियामक फोरम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक निगमित निकाय है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष विनियामक फोरम के सदस्य हैं। फोरम ने वर्ष के दौरान 7 बैठकें आयोजित की। और कई विवेचनीय मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त की। फोरम ने "क्रास सब्सिडी में कमी के लिए रोडमैप" **"24 x 7** विद्युत आपूर्ति प्रदान करने से संबंधित अध्ययन" और ''ग्रामीण तथा कृषि उपभोक्ताओं के फीडर पृथक्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करना और प्रभावी मीटरिंग के उपायो का सुझाव देना" से संबंधित अध्ययन किए गए।

भारतीय विनियामक फोरम एक सोसायटी है जिसे विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, एयरपोर्ट, बड़े पोर्ट इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विनियामकों से प्रतिनिधित्व सहित वर्ष 1999 में निर्मित किया गया। यह विनियामक प्रक्रिया और पद्धतियों में उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है ताकि भारत में विनियामको से समक्ष आने वाली चुनौतियों को पूरा करने के लिए सामान्य रणनीतियां तैयार की जा सके और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। भारतीय विनियामक फोरम के सदस्यों में सभी राज्य विद्युत विनियामकों के अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग (सीसीआई) एवं वृहतपत्तनों टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी), भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज(एएससीआई) तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान(टीईआरआई) शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत आयोग द्वारा फायर को सचिवीय सेवाएं भी दी जाती हैं। वर्ष के दौरान गवर्निंग बॉडी की तीन बैठकें, वार्षिक जनरल बाडी तथा विशेष गवर्निंग बाडी प्रत्येक की एक बैठक आयोजित की गई।

साफिर दक्षिण एशिया देशों का आधार भूत संरचना विनियामकों का एक फोरम है जो 1999 से अस्तित्व में रहा है। साफिर के सचिवालय के रूप में सीईआरसी ने 27 से 29 जनवरी 2015 के दौरान बंगलादेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन संस्थान (बीआईएएम) ढाका, बंगालदेश में अवसंरचना विनियम एवं सुधारों पर कोर पाठ्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साफिर की आठवीं कार्यकारी समिति की बैठक 27 जनवरी 2015 को बंगलादेश में आयोजित की गई और साफिर की 21वीं स्थाई समिति की बैठक थिम्पू, भूटान में 25 से 27 मार्च 2015 के दौरान कार्यकारी समिति की नौंवी बैठक के साथ आयोजित की गई।

5

उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

5.उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

क. उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्त्ता शामिल है जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार है:

1. ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उन्नयन हरित सुरक्षा के लिए हरित ऊर्जा

क. परिवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के समेकन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित आरंभ किया गया था।

ख. वितरण कंपनियों को नवीकरणीय क्रय बाध्यता के आगे नवीकरणीय ऊर्जा के अवाप्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के लिए पात्र बनाया गया।

2. ऊर्जा की गुणवत्ता आपूर्ति सुनिश्चित करना

क. ग्रिड अनुशासन के लिए पूववर्ती वर्ष (वर्षों) में प्रयास आरंभ किए गए जिससे बेहतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी और सुरक्षित ग्रिड प्रचालन रहा।

ख. सभी स्टेक होल्डरों द्वारा ग्रिड फ्रीक्वेंसी मानदंडों का अनुपालन जिससे उपभोक्तओं के लिए विद्युत की बेहतर गुणवत्ता हुई।

3. निर्बाध पहुंच

क. अंतरराज्यिक पारेषण नेटवर्क के लिए गैर विभेदककारी पहुंच के अवरोध को कार्रवाई करके हटाकर निर्बाध पहुंच को सरल बनाना।

ख. 3000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पावर एक्सचैंज मे निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत का क्रय करने के लिए रिपोर्ट की।

ख. क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है :

1. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

क. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के शेल्फ जीवन का विस्तार

ख. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए वरीयता टैरिफ

ग. बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए संशोधित मानकीय पैरामीटर

2. ग्रिड अनुशासन

क. आयोग के लिए ग्रिड सुरक्षा चिंता का विषय है।

ख. फ्रीक्वैंसी बैंड का कडा करके ग्रिड परिचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास।

ग. ग्रिड अनुशासन के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई।

घ. इन सभी पहलुओं का उद्देश्य ग्रिड के परिचालन को सुनिश्चित करने को सरल बनाना है, जो कि सभी स्टेक होल्डरों, उत्पादकों, प्रदायकत्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हित में है।

3. अल्पकालिक बाजार विकास

क. पावर एक्सचेंजों में विस्तारित 24 x 7 बाजार सत्र के लिए सृजित विनियामक फ्रेमवर्क

ख. ग्रिड सुरक्षा के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र के रूप में सहायक सेवाओं के लिए प्रक्रिया आरंभ की और भार तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भिन्नता का संचालन;

6

विनियामक प्रक्रियाएँ एवं कार्यवाहियाँ

6.विनियामक प्रक्रियाएं एवं कार्यवाहियाँ

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:–

1. विनियमों को अधिसूचित करता है;
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:–
   - ✧ टैरिफ का अवधारणा करने
   - ✧ अनुज्ञप्ति जारी करने
   - ✧ पुनर्विलोकन और प्रकीर्ण याचिकाएँ

क विनियमों के लिए प्रक्रिया

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

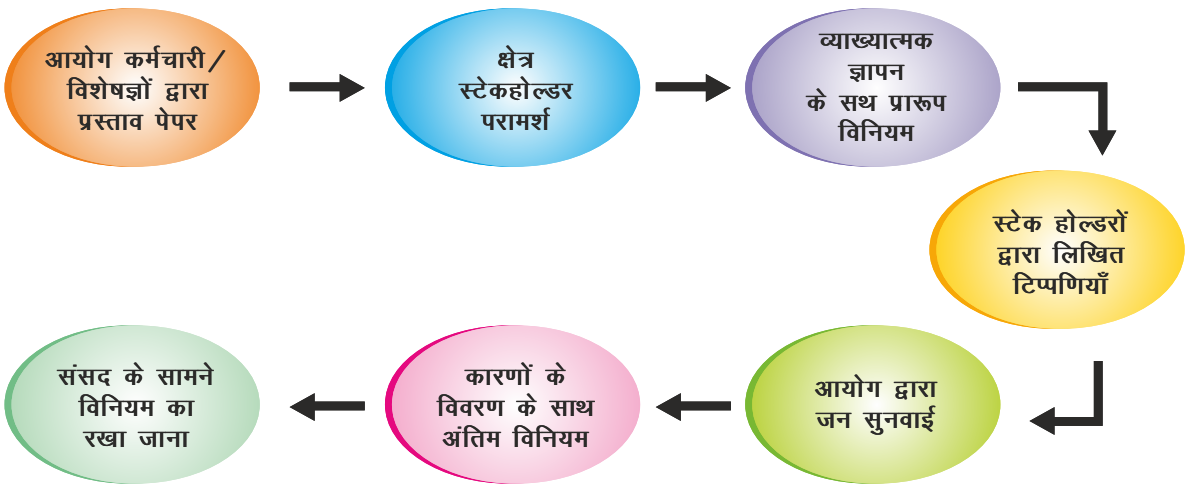

याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:–

1. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
2. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :

1. विविध याचिकाएं
2. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

ख टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात, आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 21 फरवरी 2014 की अधिसूचना द्वारा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जारी किए जो 1.4.2014 से प्रभावी हैं।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंरभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं।

टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

7

2014–15 के दौरान गतिविधियां

7. 2014-15 के दौरान गतिविधियां

7.1.कानूनी कार्यवाहियां :

वर्ष 2014–15 के दौरान 365 याचिकाओं को गतवर्ष अर्थात 2013–14 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा 1.4.2014 से 31.3.2015 के दौरान 652 याचिकाओं को दायर किया गया जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1017 हो गई। इनमें से 234 याचिकाएं वर्ष 2014–15 के दौरान निपटा दी गई। वर्ष 2014–15 के दौरान 38 अंतरिम आदेश एवं 477 आरओपी जारी किए गए। केविविआ के समक्ष दाखिल याचिकाओं की विस्तृत प्रास्थिति के ब्यौरे **अनुबंध I** में दी गए हैं।

7.2. वर्ष 2014–15 में जारी किए गए प्रमुख निर्णय/अधिसूचनाएं:

7.2.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 को 21.01.2010 को अधिसूचित किया गया। विद्युत बाजार विनियमों के विनियम 22 में बोर्ड के गठन और बोर्ड में शेयरहोल्डरों के प्रतिनिधित्व सहित पावर एक्सचेंज के स्वामित्व और अधिशासन की व्यवस्था है। तथापि, विनिमय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकता और अनअर्हकता के बारे में मौन है। पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित अधिशासन के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट)(प्रथम संशोधन) विनियम 2014 के माध्यम से आयोग ने विनिमय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनर्हकताओं के लिए व्यवस्था की है। संशोधन विनियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि पावर एक्सचेंज को काई शेयरहोल्डर किसी प्रकार की अनर्हकता से ग्रस्त है तो इस प्रकार के शेयर होल्डर या उसका नामित पावर एक्सचेंज के बोर्ड मे निदेशक के रूप में नियुक्ति से बाहर हो जाएगा।

7.2.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अधिसूचना संख्या एल 1/148/2014/सीईआरसी दिनांक 9.6.2014 के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया। विनियम की मुख्य विशेषता निम्नानुसार है:

1. विद्युत प्रणाली विकास निधि या पीएसडीएफ के सृजन का प्रावधान जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः–
   - क. संकुलता प्रभार लेखा में पड़े संकुलता प्रभार
   - ख. विभिन्न क्षेत्रों के बाजार कीमतों में अंतर से उदभूत संकुलता रकम
   - ग. दावों के अंतिम निपटान के बाद "प्रोदशिक विचलन पूर्व लेखा निधि में पड़ी विचलन व्यवस्थापन प्रभार
   - घ. ग्रिड कोड के अनुसार रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार लेखा में पड़ी आरएलडीसी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार
   - ङ. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 और उसके संशोधन के अनुसार एसटीओए अग्रिम द्विपक्षीय संव्यवहारों में नीलामी प्रक्रिया स उदभूत अतिरिक्त पारेषण प्रभार
   - च. इस प्रकार के अन्य प्रभार से जिसे समय समय केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

2. **पीएसडीएफ को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाएगाः**
   - क. अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) तथा अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली, जो कि आईएसटीएस के आकस्मिक हैं, में कंजेशन को दूर करने के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रचालनात्मक

फीडबैक के आधार पर कार्यनीतिक महत्व की पारेषण प्रणालियां।

ख. ग्रिड में सुधार वोल्टेज प्रोफाइल के लिए रिएक्टिव ऊर्जा अवशोषण तथा स्टैटिक वीएआर कंपेन्सेटर (एसवीसी) और स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेन्सेटर (स्टैटकॉम) जैसे बड़े रिएक्टिव समर्थन सहित शंट कैपिसिटरों, क्रमबद्ध कंपेंसेटरों तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की संस्थापना।

ग. विशेष सुरक्षा स्कीमों, पायलट और प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं, मानक सुरक्षा स्कीमों की संस्थापना तथा क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा लेखा परीक्षाओं में चिह्नित की गई त्रुटियों को ठीक करना।

घ. कंजेशन को दूर करने के लिए पारेषण प्रणाली का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम)

ङ. उपर्युक्त उद्देश्यों, जैसे कि तकनीकी अध्ययनों, क्षमता निर्माण, फेसर मापन यूनिट (पीएमयू) की संस्थापना आदि को अग्रसर करने में कोई अन्य स्कीम/परियोजना।

च. पीएसडीएफ का उपयोग उन क्षेत्रों, जो अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के प्रति आकस्मिक हैं और जिनका प्रभाव ग्रिड की सुरक्षा और संरक्षा पर पड़ा है, में वितरण यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा, बशर्ते कि ये परियोजनाएं भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम, जैसे कि पुनर्गठित–त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)/राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) आदि के अंतर्गत शामिल न हों।

3. योजनाओं के मानदंड पर प्राथमिकता के लिए उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं (i)ग्रिड सुरक्षा चिंता का पता लगाना (ii)राष्ट्रीय महत्व का होना (iii) राष्ट्रीय/बहुकंपनीय, क्षेत्रीय राज्य महत्व के क्रम में होना (iv) प्रकृति में अंतरराज्यिक होना।

7.2.3 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(अंतरराज्यिक प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करने और संबद्ध मामले) (चतुर्थ संशोधन) विनियम 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक प्रणाली में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, प्रदान करने और संबद्ध मामले) विनियम 2009 का चतुर्थ संशोधन आने वाले उत्पादकों के लिए किया गया है ताकि स्टार्टअप पावर अर्थात विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अंतर्गत आईएसटीएस से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व पूर्ण भार परीक्षण और परीक्षण सहित गतिविधियों को आरंभ करने के लिए सहायक उपकरण हेतु अपेक्षित विद्युत प्राप्त की जा सकती है।

ग्रिड से स्टार्टअप पावर प्राप्त करने के लिए प्रयोजन के लिए उत्पादक से आवेदन करते हुए संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा है। स्टार्टअप पावर के निकासी की प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन की प्रत्याशित तारीख से पूर्व अधिकतम 15 महीनों की अनुमति दी गई है और प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन की प्रत्याशित तारीख के बाद अधिकतम 6 महीनों की अनुमति दी गई है। चतुर्थ संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

(क) स्टार्टअप पावर की निकासी पारेषण प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगी और उत्पादक को स्टार्टअप पावर के निकासी के पूर्व दो माह पारेषण प्रभारों के समतुल्य अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए रिवाल्विंग और प्रति सहरणीय साखपत्र को खोलना होगा।

(ख) संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए और भुगतान में चूक की स्थिति में इस प्रकार के निकासी को बंद करने के लिए अनुमति प्रदान करते समय ग्रिड सुरक्षा की डयूटी निर्दिष्ट की गई है या यदि यह स्थापित हो जाता है कि स्टार्टअप को निर्माण गतिविधि के लिए प्रयुक्त किया गया है।

7.2.4 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(परामर्शदाताओं की नियुक्ति विनिमय 2008 के संशोधन के लिए अधिसूचना संख्या एल 7/1/ओएस 44(59) केविविआ दिनांक 30.09.02014 के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(परामर्शदाताओं की नियुक्ति) द्वित्तीय संशोधन विनियम 2014 को अधिसूचित किया है। मूल विनियम के निम्नलिखित संशोधन किए गए:

1. परामर्शदाताओं की नियुक्ति की लगातार अवधि अधिकतम चार वर्षों के लिए बढ़ा दी गई।
2. वयैक्तिक परामर्शदाताओं को संदेय पारिश्रमिक प्रदान किया गया।
3. स्टाफपरामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को उनकी मूल पात्रता मानदंड प्रतिदेय पारिश्रमिक इत्यादि सहित विनिर्दिष्ट किया गया।
4. सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त/सांविधिक निकायों से सेवानिवृत व्यक्तियों से परामर्शदाआतों की नई श्रेणी सृजित की गई। परामर्शदाताओं की श्रेणी के लिए प्रतिदेय पारिश्रमिक और पात्रता मानदंड भी सृजित किए गए।

7.2.5 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम 2014

आयोग ने 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र विकसित किया ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और बाध्यता कंपनियों की अपेक्षाओं के बीच असमानता का पता लगाया जा सके ताकि उनकी नवीरकणीय क्रय बाध्यताओं की पूर्ति की जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देना और उनकी लागतों की वसूली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों का वैकल्पिक रूप उपलब्ध करवाना था। आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को सुदृढ़ करने और उनका पता लगाने और उन संदिग्धताओं को दूर करने के लिए जो इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम 2014 को अधिसूचित किया।

आयोग ने व्यवस्था की कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे यदि इसने नवीकरणीय क्रय बाध्यता की अधिकता में अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत स्वीकार किए गए या धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ पर पूर्व वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा आवाप्त की है जैसा कि अन्य शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन उपयुक्त आयोग द्वारा या राष्ट्रीयकारी योजना में या जलवायु परिवर्तन में या टैरिफ नीति में, जो भी अधिक हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

आयोग ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1095 दिनों के लिए वैध होंगे बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जिनकी अवधि वितीय वर्ष 2014–15 में समाप्त हो गई है और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें)(तीसरा संशोधन) विनियम 2014 के प्रभाव की तारीख तक जारी किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण

पत्र जारी करने की तारीख से 1095 दिनों के लिए या 31 मार्च 2017 तक, जो भी बाद में हो, वैध होंगे।

7.2.6 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले)(प्रथम संशोधन) विनियम 2014 को 6.1.2014 को अधिसूचित किया गया और आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 को 18.12. 2014 को अधिसूचित किया।

यह निर्णय किया गया कि समय ब्लाक के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी/कम निकासी इसकी अनुसूचित निकासी के 12 प्रतिशत या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी जब ग्रिड फ्रीक्वेंसी "49.70 एचजैड से अधिक तथा 50.10 एचजैड से कम है" बशर्ते कि किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी " "49.70 एचजैड से कम है" और किसी क्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.10 एचजैड और अधिक" है।

यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि समयब्लाक के दौरान विक्रेता द्वारा विद्युत की कम अंतःक्षेपण/अधिक अंतःक्षेपण इस प्रकार के विक्रेता की अनुसूचित अंतःक्षेपण के 12 प्रतिशत से अधिक या 150 मेगावाट, जो भी कम है, नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी "49.70 एचजैड और अधिक तथा 50.10 एचजैड से कम" है। बशर्ते कि (1) क्रेता द्वारा विद्युत के कम अंतःक्षेपण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी"49.70 एचजैड से कम" है और विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई अधिक अंतःक्षेपण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी "50.10 एचजैड और अधिक" है। (2)परीक्षण और आरंभ की गई गतिविधियों के दौरान यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत के किसी इन्फर्म अंतःक्षेपण की 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए या संयोजकता विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमत्त बढ़ाए गए समय के लिए उक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट होगी। (3) स्टार्टअप गतिविधियों के लिए यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत की किसी निकासी की उक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी "49.70 और अधिक" है।

7.2.7 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम 2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन)विनियम 2014 के माध्यम से आयोग ने विनिर्दिष्ट किया है कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग 31.3.2017 तक वार्षिक आधार पर क्लॉरिफिक मूल्य के आधार पर 15 प्रतिशत की सीमा तक होगा। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि मूल विनियम में शामिल उपबंधों के प्रयोग के लिए पात्रता मानदंड में रैंकिन साईकिल तकनीक पर आधारित बायोमास विद्युत परियोजना–रैंकिन साईकिल तकनीक पर आधारित नए संयंत्र एवं मशीनरी का प्रयोग करने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाए और बायोमास ईंधन स्रोतों का प्रयोग करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं बशर्ते जीवाश्म ईंधन का प्रयोग 31.3.2017 तक वार्षिक आधार पर क्लारिफिक मूल्य के अनुसार केवल 15 प्रतिशत तक सीमित है।

7.3 विद्युत बाजार : व्यापार, पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

7.3.1 अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए फरवरी 2009 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 अधिसूचित किया।

31 मार्च 2015 को आयोग ने विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए 72 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्तियां प्रदान की इनमें से 25 अनुज्ञप्ति धारियों ने अपनी अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण किया। वर्ष 2014–15 के दौरान विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए 7 अनुज्ञप्तियों को जारी किया गया।

कुल 47 मौजूदा अनुज्ञप्तिधारियों में 28 अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2014–15 के दौरान विद्युत में व्यापार आंरभ किया।

आयोग ने दिनांक 11.1.2010 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 जारी किया। इन विनियमों के अनुसार विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्तिधारियों को 7 पैसे/किलोवाट घंटे से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित करने की अनुमति नहीं है। यदि विद्युत की बिक्री कीमत 3 रु/किलोवाट घंटे से अधिक है और 4 पैसे/किलोवाट घंटे जहां बिक्री कीमत 3 रु/किलोवाट घंटे के बराबर या उससे कम है। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल है। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

7.3.2 पावर एक्सचेंज

दो पावर एक्सचेंज अर्थात भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि (आईईएक्स) नई दिल्ली, और मैसर्स पावर एक्सचेंज इंडिया लि(पीएक्सआईएल)मुबंई भारत मे प्रचालन में है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल में क्रमशः 27 जून 2008 और 22 अक्तूबर 2008 से प्रचालनों को आरंभ किया।

जनवरी 2010 में आयोग ने विद्युत बाजार के विनिमयों और विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम 2010 जारी किया। इस विनियम का उद्देश्य व्यापक बाजार ढांचे के सृजन मे मदद करना था और विद्युत बाजार में सभी प्रकार के संभव उत्पादों के संव्यवहार, कार्यनिष्पादन और उसका कान्ट्रेक्ट करना था। इसके बाद पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित सुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) प्रथम संशोधन, विनियम 2014 के माध्यम से विनिमय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनर्हकताओं की व्यवस्था की।

7.3.3 बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

अगस्त 2008 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ (एमएमसी) स्थापित किया गया था। अगस्त 2008 से एमएमसी विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार पर मासिक रिपोर्ट जारी कर रहा है और इस रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाल रहा है।

विद्युत का अल्पकालिक संव्यवहार व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार) पावर एक्सचेंजों और अननुसूचित विनिमयों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत के प्रति निर्देश करता है। (i) रिपोर्ट का उद्देश्य है कि विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य में परवर्तियों पर ध्यान देना। (ii) बाजार के व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करता (iii) स्टेक होल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

एमएमसी व्यापार अनुज्ञधिारियों द्वारा दी जारी द्विपक्षीय संविदाओं/ओटीसी संविदाएं पर एक मासिक रिपोर्ट निकालता है। जिसका शीर्षक ओटीसी संविदाओं की साप्ताहिक रिपोर्टिंग : मासिक विश्लेषण है। रिपोर्ट में एक अग्रवक्र जो भावी अवधि के लिए स्थानिक कीमतों की वर्तमान दिन की आशा को दर्शाता है और कार्य के उपरान्त विश्लेषण है जो गत माह के विद्युत परिदानों के संबंध में विद्युत केन्द्रों के तुलना में औसत ओटीसी कीमत को दर्शाता है। एमएमसी अल्पकालिक संव्यवहार पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है। "2014–15 में भारत में अल्पकालिक विद्युत बाजार पर रिपोर्ट " से संबंधित रिपोर्ट अगस्त 2015 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट पर दर्शाई गई और इसे प्रकाशित किया जाना है। अल्पकालिक संव्यवहारों में प्रवृतियों को नीचे संव्यवहारों में दिया गया है।

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बिलियन यूनिट)

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	पावर एक्सचेंजों (आई ईएक्स और पीएक्स आईएल) के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	डीएसएम की मात्रा	डिस्काम के बीच प्रत्यक्षतः संव्यवहारित विद्युत
2009 - 10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010 - 11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011 - 12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012 - 13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013 - 14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014 - 15	34.56	29.40	19.45	15.58

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा
2009 -10	65.90	764.03	9%
2010 -11	81.56	809.45	10%
2011 -12	94.51	874.17	11%
2012 -13	98.94	907.49	11%
2013 -14	104.64	962.90	11%
2014 -15	98.99	1045.09	9%

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (रू0/कि0 घंटा)			
वर्ष	व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (डीएमएम+टीएएम)	डीएसएम की कीमत
2009 -10	5.26	4.96	4.62
2010 -11	4.79	3.47	3.91
2011 -12	4.18	3.57	4.09
2012 -13	4.33	3.67	3.86
2013 -14	4.29	2.90	2.05
2014 -15	4.28	3.50	2.26

7.3.4 बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ अभिवृद्धि कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

वर्ष 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ती के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्ग निर्देश" के अनुसार आयोग से बोली मूल्याकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक 6 माह में विभिन्न घटकों और अन्य मानकों की अधिसूचना अपेक्षित है।

विद्युत मंत्रालय ने केस 2 और केस 1 बोली के लिए अलग से मानक बोली दस्तावेजों (माडल आरएफक्यू, आरएफपी और पीएसए) सहित नए मार्ग निर्देश जारी किए हैं। उन नए मार्ग निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कोई वृद्धि दरें सूचित करना अपेक्षित नहीं है। तथापि आयोग ने पूर्व बोली मार्ग निर्देशों के अंतर्गत कान्ट्रेक्ट की गई परियोजनाओं के लिए भुगतान के प्रयोजन हेतु वृद्धि दरें अधिसूचित करता रहा है।

7.4 थर्मल उत्पादन

केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय क्षेत्र की थर्मल पावर उत्पादन कंपनियों अर्थात एनटीपीसी लि., उत्तर–पूर्वी विद्युत पावर कार्पोरेशन लि. (नीपको), नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन(एनएलसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे कंपनियों के टैरिफ को नियमित करता है जिसमें सीपीएसयू और आईपीपी शामिल है जिन्होंने आरंभ की गई प्रतिस्पर्धा टैरिफ आधारित बोली की निर्धारित अवधि से पूर्व दीर्घकालीन हिताधिकारियों के साथ पीपीए हस्ताक्षरित किया।

7.4.1 थर्मल उत्पादन का टैरिफ निर्धारण

7.4.1.1 एनटीपीसी लिमिटेड के थर्मल उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ

क. 31.03.2015 को एनटीपीसी लिमिटेड की उत्पादनकारी केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता

37031.64 मैगावाट (वाणिज्यिक) थी जिसमें कोयले पर आधारित 33015.00 मैगावाट तथा प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4016.64 मैगावाट शामिल है। वर्ष 2014–15 के दौरान एनटीपीसी ने बढ़ एसटीपीएस-II में (1x660) में नई क्षमता को जोड़ा। 31.03.2015 को संस्थापित क्षमता तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादनकारी स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध II** में दी गई है।

ख. 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने 2009–14 अवधि के लिए तल्चर टीपीएस (460 मेगावाट) के लिए टैरिफ अनुमोदन किया। क्रमशः अपील संख्या 70/2012 और 71/2012 में 25.10.2013 को विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधीकरण के निर्णय के अनुसार 1.4.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए कवास गैस पावर स्टेशन (656.20 मेगावाट) और झन्नौर गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन।

न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसार गैस टर्बाइन का उपयोगी जीवन 15 वर्ष के स्थान पर आरएंड एम के पूरा होने के बाद 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है और आयोग को उसे पुनःनिर्धारण करने का निर्देश दिया गया है।

इस तथ्य को नोट करने के बाद आयोग ने कि गैस टर्बाइन का नवीकरण और आधुनिकीकरण अभी पूरा नहीं कया गया है और यह टैरिफ अवधि (2014–19) के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा पूरा किया जाना प्रत्याशित है। यह निर्देश दिया कि 2009–14 की अवधि के लिए उत्पादन केन्द्र के टैरिफ का तदंतर संशोधन और गैस टर्बाइन के उपयोगी जीवन का पुनःनिर्धारण न्यायाधीकरण के अधिनिर्णय के अनुपालन में नवीकरण और आधुनिकीकरण गतिविधियों के पूरा होने के बाद विचार किया गया। याचिकाकर्ता को तदनुसार निदेश दिया गया कि न्यायाधीकरण के अधिनिर्णय के अनुसार इस उत्पादन केन्द्र के शेष उपयोगी जीवन के पुनःनिर्धारण के उद्देश्य से नवीकरण और आधुनिकीकरण गतिविधियों के पूरा करने की स्थिति आयोग के नोटिस में लाई जाए।

ग. 2009–14 की अवधि के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप

आयोग ने केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें), विनियम 2009 के विनियम 6(1) के परन्तुक के अनुसार 1.4.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित दस एनटीपीसी केन्द्रों के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण को अनुमोदित किया:

क. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मेगावाट)
ख. कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (840 मेगावाट)
ग. रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 मेगावाट)
घ. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (1000 मेगावाट)
ड. अंता गैस पावर स्टेशन (419.33 मेगावाट)
च. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1260 मेगावाट)
छ. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I व II (2100 मेगावाट)
ज. फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I व II (1600 मेगावाट)
झ. सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 मेगावाट)
ञ. सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1000 मेगावाट)

घ. 2009–14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों पर पुनरीक्षण याचिकाएं:

एनटीपीसी द्वारा दाखिल एनटीपीसी उत्पादन केन्द्रों की 2009–14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों पर निम्नलिखित 6 पुनरीक्षण याचिकाओं को आयोग द्वारा निपटाया गया:

क. नेशलन केपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (2 x 490 मेगावाट)
ख. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I व II (2100 मेगावाट)
ग. सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1000 मेगावाट)
घ. तल्चर सुपर थर्मल पावर स्टेशन(460 मेगावाट)
ड. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मेगावाट)
च. विध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1000 मेगावाट)

ङ. 1.4.2009 को या उसके बाद आरंभ किए गए उत्पादन केन्द्र/यूनिट के लिए अनंतिम टैरिफ

आयोग ने 2009 टैरिफ विनियम के विनियम 5 के खंड (4) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए :
1. (31.3.2014) के लिए यूनिट 1 और 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीख से रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1000) मेगावाट
2. (31.3.2014) तक यूनिट I और II के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 (1000 मेगावाट) के अनंतिम टैरिफ को अनुमोदित किया।

आयोग ने अपील संख्या 39/2013 में विद्युत के अपीलीय न्यायाधिकरण के 26.9.2013 के अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के लिए बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (705 मेगावाट) में वर्ष 2006–07 (1.6.2006 से 31.3.2007), 2007–08 और 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण 2006–09 की अवधि के लिए नियत प्रभारों को संशोधित किया।

7.4.1.2 नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के थर्मल उत्पादन केन्द्रों का टैरिफ

31.03.2015 को नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 2740 मेगावाट थी। संस्थपित क्षमता और एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध III** में दी गई है।

थर्मल पावर स्टेशन–1 तमिलनाडु राज्य को समुचित विद्युत की आपूर्ति करता है। थर्मल पावर स्टेशन–2 (स्टेज 1 और 2) और थर्मल पावर स्टेशन 1(विस्तार) दक्षिणी क्षेत्र अर्थात आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के संघटकों को विद्युत की आपूर्ति करता है। राजस्थान में बरसिंगसर में थर्मल पावर स्टेशन आधारित सीएफबीसी टेक्नालॉजी राजस्थान की वितरण कपंनियों को विद्युत की आपूर्ति करता है।

7.4.1.3 दामोदर घाटी निगम के थर्मल उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ

31.3.2015 को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रो की कुल संस्थापित क्षमता 6210 मेगावाट थी। वर्ष 2014–15 के दौरान

डीवीसी ने कोदरमा टीपीएस (2X500 मेगावाट) 500 मेगावाट क्षमता के यूनिट II के आंरभ सहित थर्मल उत्पादन क्षमता में 500 मेगावाट को जोड़ा। 31.3.2015 को संस्थापित क्षमता और डीवीसी की थर्मल उत्पादन केन्द्रों के प्रत्येक यूनिट को आरंभ करने की तारीख **अनुबंध IV** में दी गई है।

आयोग ने डीवीसी की निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में 2009–14 की अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ को अनुमोदित किया।

क. चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 7 और 8(2 x 250 मेगावाट)

ख. मेजीयर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट संख्या 7 और 8 (2 x 500 मेगावाट)

7.4.1.4 उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम का टैरिफ (नीपको)

31.3.2015 को नीपको का गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता 375 मेगावाट की अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) और अगरतला जीपीएस (84 मेगावाट)। यह दोनों केन्द्र उतर पूर्वी क्षेत्र के हिताधिकारियों को विद्युत की आपूर्ति करते हैं। असम गैस विद्युत केन्द्र संयुक्त साईकिल मोड में चलते हैं जबकि अगरतला गैस पावर केन्द्र मुक्त साईकिल में चलते हैं। दोनों केन्द्रों में लघु क्षमता के टर्बाइन (50 मेगावाट यूनिट आकार से कम) हैं। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध V** में दी गई है।

7.4.1.5 31.3.2015 को ऊर्जा प्रभार

31.03.2015 को एनटीपीसी, एनएलसी, नीपको और डीवीसी जैसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीपीएसयू से संबंधित थर्मल पावर केन्द्रों के लिए ऊर्जा प्रभार **अनुबंध VI** में संलग्न हैं।

7.4.1.6 स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के थर्मल उत्पादन केन्द्रो का टैरिफ

आयोग ने 31.3.2014 के लिए यूनिट एक और दो के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अवधि के लिए मैथान पावर लि (1050 मेगावाट) के टैरिफ और पूंजी लागत को अनुमोदित किया है।

7.5 थर्मल उत्पादन में आयोग द्वारा अन्य मुद्दें:

7.5.1 कोयला अंतःक्षेपण पर आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए तकनीकी आर्थिक मार्गनिर्देशों के अनुमोदन के लिए याचिका

महागंज पावर लि., अदानी पावर लि0. की एक अनुषंगी ने दो विभिन्न राज्यों को विद्युत उपलब्ध करवाने वाली प्रस्तावित परियोजना से उत्पादित विद्युत के लिए टैरिफ के अवधारण सिद्धान्तः अनुमोदन पर एवं कोयला रद्द करने पर आधारित थर्मल पावर संयंत्रों के लिए तकनीकी आर्थिक मार्गनिर्देशों के अनुमोदन के लिए याचिका दाखिल की ।

आयोग ने इस अभिमत के साथ उक्त याचिका का निपटान किया कि याचिका के तदनतर दाखिल करने पर आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 अधिसूचित किया। ये विनियम 1.4.2014 से 31.3.2019 तक प्रचालन में होंगे। इन विनियमों में रद्द कोयले पर आधारित उत्पादन केन्दों के टैरिफ के निर्धारण के लिए मानदंडों की व्यवस्था है और प्रदत्त मानदंड इस मामले में भी लागू होंगे।

इसके अलावा आयोग ने यह भी पाया है कि दो से अधिक राज्यों के लिए विद्युत की आपूर्ति के लिए एवं उत्पादन के लिए कोई समन्वित योजना है और टैरिफ नीति के अनुसार विकसित की गई है तो संबंधित उत्पादन कंपनी अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत टैरिफ के स्वीकार के लिए या धारा 62 के लिए अंतर्गत टैरिफ के अवधारण के लिए अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अंतर्गत आयोग से संपर्क कर सकती है।

7.5.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध

पहुंच प्रदान करना) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के अंतर्गत अनुमति मांगते हुए याचिका

वंदना विद्युत लि. ने 3.3.2014 से 6 महीने तक ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण और याचिकाकर्त्ता के 1/135 मेगावाट के परीक्षण के लिए समयावधि के विस्तार के लिए याचिका दाखिल की। याचिकाकर्त्ता ने 14.3.2014 के अपने शपथ पत्र में पीईआरटी चार्ट प्रस्तुत किया। जिसमें 27.8.2014 तक की परीक्षण गतिविधियों के चरणों को दर्शाया गया। तथापि चूंकि याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा अनुमत्त समयलाईन के अंदर 10.4.2014 को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख प्राप्त की इसलिए और आगे समयावधि बढ़ाना अपेक्षित नहीं है।

एनएलसी द्वारा यूनिट 1 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक या 30.4.2014 जो भी पहले हो एनएलसीटीपीएस II (विस्तार) से ग्रिड में इन्फर्म पावर के अतःक्षेपण के लिए अनुमति की मांग की गई।

टौरेंट पावर लि. (टीपीएल) ने गुजरात राज्य में दहेज विशेष अंचल क्षेत्र में गैस आधारित परियोजना के यूनिटों (3X398.95 मेगावाट) के लिए 6 महीने से आगे यूनिटों द्वारा इन्फर्म पावर के तदन्तर अंतःक्षेपण और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण की अवधि के विस्तार की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। आयोग ने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक या 31.7.2014 तक, जो भी पहले हो पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षणों को आरंभ करने के प्रयोजन के लिए ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी दी।

एनटीपीसी ने याचिका दाखिल की जिसमें आंरभिक सिन्क्रोनाईजेशन से 6 महीने से आगे बड़ एसटीपीपी (स्टेज II)(2X660 मेगावाट) के यूनिट IV (660 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग की। याचिकाकर्ता द्वारा सामना की गई समस्याओं पर विचार करते हुए आयोग ने 30.9.2014 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख तक, जो भी पहले हो, यूनिट IV के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण आरंभ करने के प्रयोजन के लिए ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी।

प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. ने अपेक्षा के अनुसार संबद्ध अनुषगियों एवं एसटीजी के परीक्षण के लिए 6 महीने से आगे परीक्षण के लिए प्रगति 3 सीसीपीएस (1371 मेगावाट) के ब्लाक 2 के गैस टर्बाइन #4 से ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण की मांग की। इसके संबद्ध यूनिटों अर्थात जीटी अनुषंगियों की आरंभ की जा रही गतिविधियों में विलंब जो जीटी के आईसोलेशन में नहीं किया जा सकता और गैस की गैर उपलब्धता के कारण नहीं हो सकता इसलिए आयोग ने यूनिट के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के प्रयोजन के लिए ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी है।

एनटीपीसी तमिलनाडु ऊर्जा कंपनी लि. (एनटीईसीएल) ने याचिका दाखिल की जिसमें आंरभिक सिन्क्रोनाईजेशन से 6 महीने से आगे एनटीईसीएल के वैलूर पीपीपी के यूनिट 3 (500 मेगावाट) के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अनुमति की मांग की। आयोग ने याचिकाकर्त्ता द्वारा सामना की गई समस्याओं तथा अनुसूचित गतिविधि के संबंध में 25.7.2014 के शपथ पत्र पर विचार करते हुए 15.10.2014 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख से, जो भी पहले हो, यूनिट 3 के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण को आरंभ करने के लिए ग्रिड में इंफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति दी।

आरंभिक सिन्क्रोनाईजेशन से 6 महीने से आगे डीबी पावर छत्तीसगढ़ प्लांट यूनिट 2 (600 मेगावाट) के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए याचिका। आयोग ने 31.12.2014 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख तक, जो भी पहले हो यूनिट के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षणों को आरंभ करने के लिए ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी।

आयोग ने जिंदल पावर लि. के तमनार ने 4X600 मेगावाट पावर प्लांट के यूनिट 3 के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान की।

7.5.3 याचिका संख्या 309 / एमपी / 2013

ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि. (ओटीपीसीएल) ओएनजीसी, आईएलएंडएफएस (इसकी संबद्ध आईईडीसीएल) के माध्यम से, का एक संयुक्त उद्यम है और त्रिपुरा सरकार 726.6 मेगावाट (2X363.3 मेगावाट) की अनुमोदित क्षमता सहित त्रिपुरा राज्य में प्लाटना में संयुक्त साईकिल पावर स्थापित कर रहा है। दिनांक 20.5.2013, 26.08.2013, 31.12.2013 के आदेशों के माध्यम से आयोग ने यूनिट 1 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि 2.60 रुपए प्रतिकिलोवाट घंटे की दर पर इन्फर्म पावर की कैपिंग के कारण 5.94 करोड़ रुपए की कम वसूली रही।

आयोग ने इस अभिमत के साथ 19.8.2014 के आदेश के माध्यम से याचिका का निपटान किया कि यूआई खातों में एनईआरपीसी द्वारा यथाप्रयुक्त 2 रुपए 60 पैसे की कैप दर अनंतिम टैरिफ प्रदान करने के लिए इसकी टैरिफ याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए 1.22 रु / किलोवाट घंटे की ऊर्जा प्रभार दर की अपेक्षा बहुत अधिक है। दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक लागत की तुलना में कोई कम वसूली नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 11 के अनुसार इन्फर्म पावर की बिक्री से उत्पादन कंपनियों द्वारा अर्जित कोई राजस्व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर परियोजना की पूंजी लागत में समायोजित किया जाएगा जिसे टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जाएगा। तदनुसार याचिका दाखिल की गई।

7.5.4 याचिका संख्या 85 / एमपी / 2013

पश्चिमी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (डब्ल्यूआरएलडीसी) ने इस प्रार्थना के साथ 25.4.2013 को याचिका दाखिल की (i) तथ्यों को जानबूझकर दबाने और गलत व्याख्या करने को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को देखना और इस प्रकार की कार्यों के लिए लेमयर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि. को उपयुक्त निर्देश जारी करना (ii) डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा भार नियंत्रण के आधार पर वाणिज्यिक के रूप में 101.38 मेगावाट की पार्ट (डीरेटिड) की घोषणा के लिए और वाणिज्यिक मेकेनिज्म के संबद्ध पैरामीटरों के इरादतन गलत घोषणा करते हुए लेमयर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि. के मामले को देखना और इस मामले में उपयुक्त निर्देश जारी करना।

याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए आयोग ने 20.6.2013 के अपने आदेश के माध्यम से यह निर्णय किया कि 101.38 मेगावाट के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा के लिए स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र बना नहीं रह सकता और एसपीएल को निर्देश दिया कि पीपीए की अनुसूची 5 के साथ पठित अनुच्छेत 6.3.1 के उपबधों के अनुसार परीक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए यूनिट के नए परीक्षण किए जाएं। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि एसपीएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की तारीख तक उत्पादन केन्द्र द्वारा अंतःक्षेपित विद्युत को आयोग के विनियमों के अनुसार इन्फर्म पावर के रूप में माना जाएगा।

आयोग के आदेश दिनांक 20.6.2013 से पीड़ित होने पर एसपीएल ने इस आधार पर माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 01.7.2013 को 2013 की अपील संख्या 149 दाखिल की कि केन्द्रीय आयोग ने मैरिट का अवसर अपीलकर्ता को दिए बिना प्रतिवाद आदेश पारित किया है। अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 21.8.2013 के निर्णय में आयोग के 20.6.2013 के आदेश को सेटअसाइट कर दिया और संबंधित पार्टियों की सुनवाई के बाद नए सिरे से मुद्दों के निर्णय के लिए आयोग को मामला रिमांड के लिए वापस कर दिया है।

आयोग ने सभी संबंधित पार्टियों की सुनवाई के बाद दिनांक 8.8.2014 के माध्यम से यह पाया कि उत्पादन केन्द्र का यूनिट कान्ट्रेक्ट की गई क्षमता के 95 प्रतिशत के लिए कार्यनिष्पादन की अर्हकता में असफल रहा है जो पीपीए के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के लिए पूर्व अपेक्षा है अतएव इस अवधि के दौरान अतःक्षेपित पावर इन्फर्म पावर के रूप में मानी जाएगी। आयोग ने यह निर्णय लिया कि 30.3.2013 को जारी किए स्वंतत्र इंजीनियर के प्रमाण के आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा पीपीए के उपबंधों के अनुसार नहीं हैं और 16.8.2013 के रूप में एसपीएल की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख स्वीकार की गई। आईई प्रमाण पत्र के संबंध में आयोग ने यह पाया है

कि 30.3.2013 को जारी किए गए स्वतंत्र इंजीनियर के प्रमाण पत्र के आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन के तारीख की घोषणा पीपीए उपबंधों के अनुसार नहीं थी और डीरेटिड क्षमता की घोषणा के लिए नहीं थी अतएव सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति अनिवार्य है। आयोग ने यह पाया कि एसपीएल तथा प्राप्तकर्ता दोनों इससे लाभ लेते हैं लेकिन स्थापित मानंदडों के लिए और वाणिज्यिक प्रचालन की इस प्रकार की घोषणा तथा पीपीए उपबंधो की अनुमति नहीं दी जा सकती चूंकि इससे स्थापित प्रणाली का मजाक बन जाता है। आयोग ने यह भी निर्णय दिया कि 101.38 मेगावाट की कम क्षमता पर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा करते हुए 31.3.2013 को स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी किया गया प्रणाण पत्र ठीक नहीं है और उसे बनाए रखा नहीं जा सकता। एसपीएल द्वारा गलत घोषणा के संबंध में आयोग ने यह पाया कि एसपीएल ने चार दिनों के लिए क्रमिक रूप से 600 मेगावाट की घोषणा की है। तथापि, डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद इसमें घोषित क्षमता की अनुसूची कम हुई हैं। आयोग ने निर्णय दिया कि क्षमता की गलत घोषणा का कोई इरादा प्रतीत नहीं होता है अतएव एसपीएल द्वारा क्षमता की जानबूझकर गलत घोषण का कोई इरादा नहीं है।

7.5.5 याचिका संख्या एसएम/14/2014 : केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 30 के खंड (7) के उपबंधों का गैर अनुपालन

केविविआ के टैरिफ विनियम 2014 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"उत्पादन कंपनी ईंधन की कीमत एवं जीसीवी के पैरामीटरों के ब्यौरे अर्थात इन विनियमों के अनुबंध 1 में निर्धारित फार्मों के अनुसार देशी कोयला, आयातित कोयला, ई बोली कोयला, लिग्नाईट प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, तरल ईंधन इत्यादि के हिताधिकारियों को उपलब्ध करवाएंगें : बशर्ते कि देशी कोयले के साथ आयातित कोयले का ब्लैंडिंग अनुपात, ई बोली का समानुपात तथा प्राप्त किए गए ईंधन की भारित औसत जीसीवी के ब्यौरे संबंधित माह के बिलों सहित अलग से उपलब्ध करवाए जाएंगे; बशर्ते कि बिलों की प्रतियां और ईंधन की कीमत एवं जीसीवी के पैरामीटरों के ब्यौरे अर्थात देशी कोयला, आयातित कोयला, ईबोली कोयला, लिग्नाईट प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, तरल ईंधन इत्यादि के हिताधिकारियों को उपलब्ध करवाएंगें : बशर्ते कि देशी कोयले के साथ आयातित कोयले का ब्लैंडिंग अनुपात, ई बोली का समानुपात तथा प्राप्त किए गए ईंधन की भारित औसत जीसीवी के ब्यौरे उत्पादन कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ये ब्यौरे 3 महीनों की अवधि के लिए मासिक आधार पर इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए।"

आयोग के नोटिस में यह आया है कि कुछ उत्पादन कंपनियां अपनी वेबसाइट में मार्च 2014 के बाद उक्त विनियमों के अंतर्गत ब्यौरों को अपलोड नहीं किया है और न ही आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उक्त विनियमों के अनुसार अपनी उत्पादन केन्द्रों के संबंध में उक्त ब्यौरों को अद्यतन किया है। आयोग द्वारा विनियमित सभी थर्मल उत्पादन केन्द्रों द्वारा विनियम 30(7) के उपबंधों के अनुपालन की मांग करता है। तदनुसार आयोग ने शपथ पत्र पर निवेदन करते हुए प्रत्यर्थियों को निदेश दिया है कि 2014 टैरिफ विनियमों के विनियम 30 (7) के उपबंधों को अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक की अवधि के लिए अपनी वेबसाइटों से डाउनलोड किए गए दस्तावेजों सहित अपने नियंत्रण के अंतर्गत सभी उत्पादन केन्द्रों के संबंध में अनुपालन करें।

7.5.6 22.4.2009 से 31.7.2011 तक की अवधि के लिए भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लांट (2X250 मेगावाट) के संबंध में अननुसूचित अंतःपरिर्वतन प्रभारों की वसूली के लिए आयोग ने याचिका का निपटान किया।

7.5.7 याचिका संख्या 70/एमपी/2014 उत्तरपूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लि0 ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 (2014 टैरिफ विनियम) के विनियम 54 के अंतर्गत टैरिफ विनियमों के 2014 के कुछ विनियमों की समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की। आयोग ने 30.9.2014 के आदेश में यह अभिमत दिया कि चूंकि 2014 टैरिफ विनियमों को इसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा विनियमित कर दिया गया है अतएव अधिनियम की धारा 94 (1)(एफ) के अंतर्गत इसकी पुनरीक्षण नहीं की जा सकती।

7.5.8 याचिका संख्या 06/एमपी/2013 दिनांक 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2 (ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासित अवाप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका सासन पावर लि. और परिचालनकारी अवधि के दौरान लागतों के राजस्व सहित "विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए अवाप्तकर्ताओं के बीच निष्पादित की गई।"

आयोग ने लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित कान्ट्रेक्ट वर्षों के दौरान (विधि में परिवर्तन) के कारण प्रभाव की मात्रात्मकता के बाद कान्ट्रेक्ट वर्ष की समाप्ति के छह महीने के अंदर उपयुक्त आवेदन दाखिल करने के लिए सासन पावर लि0 को निर्देश दिया।

7.5.9 याचिका संख्या 64/एमपी/2013 : झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उठाए गए विद्युत आपूर्ति संबद्ध विवादित विषयों के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की 79 (1)(क)(ख)(ग) के साथ पठित धारा 79 (1)(एफ) के अंतर्गत याचिका

आयोग ने मुख्य निर्देशों सहित उक्त याचिका का निपटान किया कि :

(I) याचिकाकर्ता 4213.745 करोड़ रुपए की कुल अविवादित रकम की तत्काल वसूली के लिए पात्र है।

(ii) याचिकाकर्ता जुलाई 2013 से जनवरी 2014 तक की अवधि के लिए 578.72 करोड़ रुपए की गैर मिलान की गई रकम अनंतिम रूप से अदा करेगा जिसे मिलान के बाद अंतिम रूप से समायोजित किया जाएगा।

7.5.10 याचिका संख्या आरपी/06/2014 : 17.02.2014 से प्रभावी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के विनियम 12 के अंतर्गत पुनर्रीक्षण याचिका।

याचिकाकर्ता त्रिपुरा राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि ने उक्त विनियम के विनियम 12 के अंतर्गत विद्युत का आह्वान करते हुए विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के विनियम 7.3 और विनिमय 5(1)(iii) के उपबंधों की छूट के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की। विचलन व्यवस्थान तंत्र के विनियम 12 के अंतर्गत विद्युत का प्रयोग करते हुए आयोग ने 2 फरवरी 2015 से 400 मेगावाट व उससे कम की अनुसूची वाली कंपनियों के संबंध में डीएसएम विनियम के विनियम 7 (3) और विनियम 5 (1)(iii), 5(1)(iv) को निम्नानुसार छूट दी:

क.400 मेगावाट व उससे कम की अनुसूची वाली कंपनियों के मामले में विचनल प्रभार प्राप्य होगा:

(I) डीएसएम विनियम के विनियम 5 (1)(iii) की छूट में 48 मेगावट तक कम निकासी के लिए

(ii) डीएसएम विनियम के विनियम 5 (1)(iv) की छूट में 48 मेगावाट तक अधिक अंतःक्षेपण के लिए

ख. डीएसएम विनियमों के विनियम 7 के खंड (3) के अंतर्गत सारणी 2 के नीचे परंतुक की निम्नानुसार प्रदान करने की छूट दी गई है:

"बशर्ते कि जब अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है तो विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार उक्त सारणी 1 (क) और सारणी 2(क) के अनुसार 400 मेगावाट अनुसूची के संदर्भ में निकाली गई विचलन की प्रतिशतता पर आधारित होगी।"

7.6 हाईड्रो उत्पादन

वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित 32 संख्या में सीपीएसयू अर्थात एनएचपीसी, एनएचडीसी, नीपको, एसजीवीएनएल, टीएचडीसी और डीवीसी द्वारा स्वामित्व के केन्द्रीय क्षेत्र हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों तथा मैसर्स जयप्रकाश पावर वैंचर लि. द्वारा स्वामित्व के एक आईपीपी केन्द्र जो उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी और उतरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं और जिनकी 1,1695.40 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता है। उनके टैरिफ को विनियमित किया। इसके ब्यौरे **अनुबंध VII** में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान वर्ष 2009 से 2014 तक की अवधि के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए ट्रूइंगअप कार्यों से संबंधित उक्त हाइड्रो केन्द्रों के अंतिम टैरिफ (2009–14) का अनुमोदन, नए आरंभ किए गए केन्द्रों, (2009–14) के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन, टैरिफ (2014–19) का अनुमोदन, पुनरीक्षण याचिकाएं, विविध याचिकाओं इत्यादि के संबंध में 38 याचिकाएं का कार्य किया गया। ब्यौरे **अनुबंध VIII** में दिए गए हैं।

7.6.1 निम्नलिखित नए हाइड्रो केन्द्रों से 2009–14 की अवधि के लिए अनंतिम/अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाओं का निपटान किया गया:

क. एनएचपीसी के चटक हाईड्रो स्टेशन (4 x 11 = 44 मेगावाट)

ख. एनएचपीसी का चमेरा 3 हाइड्रो स्टेशन(3 x 77 = 231 मेगावाट)

ग. एनएचपीसी का टीएलडीपी 3 हाइड्रो स्टेशन (4x33=132 मेगावाट)

घ. एनएचपीसी का रामपुर हाइड्रो विद्युत परियोजना (6 x 66.68 = 412 मेगावाट)

ङ. एनएचपीसी का पारबती हाइड्रो विद्युत परियोजना स्टेज 3(4 x 130 = 520 मेगावाट)

7.6.2 निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों की अंतिम/पुनरीक्षण ट्रूअप उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाओं का निपटान किया गया।

क टीएचडीसी लि. का टिहरी हाइड्रो परियोजना(4 x 250=1000 मेगा वाट)(2006–09 की अवधि के लिए)

ख. टीएचडीसी लि. का टिहरी हाइड्रो परियोजना (4 x 250 = 1000 मेगावाट)(2009–14 की अवधि के लिए)

ग. एनएचपीसी की टनकपुर हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3 x 31.4= 94.20 मेगावाट)(2009–12 की अवधि के लिए ट्रूअप)

घ एचएचडीसी की औकारेश्वर हाइड्रो विद्युत परियोजना (8 x 65 = 520 मेगावाट)(2007–09 की अवधि के लिए)

ङ नीपको की खंडौग हाइड्रो विद्युत स्टेशन (2 x 25= 50 मेगावाट) (2009–12 की अवधि के लिए ट्रूंगअप)

च नीपको की कोपली हाइड्रो विद्युत स्टेशन (2x25=50 मेगावाट) (2009–12 की अवधि के लिए ट्रूंगअप)

च. एनएचपीसी की चमैरा हाइड्रो विद्युत स्टेशन स्टेज 3 (3 x 77 = 231 मेगावाट)(2009–12 की अवधि के लिए ट्रूंगअप)

छ. एनएचपीसी की चमैरा हाइड्रो विद्युत स्टेशन स्टेज 2 (3 x 100= 300 मेगावाट)(2009–14 की अवधि के लिए ट्रूंगअप)

7.6.3 वास्तविक पूंजी व्यय (2009–14 पर आधारित) अवधि 2009–14 के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों की ट्रूइंगअप याचिकाएं और 2009–14 की उन्नति के लिए टैरिफ का अनुमोदन की प्रगति / विचारार्थ हैं:

क. एनएचपीसी का टनकपुर हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3 x 31.4=94.20 मेगावाट)
ख. एनएचपीसी का दुलहस्ती हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x130=390 मेगावाट)
ग. एनएचपीसी का चमैरा स्टेज 1 हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x180=540 मेगावाट)
घ. एनएचपीसी का चमैरा स्टेज 2 हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x100=300 मेगावाट)
ङ. एनएचपीसी का चमैरा स्टेज 3 हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x77=231 मेगावाट)
च. एनएचपीसी का दौहलीगंगा हाइड्रो विद्युत स्टेशन (4x70=280 मेगावाट)
छ. एनएचपीसी का लोकटक हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x35=105 मेगावाट)
ज. एनएचपीसी का बैरासूल हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x60=180 मेगावाट)
झ. एनएचपीसी का रंगित हाइड्रो विद्युत स्टेशन (3x20=60 मेगावाट)
ञ. एनएचपीसी का सलाल हाइड्रो विद्युत स्टेशन (6x115=690 मेगावाट)
ट. एनएचपीसी का ऊरी–I हाइड्रो विद्युत स्टेशन (4x120=480 मेगावाट)
ठ. एनएचपीसी का नीमू बाजगू एचई स्टेशन (3x15=45 मेगावाट)
ड. एनएचपीसी का टीएलडीपी 3 एचई स्टेशन (4x33=132 मेगावाट)
ढ. एनएचपीसी का टीएलडीपी 5 एचई स्टेशन (3x170=510 मेगावाट)
ण. एनएचपीसी का यूरी 2 एचई स्टेशन (4x60 = 240मेगावाट)
त. एनएचपीसी का सेवा 2 एचई स्टेशन (4x120=480 मेगावाट)
थ. एनएचपीसी का चटक एचई स्टेशन (4x11=44 मेगावाट)
द. एनएचपीसी का परबती हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 (4x130 =520 मेगावाट)
ध. नीपको का खण्डोंग एचई स्टेशन (2x25=50 मेगावाट)
न. नीपको का कोपली एचई स्टेशन (4x50= 200 मेगावाट)
प. नीपको का कोपली स्टेज 2 एचई स्टेशन (3x25=75 मेगावाट)
फ. नीपको का दोयग एचई स्टेशन (3x25= 75मेगावाट)
ब. नीपको का रंग नदी एचई स्टेशन (3x135=405 मेगावाट)
भ. टीएचडीसी लिमिटेड का टेहरी हाइड्रो पावर परियोजना (4x250 =1000 मेगा)
म. एसजेवीएनएल का नाथपा झाखरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6X250=1500 मेगा)
य. एसजेवीएनएल का रामपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6X68.66=412 मेगा.)
र. डीवीसी का मैथन हाइडल स्टेशन (2X20+1X23.20=63.20 मेगा.)
ल. डीवीसी का पंचेत हाइडल स्टेशन (2X40=80 मेगा.)
व. डीवीसी का तलैया हाइडल स्टेशन (2X2=4 मेगा.)
श. एनएचडीसी का ओंकारेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (8X65=520 मेगा.)
ष. एनएचडीसी का इंदिरासागर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (8X125=1000 मेगा.)
स. जेपीवीएल (प्राइवेट पावर प्लांट) का करचमवांगतू हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (4X250=1000 मेगा.)

7.7 नवीकरणीय ऊर्जा

7.7.I वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आरंभ की जाने वाली सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं और सौर पीवी के लिए बैंचमार्क पूंजी लागत मानदंड के निर्धारण के मामले में आदेश (स्व–प्रेरणा आदेश एसएम 005/2015 दिनांक 31.03.2015)

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए बैंचमार्क पूंजी लागत मानदंड 605.85 लाख रु प्रति मेगावाट निर्धारित किया।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सौर थर्मल पावर पारियोजनाओं के लिए बैंचमार्क पूंजी लागत मानदंड 1200 लाख रु. प्रति मेगावाट निर्धारित किया।

7.7.2 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 8 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए जैनेरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ का अवधारण। याचिका संख्या एसएन/004/2004(स्वप्रेरणा) आदेश की तारीख 31.03.2015

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2012, (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम) 6.2.2012 को अधिसूचित किया। नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंन्द्रों की निम्नलिखित श्रेणियों के टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें और क्रियाविधि की व्यवस्था है:

क. पवन ऊर्जा परियोजनाएं
ख. लघु हाइड्रो परियोजनाएं
ग. बायोमास विद्युत परियोजनाएं
घ. गैर जीवाश्व ईंधन आधारित सह उत्पादन संयंत्र
ङ सौर फोटो वोल्टेक विद्युत परियोजनाएं
च. सौर थर्मल विद्युत परियोजनाएं
छ. बायोमास गैसफायर आधारित विद्युत परियोजनाएं
ज. बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम के विनियम 8 के खंड 1 में यह व्यवस्था है कि 'आयोग नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अग्रिम रूप से कम से कम

छह महीनों में स्वप्रेरणा याचिका के आधार पर जनेरिक टैरिफ अवधारित करेगा जिसके लिए विनिमयों के अंतर्गत मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं' आयोग ने 6.02.2012 को नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम अधिसूचित किया और उसके बाद नियंत्रण अवधि के प्रथम, द्वित्तीय और तृत्तीय वर्ष के लिए जैनेरिक स्वप्रेरणा आदेश जारी किया। नवीकरणीय ऊर्जा विनियमों के विनियम 8 (1) के अंतर्गत अधिदेश के निर्वहन में आयोग ने 31.3.2015 के आदेश के माध्यम से नियंत्रण अवधि के चौथे वर्ष (अर्थात् वितीय 2015–16) के लिए नवीरकरणीय ऊर्जा जनैरिक टैरिफ को अवधारित किया। टैरिफ के ब्यौरे **अनुबंध IX** में दिए गए हैं:

7.8 पारेषण :

7.8.I पारेषण टैरिफ:-

देश में पारेषण प्रणाली तेज गति से बढ़ रही है और आयोग टैरिफ तथा संयोजकता निर्बाध पहुंच, अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग और अननुसूचित अर्न्तबदल (यूआई) एवं ट्रूइंगअप याचिकाओं, टैरिफ के अवधारण से संबद्ध कार्यों को संचालित करता है।

आयोग ने 1.4.2014 से 31.03.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 12.03.2014 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 जारी किया। कई टैरिफ याचिकाएं पावरग्रिड द्वारा दाखिल की गईं और 31.3.2014 तक किए गए पूंजी व्यय की ट्रूइंगअप के लिए अन्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई और 2014–19 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए की गई।आयोग ने अनंतिम आदेश सहित अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध याचिकाओं में कई आदेश जारी किए। अधिकांश टैरिफ याचिकाएं टैरिफ अवधि 2009–14 से संबंधित पावर ग्रिड द्वारा दाखिल की गई और कई याचिकाएं 2014–15 के दौरान आरंभ की गई आस्तियों के अवधारण के लिए थी।

आयोग ने याचिका संख्या (एसएम/2012) में दिनांक 14.03.2012 के आदेश के माध्यम से पीओसी पारेषण प्रभारों में गैस आईएसटीएस लाईनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया और संवितरण के

लिए टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग के समक्ष उपयुक्त आवेदन दाखिल करने के लिए इन अंतराज्यिक लाईनों के स्वामियों को निर्देश दिया। उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, डीवीसी, केरल उत्तर प्रदेश असम, पंजाब ओडिशा आदि जैसे राज्यों में पीओसी संगणाओं में शामिल करने के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका दाखिल की। 18.03. 2015 को आयोग द्वारा जारी किया गया एक आदेश निम्नानुसार दिया गया है :

याचिका संख्या 213/टीटी/2013 : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2009 के अनुसार पीओसी पारेषण प्रभारों में समावेश के लिए याचिका संख्या 15/स्वप्रेरणा 2012 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 14.03.2012 के अनुसार विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए संयोगिक पारेषण लाइनों के हस्तक्षेप और अन्य राज्यों के साथ संबद्ध पारेषण लाइनों/तंत्र की स्वामित्व वाली आरवीपीएनएल के संबंध में टैरिफ का अवधारण।

आयोग ने राज्य प्रणालियों में विभिन्न कन्फ्रीगिरेशन की पारेषण लाइनों की कुल लंबाई और एआरआर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कंपनियों को निर्देश दिया है जिसके लिए एआरआर राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित है। तदनुसार सीकेटी किलोमीटर में पारेषण लंबाई के आधार पर और वर्ष 2009–10, 2010–11, 2012–13, और 2013–14 के लिए राज्य आयोग द्वारा अनुमोदन के आधार पर और संबंधित वर्षों के लिए लागत डाटा के आधार पर 1.07.2011 से 31.03.2012 की अवधि के लिए और वर्ष 2012–13 और 2013–14 की अवधि के लिए पारेषण आस्तियों के लिए वाईटीसी संगणित की गई थी।

उक्त आदेश में आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि याचिका संख्या 2013/टीटी/2013 में अपनाई गई प्रणाली पीओसी तंत्र में समावेश के प्रयोजन के लिए संबंधित आरपीसी द्वारा विधिवत प्रमाणित विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए प्रयुक्त अन्य एसटीयू द्वारा स्वामित्व लाइनों के लिए एक समान रूप से अपनाई जाएगी। इसके अलावा याचिका में कवर की गई आस्तियों के लिए अनुमत वार्षिक पारेषण प्रभार पर शेयरिंग विनियमों के अनुसार वाईटीसी पर विचार किया जाएगा और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित याचिकाकर्ता एआरआर में समायोजित किया जाएगा।

7.8.2मानिटंरिंग एवं ग्रिड अनुशासन का प्रवर्तन

अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में यह व्यवस्था है कि एनएलडीसी राष्ट्रीय ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा और प्रचालनों की मानिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी। और आरएलडीसी संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संमन्वित प्रचालन और प्रचालनों की मानिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी।

एनएलडीसी और आरएलडीसी ने कंपनियों द्वारा ग्रिड कोड के उल्लंघन के संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की। आयोग ने उल्लंघनों में शामिल पार्टियों की सुनवाई के बाद कंपनियों द्वारा ग्रिड अनुशासन की मानिटरिंग और प्रवर्तन के लिए कई आदेश जारी किए। आयोग के कुछ आदेश नीचे दिए गए हैं:

7.8.2.I याचिका संख्या 448/आरसी/2014 : दिनांक 21.02.2014 के आदेश के अनुपालन के के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए विनियामक अनुपालन आवेदन संख्या 220/एमपी/2012 में पारित किया गया।

पावर ग्रिड ने आरपीसी के आवश्यक निर्देशों की मांग करने के लिए याचिका संख्या 220/एमपी/2012 दाखिल कीः ;(i) संरक्षण लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को सुनिश्चित करना। (ii) 20 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार नियंत्रण प्रणाली एवं सभी प्रकार के सुरक्षा के कार्यान्वयन (iii) संबंधित संघटकों द्वारा ग्रिड की स्थिरता और विश्वनीयता के सुधार के लिए नियंत्रण प्रणाली और संरक्षण प्रणाली की दुरस्तता की मानिटंरिंग और (iv) समन्वित ग्रिड के स्थिर के और विश्वनीय प्रचालन के लिए प्रणाली में परिवर्तनों/संशोधनों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रणालियों के विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा।

आयोग ने दिनांक 21.02.2014 के आदेश के माध्यम से प्रत्येक एसटीयू और सीटीयू को निर्देश दिया कि इस आदेश को जारी करने के एक महीने के

अंदर प्रत्येक कमी के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करे जिसमें कमियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसे बिना किसी आवाप्ति के ठीक किया जा सके। (श्रेणी 1) और उपकरण की अवाप्ति को शामिल करते हुए कमियों(श्रेणी ख) को ठीक किया जा सके। आयोग ने शेष कमियों को ठीक करने के लिए निर्देश दिया कि इन्हें आदेश के जारी होने के दो महीने के अंदर श्रेणी 1 में शेष कमियों को ठीक किया जाए और आदेश के जारी होने के छह महीने के अंदर श्रेणी ख की कमियों को ठीक किया जाए। संबंधित आरपीसी को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि आवाप्ति प्रक्रिया में विलंब या निधियों की गैर उपलब्धता के कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान परामर्शदाता की प्रतिबद्धता को नोट करते हुए और कार्य को ठीक करने व अवाप्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कमियों को ठीक करने को पूरा करने के लिए 31.03.2015 तक की समय की अनुमति दी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की और समय बढ़ाने की अवधि स्वीकार नहीं की जाएगी। और याचिकाकर्ता को 31.03.2015 तक इस कार्य को सुनिश्चित करना होगा।

7.8.2.2 याचिका संख्या 005/एसएन/2014

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.4.2(घ) का गैर अनुपालन। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.4.2(घ) ग्रिड कोड में संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मांग प्रबंधन कार्यान्वयन की व्यवस्था है। आयोग के नोटिस में आया है कि स्वचालित मांग प्रबंधन योजनाएं या तो अप्रभावी है या कई अधिकांश राज्यों में अभी कार्यान्वित की जानी है। तदनुसार आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ सभी एसएलडीसी को स्वचालिक भार प्रबंधन योजना की मौजूद स्थिति को दाखिल करने का निर्देश दिया है। पार्टियों की सुनवाई के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है प्रत्यर्थी न केवल आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल हुए हैं बल्कि अधिनियम और ग्रिड कोड के अंतर्गत अपने उतरदायित्व का निर्वाह करने में भी असफल हुए है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने हमारे निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए और अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत स्वचालित भार प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियम और ग्रिड कोड के उपबंधों के गैर अनुपालन के लिए प्रत्यर्थी राज्य पारेषण कंपनियों/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

इस मामले पर सुनवाई 22.05.2014 को आयोजित की गई। आयोग अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

7.8.2.3 याचिका संख्या 006/एसएम/2014 : उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड तथा अंतरसंबंध भारतीय ग्रिड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.2(एन) का गैर अनुपालन

एनआरएलडीसी ने याचिका संख्या 221/एमपी/2012 दाखिल की जिसमें ग्रिड कोड के विनियम 5.2(एन) के अनुपालन के लिए राज्य कंपनियों को निदेश जारी करने की मांग की। पार्टियों की सुनवाई के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राज्य कंपनियों ने ग्रिड कोड के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया।

तदनुसार आयोग ने याचिका संख्या 221/एमपी/2012 में 23.12.2013 के आदेश के माध्यम से एसएलडीसी के प्रमुखों को और ग्रिड कोड के गैर अनुपालन के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मूकाश्मीर के एसटीयू के एमडी/सीएमडी तथा चंडीगढ़ के विद्युत विभाग के प्रमुख को अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

7.8.2.4 याचिका संख्या 008/एसएम/2014 में 20.06.2014 का आदेश ; विद्युत अधिनियम की धारा 29 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के विनियम 5.2(आर) 5.4.2 (ए)(जी)(एच) और (1), 6.4.12, 6.5.20, 6.5.27, 5.7.4(सी)(जी)(iv) और 4.6.3 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजकता के लिए तकनीकी मानदंड) विनियम 2007 के

विनियम 6 (4)(ए) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010 के विनियम 3(ई)

उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड लगभग 2 बजकर 30 मिनट पर दिनांक 30.07.2012 को खराब हुआ और उत्तरी, पूर्वी, और पश्चिमी और उत्तर–पूर्वी ग्रिडों में 31.7.2012 को लगभग 13:00 बजे खराबी आई। ग्रिड की खराबी से कई राज्यों में अंधेरा हो गया और लोगों को कई घंटो तक बिना बिजली के रहना पड़ा तथा इससे लोगों के जीवन में संचार व्यवस्था, अनिवार्य सेवाएं, उद्योग अर्थव्यवस्था और उनका जीवन प्रभावित हुआ। ग्रिड व्यवधान के प्रमाण और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्वतः अपनी ओर से कार्रवाई की और सीईओ पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लि(पोसोको) और सीईओ, केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) को निर्देश दिया की ग्रिड खराबी की जांच करें और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पोसोको और सीटीयू द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत जांच करने के बाद पोसोको ने 9.8.2012 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर और संबंधित पार्टियों की सुनवाई के बाद आयोग ने याचिका संख्या 167/एसएम/2012 में 22.2.2014 के आदेश के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हरियाणा, उ.प्र. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब मध्यप्रदेश, डब्ल्यूआरएलडीसी, एनआरएलडीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड ने विद्युत अधिनियम 2003, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010(ग्रिड कोड) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2007, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी मानक और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किया है।

मामले पर सुनवाई 30.9.2014 और 12.2.2015 को की गई सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थियों ने दोहराया कि उन्होंने याचिका संख्या 167/एसएम/2012 मे सुनवाई के दौरान/शपथ पत्र के माध्यम से निवेदन किया है। इसके अलावा सभी प्रत्यर्थियों ने यह भी बताया है कि उन्होंने विद्युत अधिनियम तथा ग्रिड कोड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी मानक और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) के अंतर्ग अपने सांविधिक कर्त्तव्यों का पूर्ण पालन करने का प्रयास किया है और उनको जारी किए गए निर्देशों का उन्होंने जानबूझकर गैर अनुपालन नहीं किया है।

आयोग ने याचिका संख्या 167/एसएम/2012 में 22.02.2014 के आदेश में राष्ट्रीय विद्युत समिति को निर्देश दिया कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सीईए, इंजीनियरिंग प्रभाग के प्रतिनिधियों तथा अन्य को शामिल करते हुए कार्यदल गठित किया जाए और ग्रिड स्थिरता के संबंध में तकनीकी अध्ययन किया जाए जिसमें व्यवधानपूर्ण परिदृश्य, 23.7.2012 से 31.7.2012 तक प्रत्येक आकस्मिकता पर विचार तथा पूर्वी क्षेत्र–पश्चिमी क्षेत्र, और पश्चिमी क्षेत्र–उत्तरी क्षेत्र पर टीटीसी उल्लंघन का प्रभाव और 400 बिना ग्वालियर लाइन की ट्रिपिंग के बाद कैस्केट ट्रिपिंग की सेम्यूलेशन को कवर किया जा रहा है। कार्यदल ने विस्तृत विद्युत प्रणाली अध्ययन किया जिसमें भार प्रवाह सिम्यूलेशन, एटीसी/टीटीसी उल्लंघन और आकस्मिकता विश्लेषण एवं स्थिरता अध्ययन से प्रणाली गतिशीलता इत्यादि को 23 जुलाई 2012 से 31 जुलाई 2012 तक की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रिड स्थितियों के लिए किया और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पश्चिमी क्षेत्र संघटकों की कम निकासी से उत्तरी क्षेत्र संघटकों द्वारा अधिक निकासी के लिए पर्याप्त कारिडोर की अनुमति हुई जिससे उत्तरी क्षेत्र– पश्चिमी क्षेत्र कारीडोर और पश्चिमी क्षेत्र–पूर्वी क्षेत्र कारीडोर में एटीसी/टीटीसी का उल्लंघन हुआ। यह स्थिति उत्तरी क्षेत्र –पश्चिमी क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण पारेषण लिंक के नियोजित आउटेज की अनुमति से हुई।

आयोग ने उपरिलिखित कंपनियों के समन्वित निष्क्रियता या जानबूझकर की गई लापरवाही जिससे 30 और 31 जुलाई 2012 को ग्रिड व्यवधान हुआ उसके लिए अप्रसन्नता व्यक्त की। इस संबंध में अंतिम आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा।

7.8.3 निर्बाध पहुंच का प्रवर्तन :

निर्बाध पहुंच, विद्युत अधिनियम, 2003 की एक आधारशिला है। आयोग को अंतरराज्यिक पारेषण प्रणालियों के लिए निर्बाध पहुंच को सुकर बनाने के कृत्य सौंपे गए है। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत

विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता, दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और उससे संबद्ध मामले) विनियम 2009 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 जारी किए गए जो अंतरराज्यिक पारेषण प्रणालियों में दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक पहुंच को सुकर बनाते हैं। 2014–15 की अवधि के दौरान आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए याचिकाओं का निपटान किया।

7.8.3.1 आईए न. 43/2014, 51/2014, 52/2014, 54/2014, 56/2014 और 59/2014 के साथ याचिका संख्या 92/एमपी/2014 में 16.2.2015 का आदेश : विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के यादृच्छिक मनाही के मामले में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करने, दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अंतर्गत याचिका।

7.8.3.2 याचिका संख्या 376/एमपी/2014 में 16.2.2015 का आदेश : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(के) और धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 (1)(ग) के अंतर्गत याचिका जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों को यादृच्छिक एवं अनुचित डेहोर्स के रूप में दिनांक 22.9.2014 के पत्र को घोषित करते हुए आदेश या उचित निर्देश की मांग की गई थी और केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा प्रस्तुत आईएसटीएस में संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने के लिए विस्तृत क्रियाविधि तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करने, दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 27 (1) के अंतर्गत इस आयोग द्वारा अनुमोदित किया।

7.8.3.3 याचिका संख्या 382/एम/2014 में दिनांक 16.2.2015 का आदेश : अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता, उत्पादन कंपनी, प्रत्यर्थी, केन्द्रीय पारेषण कंपनी और नोडल एंजेसी के बीच उत्पन्न विवादों के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अंतर्गत याचिका।

7.8.3.4 याचिका संख्या 393/एम/2014 में दिनांक 16.2.2015 का आदेश : अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता, उत्पादन कंपनी, प्रत्यर्थी, केन्द्रीय पारेषण कंपनी और नोडल एंजेसी के बीच उत्पन्न विवादों के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(के) और 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 (1)(ग) के अंतर्गत याचिका जिसमें अन्य बातों के साथ साथ विद्युत अधिनियम 2003 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करने, दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के उपबंधों के विपरीत और पक्षपातपूर्ण एवं अवैध यादृच्छिक, कपटपूर्ण, अवैध के रूप में 22.9.2014 के पत्र के माध्मय से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मौजूदा लाईनों लीलो पर एलटीए के आवंटन की घोषणा के आदेश या समुचित निर्देश की मांग की गई।

7.8.3.5 याचिका संख्या 25/आरपी/2014 में 16.2.2015 का आदेश : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करने, दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1)(एफ) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(1)(सी) के अंतर्गत याचिका जिसमें दिनांक 8.8.2014 और 5.9.2014 के मांगों की पुनरीक्षण की मांग की गई और जून 2013 में प्राप्त आवेदनों के लिए एमटीओए प्रदान करने की सैटिंअसाईड की मांग की गई।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि.(केएसईबीएल) में याचिका संख्या 92/एमपी/2014 में याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मनाही को चुनौती दी जिसके लिए केएसईबीएल की ओर से एनवीवीएन लि. और पीटीसी इंडिया लि. द्वारा आवेदन किए गए थे। केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मनाही से व्यथित होने पर याचिका संख्या 376/एमपी/2014, 382/एमपी/2014 और 392/एमपी/2014 और 25/आरपी/2014 को कुछ अन्य कंपनियों द्वारा दाखिल किया गया।

आयोग ने 16.2.2015 के आदेश के माध्यम से केन्द्रीय पारेषण कंपनी और सभी याचिकाकर्ताओं के मदों पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किए। आयोग ने कई मुद्दें जैसे जून 2014 माह में पारेषण मार्जिन की संगणना, दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए एटीसी की संगणना के लिए निर्माण के अंतर्गत प्रणाली पर विचार करना, अगले पात्र प्रत्यर्थी को अप्रयुक्त दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच क्षमता के आवंटन, विक्रय क्रय करार के रूप में एलओआई पर विचार करना, विद्युत बाजार के विकास के लिए एमटीओए और एसटीओए के लिए क्षमता का रिजर्वेशन, एनटीओए के लिए आवेदन करते समय आवेदन फीस के भुगतान का ढंग, लीलो व्यवस्था पर एलटीए प्रदान करना, क्षेत्र के परिवर्तन के लिए नए आवेदन की आवश्यकता एमटीओए और एलटीओए के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग, अंशतः एलटीए का प्रचालनीकरण, इसके निपटान पर अनआवंटित में से विद्युत मंत्रालय द्वारा आवंटित विद्युत का संव्यवहार तथा क्षेत्र की परिवर्तन की स्थिति में छोड़े गए प्रभारों का भुगतान पर विचार किया है।

7.8.3.6 याचिका संख्या 311/एमपी/2013 में 5.1.2015 का आदेश : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38(2)(सी)(डी) के साथ पठित 79 (एफ)सी के अंतर्गत याचिका और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करने, दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8.8 के परंतुक जिसमें आन्ध्र प्रदेश के श्री काकूल्लम राज्य में 2640 मेगावाट भावनपादू थर्मल पावर परियोजना से विद्युत की शून्यीकरण के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए प्रथ्यर्थी के विरुद्ध निर्देश की मांग की गई।

एक उत्पादन कंपनी याचिकाकर्त्ता प्रत्येक 1320 मेगावाट के 2 चरणों में भावनापादू थर्मल पावर परियोजना के 2640 मेगावाट का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रथम चरण के पहले और दूसरे यूनिट क्रमशः दिसम्बर 15 और मार्च 2016 में आरंभ किए जाने की लिए अधिसूचित है। दूसरा चरण पहले चरण के बाद 12 से 18 महीने के अंतराल के बाद तदन्तर आरंभ होने के लिए अनुसूचित है। याचिकाकर्त्ता ने सभी सरकारी और विनियामक क्लीयरैंस और अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और परियोजना अब निमार्णाधीन है। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा आफर की गई भूमि के प्लाट पर पूंलिग स्टेशन के निर्माण के लिए सीटीयू को निर्देश की प्रार्थना की है, सीटीयू के पूलिंग स्टेशन के लिए याचिकाकर्त्ता के उत्पादन केन्द्र से समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण के लिए सीटीयू को निर्देश दे और याचिकाकर्ता के लिए स्टार्टअप पावर प्रदान करने के लिए सीटीयू को निर्देश दे और बेज के निर्माण के लिए सीटीयू के पास याचिकाकर्ता द्वारा जमा धन की वापसी के लिए सीटीयू को निर्देश दे।

11.10.2007 को याचिकाकर्ता ने आन्ध्रप्रदेश राजस्थान, कर्नाटक पंजाब और गोवा को विद्युत की बिक्री के लिए एनटीए प्रदान करने के लिए पावरग्रिड सीटीयू को आवेदन प्रस्तुत किया। 18.2.2009 को उत्पादन विकासकर्ता के साथ सीटीयू द्वारा बैठक आयोजित की गई जिसमें दक्षिण क्षेत्र में सिरीकाकुल्लम और पूर्व गोदावरी में स्थित दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच की मांग की गई। उक्त बैठक में यह संकेत दिया गया कि प्रथम दृष्टया 2 गुणा 765 केवी पूलिंग स्टेशनों की स्थापना की अपेक्षा होगी।(2) पूर्वी गोदावरी राज्य में एक 765 केवी पूलिंग स्टेशन और आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुल्लम राज्य में दूसरा। पीजीसीआईएल द्वारा प्रस्तुति के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि पूलिंग स्टेशन का स्थान किस प्रकार से चयन किए जाने की अपेक्षा होगी कि परिसर में परियोजनाओं को विद्युत को समर्पित पारेषण लाइनों के माध्यम से पूलिंग स्टेशन की ओर सरलता से लाया जा सकता है।

आयोग ने 5.1.2015 के आदेश के माध्यम से उत्पादन स्विच यार्ड में पूलिंग स्टेशन के निर्माण के लिए सीटीयू को निर्देश देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को रद्द किया। आयोग ने यह पाया कि

याचिकाकर्ता ने क्रमशः 5.6.2011 और 13.1.2014 को विद्युत मंत्रालय से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 और धारा 164 के अधीन पहले ही अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और श्रीकुकुल्म पूलिंग स्टेशन के लिए उत्पादन स्विचयार्ड से इसकी समर्पित पारेषण लाइन के लिए याचिकाकर्ता को आदेश दिया है जो बीपीटीए के अनुसार इसकी परिधि में आती है। श्रीकाकुल्म में 400 केवी उपकेन्द्र में 2 बेज के निर्माण के लिए अग्रिम रूप से प्रदत्त धन की वापसी के लिए सीटीयू को निर्देश देने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना रद्द कर दी गई। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया कि यह याचिकाकर्ता का उत्तरदायित्व है कि वह उत्पादन परियोजना को आंरभ करने के लिए स्टाटअप पावर की व्यवस्था करें और इस संबंध में कोई निर्देश सीटीयू को जारी नहीं किए जा सकते।

7.8.3.7 याचिका संख्या 187/एमपी/2014 में 11.9.2014 का आदेश : धारा 79 (आई)(के) के साथ पठित धारा 66 के अंतर्गत याचिका और विद्युत अधिनियम 2003 की अन्य उपयुक्त उपबंधों के अंतर्गत याचिका जिसमें उचित आदेशों/निर्देशों को पारित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की मांग की गई ताकि भूटान में दग्छू हाइड्रो पावर कार्पोरेशन द्वारा विकसित की जा रही हाइड्रो उत्पादन परियोजना से विद्युत के आयात के लिए याचिकाकर्ता समर्थ हो सके।

याचिकाकर्ता, टाटा पावर कंपनी लि. और ड्रग ग्रीन पावर कार्पोरेशन लि. (भूटान उपक्रम की एक रायल सरकार) की पूणतः निजी स्वामित्व की अनुषंगी ने जेवी अर्थात भूटान में 126 मेगावाट हाइड्रोपावर परियोजना के विकास के लिए दाग्छू हाइड्रो पावर कार्पोरेशन में प्रवेश किया। याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि परियोजना प्रारंभ होने की उन्नत स्थिति में है और शीघ्र ही वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किए जाने की संभावना है। डीएचपीसी से विद्युत के आयात के उद्देश्य से याचिकाकर्ता ने संयोजकता और निर्बाध पहुंच के लिए कई अवसरों पर पीजीसीआईएल, ईआरएलडीसी और ईआरपीसी सहित संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने भूटान से आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्युत मंत्रालय से संपर्क किया। जिससे विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया कि भूटान से विद्युत के आयात के लिए डीजीएफटी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि डीएचपीसी से अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने पोसोको को निर्बाध पहुंच और संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया। जिसमें याचिकाकर्ता को डीएचपीसी से विद्युत की आयात के लिए पर्याप्त तंत्र अवधारण के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए सलाह दी। पार्टियों की सुनवाई के बाद आयोग ने याचिकाकर्ता, पोसोको और ईआरपीसी को निर्देश दिया कि सामाधान के लिए आयोग के स्टाफ की उपस्थिति में अंतर्गस्त मुद्दों पर विचार विमर्श करें।

इस संबंध में एक बैठक 4 और 5 सितम्बर 2014 को की गई जिसमें अंतरिम व्यवस्था की गई। अंतरिम व्यवस्था के संबंध में पार्टियों में एक मद को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अगले आदेश तक दाग्छू परियोजना से अंतःक्षेपित विद्युत की ऊर्जा लेखांकन और अनुसूचीकरण के लिए अंतरिम व्यवस्था को अनुमोदित किया। आयोग ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया कि दो लेखांकन चक्रों के लिए प्रादेशिक ऊर्जा लेखों को तैयार करने के बाद अंतरिम व्यवस्था के बादे में आयोग को सूचित करें। आयोग को दूसरे चक्र के लिए प्रादेशिक ऊर्जा लेखा को जारी करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंतरिम व्यवस्था के कार्य के बारे में सूचित किया जाएगा। उसके बाद आयोग यथापेक्षित विचार करेगा।

7.8.3.8 निर्बाध पहुंच प्रवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाएं : निर्बाध पहुंच प्रवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाएं वर्ष 2014–15 के दौरान निर्बाध पहुंच प्रवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाओं में आईए संख्या 19/2014 के साथ याचिका संख्या एमपी/0एससी/2014 याचिका संख्या 52/एमपी/2014, याचिका संख्या 83/एमपी/2013 इत्यादि शामिल हैं।

7.8.4 पारेषण आस्ति के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन

7.8.4.1 याचिका संख्या 153/एमपी/2013 में 24.7.2014 का आदेश : एनसीसी पावर परियोजना लि. को संयोजकता प्रदान करने सहित संयोजकता में अपेक्षित पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय

विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करना दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और संमद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(केन्द्रीय पारेषण कंपनियों को अंतरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 के अधीन अनुमोदन।

याचिकाकर्ता पावर ग्रिड ने चुनिंदा पारेषण प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए और पीओसी प्रभार प्रणाली विज्ञान में आस्तियों को शामिल करने के लिए निवेदन करने के लिए उपरिलिखित याचिका दाखिल की है।

याचिकाकर्ता ने एनसीसी विद्युत परियोजना लि. के लिए पारेषण प्रणाली हेतु विनियामक अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। हमारा यह विचार है कि विद्युत इन कारिडोरों की स्थापना के कारण उपलब्ध होगा और विशेष रूप में उद्योग के विकास में और समग्र रूप में अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध होगा। विद्युत परियोजना तटीय क्षेत्रों में स्थित है और इन परियोजनाओं से विद्युत को दक्षिण या राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से क्षेत्रों में भार केन्द्रों में लाया जाना है जिसके लिए पारेषण प्रणाली का विकास अपेक्षित है इसलिए पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता है ताकि उत्पादन केन्द्र से उत्पादन कड़ा न हो। तदनुसार हम एनसीसी विद्युत परियोजना लि. के लिए संयोजकता हेतु पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन विनियमों के विनियम 3 और 6 के साथ पठित संयोजकता विनियमों के विनियम 8 (8) के अधीन विनियामक अनुमोदन की सहमति प्रदान करते हैं।

याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा अधिसूचित टीएसए के अंतर्गत पारेषण प्रणाली को शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का निवेदन किया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि ये योजनाएं सीटीयू और सीईए द्वारा पारेषण प्रणाली की समन्वित योजना का भाग है इसलिए पारेषण प्रणाली शेयरिंग विनियमों के अंतर्गत इस आयोग द्वारा अनुमोदिन टीएसए का भाग होगी। हम आईपीपी के उत्पादन परियोजना की प्रगति सहित संयोजकता लाइन की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीटीयू को निर्देश दे सकते है।

आयोग ने यह पाया है कि याचिकाकर्ता ने अत्यंत विलंब से विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की है। एलटीए जून 2012 में प्रदान किया गया था और तदनुसार उसी माह में आधिकारिक समिति में परियोजना के लिए विनियामक अनुमोदन की मांग के लिए सीटीयू को निर्देश दिया था। तथापि याचिकाकर्ता ने अगस्त 2013 माह में मौजूदा याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता समय से पारेषण प्रणाली के कार्यानिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन की मांग करने के संबंध में अपनी कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल रहा। विनियामक अनुमोदन बोली के लिए प्रोसेसिंग से पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिए। अब स्थिति में जब उत्पादन केन्द्र निर्माण की उन्नत स्थिति में है तो कार्य के निष्पादन में किसी प्रकार विद्युत में व्यवधान उत्पन्न करना होगा। यह अधिनियम की धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट गतिविधियों के समन्वय के लिए सीटीयू का हिस्सा होगा और समय से कार्रवाई के लिए आईएसटीएस अनुज्ञप्ति के रूप में पीजीसीआईएल को सलाह देगा। आयोग ने सीटीयू और पीजीसीआईएल को निर्देश दिया कि इस आदेश के जारी होने के 15 दिन के अंदर इस संबंध में समुचित कार्रवाई न करने के लिए कारणों को स्पष्ट किया।

7.8.4.2 29/एमपी/2015 : विद्युत की धारा 79 (1)(सी)(के) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38(2) की याचिका (i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(केन्द्रीय पारेषण कंपनियों को अंतरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग कारबार का संचालन, विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 है। (iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग और हानियां) विनियम 2010 अंततपुर राज्य आंध्रप्रदेश में 1000 मेगावाट की क्षमता वाले अल्ट्रामेगा सौर विद्युत पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के कार्यनिष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना।

यह याचिका 8.1.2015 को पावर ग्रिड द्वारा दाखिल की गई जिसमें याचिकाकर्ता को सौंपी गई पारेषण प्रणाली के कार्यनिष्पादन के लिए विनियम अनुमोदन प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। पीओसी तंत्र में आस्ति को शामिल करने के लिए

अनुमोदन प्रदान करने का निवेदन किया गया। यह याचिका 10.2.2015 को सुनवाई के लिए आई जिसमें आयोग द्वारा यह स्वीकार किया गया। इस संबंध में सुनवाई जारी है और इस संबंध में अंतिम आदेश सुनवाई पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

7.8.5 पुनरीक्षण याचिकाएं

7.8.5.I याचिका संख्या 263/एमपी/2012 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 7/आरपी/2014 में 24.12.2014 का आदेश : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) के विनियम 5.2 के अनुसार दक्षिण क्षेत्र में समन्वित सुरक्षित ग्रिड प्रचालन को सुरक्षित करने और रखरखाव से संबंधित याचिका संख्या 263/एमपी/2012 में 19.12.2013 के आदेश का पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता, राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐपट्रेंस्कों इस पुनरीक्षण याचिका को दाखिल किया। जिसमें याचिका संख्या 263/एमपी 2012 में जिसमें दिनांक 19.12.2013 के आयोग के आदेश की पुनरीक्षण की मांग की गई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आयोग ने दक्षिण क्षेत्र के संघटकों को निर्देश दिया जिसमें यूएफआर की स्थापना के लिए अधिक फीडरों का पता लगाने के लिए पुनरीक्षण याचिका और समय समय से एसआरपीसी द्वारा यथानिर्णित राहत सुनिश्चित करने के लिए डीएफ/डीटी रिले तथा दक्षिण प्रादेशिक विद्युत समिति को ब्यौर प्रस्तुत करना शामिल है। संघटकों को यह निर्देश दिया गया कि एसआरएलडीसी और एसआरपीसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जिसमें एयूएफआर द्वारा राहत की मात्रा के कार्यान्वयन और डीएफ/डीटी रिले की उचित कार्यप्रणाली को आदेश जारी होने के एक माह के अंदर दिया जाए।

पुनरीक्षण याचिका का मुख्य तर्क इस आधार पर था कि इस प्रतिवाद आदेश में औसत मूल्य के आधार पर लक्षित मात्रा के निर्धारण में आयोग द्वारा पुनरीक्षण अपेक्षित है। चूंकि इससे आयोग के निर्देश का कार्यान्वयन असंभव हो जाएगा। यदि लक्षित मात्रा अधिकतम मांग स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है तो आयोग के निर्देशों का कार्यान्वयन संभव है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता, एसआरएलडीसी, एसआरपीसी एसएलडीसी और सीईए की सुनवाई के बाद आयोग ने यह पाया कि विशेषज्ञ का यह मत है कि यूएफआर व्यवस्था या तो औसत भार या न्यूनतम भार पर होनी चाहिए और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के मत तक सीमित नहीं हो कि यूएफआर व्यवस्था अधिकतम भार के आधार पर होनी चाहिए। एसआरपीसी और एसआरडीसी ने औसत आधार पर भार राहत की सिफारिश की। मुख्य याचिका में 9.4. 2013 को सुनवाई के दौरान एसआरएलडीसी ने यह निवेदन किया कि एसआरएलडीसी की पीसीसी/ओसीसी की बैठक के दौरान पुनरीक्षण याचिकाकर्ता यूएफआर प्रचालन के लिए फीडरों में औसत भार के लिए सहमत हो गया। इसलिए हम यह अनुभव करते हैं कि औसत भार पर व्यवस्थित यूएफआर कार्यान्वित किया जा सकता है और तदनुसार हम 19.12.2013 के अपने आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पाते हैं।

आयोग ने यह भी पाया कि यूएफआर और डीएफ/डीटी रिले ग्रिड की जीवन बचाव सुरक्षा योजना है और किसी बड़े ग्रिड व्यवधान के लिए सुरक्षित है और हम यह पाते हैं कि सामान्यतः सीमित दृष्टिकोण सुरक्षा तंत्र के अंतिम लाइन के संबंध में अपनाए जाने की आवश्यकता है इसलिए यह तथ्य है कि प्रचलित फ्रिक्वेंसी क्षेत्र के अंतर्गत इन रिले का प्रचालन सामान्य प्रचालन के दौरान विद्युत कंपनियों के लिए असुविधा का कारण होने के लिए संभावित नहीं है और इन रिलेज के प्रचालन की आवश्यकता केवल आपात स्थितियों के दौरान उत्पन्न होती है। हमारा यह विचार है कि सीमित दृष्टिकोण सुरक्षा तंत्र के अंतिम लाइन के संबंध में सामान्यतः अपनाया जाना चाहिए ताकि वांछित भार राहत सभी आकस्मिकताओं में उपलब्ध हो सके।

7.8.5.2 याचिका संख्या 211/एमपी/2011 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 2/2014 में दिनांक 1.8.2014 का आदेश याचिका संख्या 2011/एमपी/2011 में माननीय आयोग द्वारा पारित 20.11.2013 के आदेश का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता राज्य भार प्रेषण केन्द्र गुजरात ने इस पुनरीक्षण याचिका को दाखिल किया जिसमें याचिका संख्या 208/एसएम/2011 में 18.12.2013 के आयोग के आदेश की पुनरीक्षण की मांग की जिसमें आयोग ने प्रत्यर्थी राज्यों के एसटीयू/एसएलडीसी के प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम

2003 की धारा 142 के अधीन कार्रवाई आरंभ करने के लिए मामले को प्रोसेस करने के लिए आयोग के स्टाफ को निर्देश दिया। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि 7.8.2013 का आदेश संख्या 246/एमपी/2009 और रिकार्ड पर विभिन्न अन्य सामग्री सहित कार्रवाइयों के पूर्ववर्ती रिकार्ड पर विचार किए बिना आयोग द्वारा पारित किया गया जो रिकार्ड के अंश पर स्पष्ट त्रुटि है । पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि 18.12.2013 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए अन्यथा पर्याप्त कारण है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने आगे निवेदन किया कि आयोग ने याचिका संख्या 246/एमपी/2009 ने 7.08.2013 के आदेश में योजना भार प्रबंधन और आकस्मिकता उपायों के लिए राज्य की वितरण कंपनियों और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को नोट किया है और एसएलडीसी और वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि एडीएमएस जैसी राज्य मांग प्रबंधन योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करे। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि उक्त आदेश अनुपालन के लिए राज्य की वितरण कंपनियों को भेजा गया था। चूंकि वे एबीएमएस के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के सुनवाई के बाद आयोग ने यह पाया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता वितरण कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित एडीएमएस प्राप्त करने में सफल नहीं रहा तथापि रिकार्ड के दस्तावेजों से यह सामने आया कि एसएलडीसी गुजरात ने इसकी वितरण कंपनियों द्वारा कार्यान्वित एडीएमएस प्राप्त करने में प्रामाणिक प्रयास किए हैं। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने एडीएमएस के कार्यान्वयन के लिए कुछेक पद्धतियां भी जारी की है। एडीएमएस को कार्यान्वित करने के लिए एसएलडीसी गुजरात की प्रतिबद्धता सहित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आयोग ने यह पाया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम की धारा 142 के अधीन कार्रवाई आरंभ नहीं की जाएगी। तदनुसार आयोग ने यह निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 142 के अधीन नोटिस पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी न किया जाए। इसी के साथ आयोग ने जनवरी 2015 तक योजना के पूर्णतः कार्यान्वयन के लिए पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को निर्देश दिया और डब्ल्यूआरपीसी सचिवालय को द्विमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा आयोग एवं डब्ल्यूआरएलडीसी को उसकी प्रति भेजने का निर्देश दिया। आयोग ने योजना के कार्यान्वयन को मानिटर करने के लिए डब्ल्यूआरपीसी और डब्ल्यूआरएलडीसी को निर्देश दिया और कार्यान्वयन में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। भविष्य में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के अंश पर किसी प्रकार की ढील को गंभीरता से लिया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

7.8.6 पारेषण अनुज्ञप्ति

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए धारा 15 के अंतर्गत किए गए आवेदन पर प्रदान कर सकता है। (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषण के लिए या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के वितरण के लिए या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत में व्यापार के लिए

वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग ने पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दरभंगा मोतीहरी पारेषण कंपनी लि, आरएपीपी पारेषण कंपनी लि., उंचार पारेषण लि., पुरलियां, खडकपुर पारेषण कंपनी लि. विचार पारेषण लि., कुदगी पारेषण लि., जैसी कंपनियों को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की।

आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लि. द्वारा याचिका संख्या 81/पीएल/2014 में आयोग ने कंपनी को पारेषण अनुज्ञप्ति 3.12.2014 के आदेश को मना किया। याचिकाकर्ता तमिलनाडु के कुददालोर राज्य में 1200 मेगावाट(2x600) मेगावाट के कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र का कार्यान्वन कर रहा है। उत्पादन परियोजना के भाग के रूप में यह पावर ग्रिड के नागापटनम पूलिंग स्टेशन के केडालोर थर्मल पावर परियोजना से समर्पित 400 केवी क्वेद मूज डी/सी पारेषण 48 किलोमीटर को कार्यान्वित कर रहा है। याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 (8) में याचिका दाखिल की है जिसमें यह व्यवस्था है कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से भिन्न 500 मेगावाट और उससे अधिक के थर्मल उत्पादन केन्द्र से प्वाइंट आफ कनैक्शन के लिए समर्पित पारेषण लाईन के निर्माण की अपेक्षा नहीं होगी और इस प्रकार की लाइन केन्द्रीय पारेषण कंपनी और केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण द्वारा समन्वित पारेषण योजना के लिए परिगणित नहीं होगी। आयोग ने पार्टियों की सुनवाई के बाद यह पाया कि पीजीसीआईएल की नागापटना पूलिंग स्टेशन तक याचिकाकर्ता के उत्पादन केन्द्र से पारेषण लाइन अनन्य रूप से याचिकाकर्ता के उत्पादन केन्द्र से विद्युत के शून्यीकरण से समर्पित पारेषण लाईन है। पीजीसीआईएल के साथ याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित बीपीटीए के अनुसार समर्पित पारेषण लाइन परियोजना विकासकर्ता की सीमा के अंतर्गत आती है। याचिकाकर्ता ने पारेषण लाइन के निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 68 और 164 के अधीन विद्युत मंत्रालय से आवश्यक क्लीयरैंस प्राप्त की है। याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में समर्थ नहीं हुआ कि विषयगत पारेषण लाइन अन्य उत्पादक द्वारा या याचिकाकर्ता के उत्पादन केन्द्र को छोड़कर विद्युत के पारेषण के लिए प्रयुक्त की जाएगी। इस प्रकार विषयगत पारेषण लाइन पावर ग्रिड के पूलिंग गेट तक याचिकाकर्ता के उत्पादन केन्द्र तक विद्युत के शून्यीकरण के लिए समर्पित पारेषण लाइन बनी रहती है। इसके अलावा 16.11.2010 को आयोजित एसआरपीसी की ग्यारवीं बैठक में पीजीसीआईएल द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादन योजनाओं के संबंध में समर्पित पारेषण योजना संबंधित विकासकर्ताओं की सीमा के अधीन आएंगी। नोडल एजेंसी के रूप में सीटीयू विकासकर्ताओं की ओर से परियोजना को निष्पादित करेंगे और यदि प्रमोटर पीजीसीआईएल के विनिर्दिष्ट समय लाइन से पूर्व संयोजकता को वरीयता देते हैं तो वे स्वयं संबंद्धता लाइनों का निर्माण कर सकते हैं।

पारेषण अनुज्ञप्ति विनियमों के विनियम 6 के खंड (ग) के अनुसार जब उत्पादन कंपनी द्वारा निर्मित समर्पित पारेषण लाइन मुख्य पारेषण लाइन के रूप में प्रयुक्त की जानी होती है और अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में की जानी होती है तो उत्पादन कंपनी को इस प्रकार की समर्पित पारेषण लाइन के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विचार किया जाए। खंड (ग) में उपबंध पारेषण आस्तियों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और विद्युत क्षेत्र में पारेषण खंड में मितव्ययिता और कार्यकुशलता को उन्नत करने के लिए अभीष्ट है। इस प्रकार के मामलों में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए दो शर्तें पूरी की जानी आवश्यक है अर्थात क) मुख्य पारेषण लाइन के रूप में पारेषण लाइन का उपयोग और ख) अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के रूप में लाइन का संव्यवहार। याचिकाकर्ता की पारेषण लाइन इसकी उत्पादन केन्द्र से विद्युत के शून्यीकरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाएगी। उत्पादन केन्द्र का बस भार किसी अन्य पारेषण लाइन या अन्य उत्पादक से संबद्ध नहीं है इसलिए पारेषण लाइन अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त नहीं की जा रही है ताकि इसे मुख्य पारेषण लाइन के रूप में माना जाए। आईएसटीएस के रूप में पारेषण लाइन के संव्यवहार के रूप में यह नोट किया गया कि यह अधिनियम की अधारा 2(36) की किसी शर्त को पूरा नहीं किया। इसलिए पारेषण लाइन को आईएसटीएस के रूप में नहीं माना जा सकता।

7.8.6 स्वप्रेरणा याचिकाएं:

7.8.6.I याचिका संख्या 331/एसएम/2013 में 15.10.2014 का आदेश : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कियाविधि, निबंधन और शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 का गैर अनुपालन।

रायचुर शोलापुर पारेषण लाइन के निष्पादन की प्रगति के संबंध में 30.9.2013 के आदेश के मामले में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुरोध के आधार पर आयोग ने दिनांक 10.12.2013 के आदेश के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कियाविधि, निबंधन और शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 10(2) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध मौजूदा स्वप्रेरणा कार्रवाइयों की पहल की ताकि उक्त पारेषण लाइन को शेष भारतीय ग्रिड सहित दक्षिण क्षेत्र के सिन्क्रोनस समाकलन के लिए यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। मामले की 7.01.2014, 13.02.2014, 13.03.2014. 15.04.2014,22.05.2014, 11.07.2014 को सुनवाई की गई और आयोग ने परियोजना को पूरा करने के लिए समय समय से निर्देश जारी किए। 11.7.2014 को सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि पारेषण लाइन आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्यर्थियों ने 18.7.2014 के शपथ पत्र के माध्यम से निवेदन किया

कि पारेषण लाइन के पूरा होने के बाद सीईए निरीक्षण को 27.6.2014 और 28.6.2014 को कार्यान्वित किया गया। चार्ज करने के लिए अनुमोदन 29.6.2014 को सीईए द्वारा प्रदान किया गया और लाइन को 30.06.2014 को आरंभ किया गया। प्रत्यर्थियों ने निवेदन किया कि पारेषण लाइनों का वाणिज्यिक प्रचालन टीएसए के खंड 6.2 के साथ पठित खंड 4.4 के अनुसार अनुमति योग्य अवधि के अंदर प्राप्त किया गया है। प्रत्यर्थियों ने निवेदन किया कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से पारेषण तत्व के ट्रायल प्रचालन के पूरा होने के प्रमाण पत्र के लिए संपर्क किया है और वह अनिर्णीत है। प्रत्यर्थियों ने यह निवेदन किया है कि लाइन प्रचालनीय है और लगभग 500 मेगावाट विद्युत पोसोको द्वारा प्रदान किए जाने वाले सही डाटा के आधार पर पुष्टि के अध्यधीन प्रवाहित की जा रही है।

प्रत्यर्थी के निवेदन पर विचार करने के बाद आयोग ने यह पाया कि 765 केवी एस/सी रायचुर शोलपुर पारेषण लाइन पूरी हो गई और चार्ज हो गई है और लगभग 500 मेगावाट विद्युत के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। सीटीयू के प्रतिनिधि ने यह भी पुष्टि की कि लाइन प्रचालन में रखी गई है और इसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है। प्रत्यर्थियों ने 9.8.2014 के पत्र के माध्यम से एनएलडीसी सफल ट्रायल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया उक्त पत्र के अनुसार 765 केवी एस/सी रायचुर शोलापुर लाइन को 30.6.2014 को ऊर्जा प्रदान की गई और इस पारेषण लाइन का वाणिज्यिक प्रचालन 1.7.2014 को अधिसूचित किया।

7.8.6.2 याचिका संख्या एसएम/011/2014 में 12.8.2014 का आदेश : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38 और 39 का गैर अनुपालन

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38 और 39 में यह व्यवस्था है कि सीटीयू और एसटीयू एक दूसरे के साथ और अन्य एजेसिंयों के साथ समन्वय करेंगे ताकि आईएसटीएस और संबद्ध डाउनस्ट्रीम/अपस्ट्रीम अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन सही समयफ्रेम किया जा सके ताकि कोई भी आस्ति स्ट्रेंड या प्रयुक्त न रहे और पारेषण योजना का अभीष्ट प्रयोग/ उपयोग किया जा सके।

याचिका संख्या 89/टीटी/2012 में आयोग के नोटिस में आया है कि पावर ग्रिड ने सोहवाल उपकेन्द्र और जयपुर दक्षिण केन्द्र प्रत्येक में छह 220 केवी के कार्य को पूरा किया है जिसके लिए डाटनस्टीन प्रणालियां अपूर्ण थी। इसके अलावा पीओसी तंत्र में समाविष्टी के लिए पारेषण टैरिफ प्रदान करने के लिए 12.6.2014 को याचिका संख्या 28/टीटी/2014, 99/टीटी/2014, 100/टीटी/2014, 107/टीटी/2014 की सुनवाई के दौरान हमीदपुर उपकेन्द्र, कोर्टपुतली उपकेन्द्र 765 केवी एस/सी बरेली – 400 केवी स्तर पर लखनऊ पारेषण लाइन से संबद्ध डाउनस्टीन आस्तियों के पूरा न होने के कारण कड़ा मुद्दा और 400 केवी डी/सी बरेली न्यू–बरेली (वर्तमान) पारेषण लाइन का एक सर्कट बनाया गया है।

आयोग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीटीयू, एसटीयू को इस संबंध में अपने स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया और प्रत्येक पार्टी द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के प्रमाण और इस प्रकार के समन्वय के आधार पर की गई कार्रवाई के प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपरिलिखित याचिका में सुनवाई 23.9.2014, 08.01.2015 और 12.2.2015 को की गई। आयोग ने संबंधित पार्टियों की सुनवाई के बाद यह पाया कि आईएसटीएस के बेज डाउनस्टीम प्रणाली में अप्रयुक्त बने हुए हैं चूंकि एसटीयू प्रणाली समय से नहीं आई। यह एसटीयू का उत्तरदायित्व है कि आईएसटीएस प्रणाली से मिलान करने के लिए समय से अपनी प्रणालियों को लाएं। आयोग इस संबंध में अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

7.8.6.3 याचिका संख्या 9/एसएम/2014 में 19.6.2014 का आदेश : 30.05.2014 में उत्तरी क्षेत्र में भार क्रेश की जांच

आयोग ने 19.6.2014 के आदेश के माध्यम से यह पाया कि 16.00 घंटे से 19.00 घंटे में 30.5.2014 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तरी क्षेत्र ग्रिड ने वर्षा,आंधी/अंधर के कारण अत्यधिक मांग क्रेश का अनुभव किया जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड और दिल्ली में रहा। यह मांग 16.40 घंटे पर कम होना आरंभ हुई और लगभग 17.15 घंटों पर न्यूनतम हो गई अत्यधिक मांग कमी से

पूरी प्रणाली में उच्च वोल्टेज फैल गई। प्रणाली फ्रिक्वेंसी ने 17.05 घंटे पर 50.65 एचजैड के स्तर को छू लिया। यह भी नोट किया गया कि उत्तरी क्षेत्र मांग लगभग 200 मेगावाट/ न्यूनतम दर पर तेजी से कम होना आरंभ हुई और 17.15 घंटे पर 32780 मेगावाट पर पहुंच गई। जो लगभग परवर्ती दिन के तदनुरूपी समय पर मांग से लगभग 8000 मेगावाट कम थी और यह विद्युत उच्च फ्रिक्वेंसी और प्रणाली में उच्च वोल्टेज में परिणत हो गई।

ये नोटिस किया गया है कि इस अवधि के दौरान एक एचवीडीपी बाई पोल लाइन सहित 68 एसी पारेषण लाइन ट्रिप हुई जिससे दिल्ली में 3500 मेगावाट सहित उत्तरी क्षेत्र में लगभग 8000 मेगावाट का भार क्रेश हुआ। भारतीय मीटरलाजिकल विभाग और नवकास्ट के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के सभी संघटक को तूफान की संभावना के बारे में सतर्क कर दिया गया है। भार क्रेश रिपोर्ट के अनुसार तूफान से कई टावरों को क्षति हुई जिसमें 765 केवी के दो टावर और 400 केवी लाइन का एक और दिल्ली में 220 केवी पारेषण लाइन के विभिन्न 10 टावर शामिल हैं। पारेषण टावरों तथा पारेषण टावरों का टूटना और इस प्रकार के लाइनों की ट्रिपिंग काफी चेतावनी पूर्ण है और इसे विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

उपरिलिखित याचिका में 14.10.2014 को की गई सुनवाई के दौरान पावर ग्रिड के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि 30.5.2014 को टावर पवन की उच्च सघनता के कारण गिर गए और ये टावर पवन जोन 4 के लिए डिजायन किए गए थे जो 169 किलोमीटर/ घंटे पवन गति के अनुरूप थे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि टावर डिजायन 50 वर्षों की विश्वसनीयता अवधि के आईएस मानकों के अनुरूप थे और आईएमजी डाटा पर विचार करते हुए थे जिसने विभिन्न पवन अंचलों में देश को विभक्त किया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि पारेषण लाइने और टावर उचित पवन अंचलों के आधार पर डिजायन की गई है। सीईए के प्रतिनिधि ने यह निवेदन किया कि 1997 के पूर्व पारेषण टावर 3 पवन अंचलों पर विचार करने के बाद डिजायन किए गए थे। तथापि 1997 में देश को 6 पवन अंचलों में डीमार्क किया गया और अब टावरों को 400 केवी लाइनों के लिए '1' और 765 केवी के लिए '2' के विश्वसनीय घटक पर विचार करते हुए डिजायन किया गया। 765 केवी गया फतेहपुर लाइन में टावरक्षति को 19.6. 2014 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया और इस संबंध में रिपोर्ट आयोग के समक्ष आज पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है। पोसोको के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि राष्ट्रीय विद्युत योजना 2007 के अनुसार एन2 मानदंड बड़े उत्पादन केन्द्रों (3000 मेगावाट) मल्टीलाइन कारिडोर (3 डीसी लाइन या अधिक) के लिए अपनाए जाने की आवश्यकता है। तथापि इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया और इसे पारेषण प्रणाली की योजना बनाते समय विचार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्यर्थियों की सुनवाई के बाद आयोग ने यह पाया कि 15 टावर 31.5.2014 को 765 केवी गया फतेहपुर लाइन पर ढह गए और विस्तार में इस मुद्दें पर जांच के लिए सीईए को निर्देश दिया और 30.11. 2014 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने पीजीसीआईएल को निर्देश दिया कि वह विस्तार से सीईए के साथ समन्वय करते हुए जांच करे और संरचनात्मक तथा कामगार कार्य करने के पहलू प्रयुक्त की गई सामग्री और ओएंडएम प्रणालियों पर विचार करते हुए 30.5.2014 और 31.5. 2014 को टावरों की असफलता को प्रस्तुत करे तथा 14.10.2014 के आरओपी के मुद्दें की 3 महीने के अंदर रिपोट्र प्रस्तुत करे और उपचारी उपायों का सुझाव दें। आयोग इस संबंध में अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

7.8.7 कुछ महत्वपूर्ण मामलों का संक्षिप्त विवरण जिसमें केविविआ के निर्णय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रखे गए :

7.8.7.I 2014 की अपील संख्या 78– मैसर्स एडी हाइड्रो पावर लि. बनाम केविविआ

मैसर्स एडी हाइड्रो पावर लि. ने अपनी याचिका संख्या 180/एमपी/2013 में आयोग के समक्ष प्रार्थना की कि केविविआ (पारेषण प्रभारों की शेयरिंग और हानियां) विनियम 2010 (शेयरिंग विनियम) में आवश्यक उपबंध विभिन्न प्रकार के उत्पादकों को स्तर निर्वाह फील्ड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाएं और इसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादकों के लिए पारेषण प्रभार उनके द्वारा अंतःक्षेपित ऊर्जा की समान मात्रा के लिए वहीं होने चाहिए। आयोग ने 3.1.2014 के अपने आदेश में यह निर्णय किया कि शेयरिंग विनियमों के मौजूदा उपबंध

सभी प्रकार के उत्पादकों के लिए पारेषण प्रभारों की संगणना के लिए पर्याप्त हैं और यह भी स्पष्ट किया कि याचिका को दाखिल करना मौजूदा विनियमों के संशोधन आरंभ करने के लिए उचित प्रक्रिया नहीं है। विनियमों को बनाने या संशोधित करने की कार्रवाई तभी की जाती है जब आयोग संतुष्ट है कि इस प्रकार के विनियमों या मौजूदा विनियमों के संशोधन की आवश्यकता है। इस प्रकार के आदेश से व्यथित होने पर अपीलकर्त्ता ने इस आधार पर माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त अपील दाखिल की कि आयोग ने यह निर्णय लेने में गलती कि है कि शेयरिंग विनिमयों के आवेदन से उद्भूत शिकायत के निपटान के लिए दाखिल याचिका मौजूदा विनियमों के संशोधन के लिए उचित प्रक्रिया नहीं हैं। अपीलीय न्यायधीकरण ने यह निर्णय किया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के अधीन तैयार किए गए विनियम प्रत्यायोजित विधान पर है और अपील द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मौजूदा विनियमों की वैधता के संबंध में उपचार 2006 की सिविल अपील संख्या दिनांक 15.3.2010 (पीटीसी इंडियां लि0 बनाम केन्द्रीय आयोग) में केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधानपीठ द्वारा निर्धारित संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होगी। इस प्रकार यह अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अभ्युक्ति के अनुसार रक्षणीय नहीं है।

7.8.7.2 2013 की अपील संख्या 169 – ग्रिडको लि. बनाम मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लि.

ग्रिड कार्पोरेशन आफ ओडिशा लि. (ग्रिडको) ने याचिका संख्या 163/एमपी/2012 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 9.5.2013 के आदेश को चुनौती देते हुए विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह अपील दाखिल की जिसमें निर्णय लिया गया कि यह विवाद केविविआ के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 की 35 के अंतर्गत आता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय किया कि आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) से संबद्ध मामलों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को शामिल करने वाले विवादों से संबंधित विद्युत अधिनियम (1)(एफ) के अधीन याचिका को देखने का क्षेत्राधिकार है और मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को भेजने का अधिकार है। चूंकि विवाद केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 के अनुसार मैसर्स भूषण पावर एवं स्टील लि के कारण यूआई प्रभारों के गैर भुगतान से संबंधित है जो विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के विनियमन के लिए इसके निर्वहण में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए थे, अतएव केन्द्रीय आयोग उक्त विवाद के अधिनिर्णय के लिए सक्षम है। यह विवाद संबंधित राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार या सक्षमता के स्पष्ट रूप से आगे हैं।

7.8.7.3 2013 की अपील संख्या 225– मोजर बेयर क्लीन एनर्जी लि0 बनाम केविविआ

मोजर बेयर क्लीन एनर्जी लि ने केविविआ(नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अवधारण के लिए टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2012 (आरई टैरिफ विनियम) के विनियम 8 के अधीन जैनेरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ का अवधारण करने वाली स्वप्रेरणा की कार्रवाइयों में आयोग द्वारा पारित 27.03.2012 के आदेश के विरुद्ध विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया प्रश्न था कि बट्टा घटक का अवधारण और आयोग द्वारा प्रयुक्त प्रणाली आरई टैरिफ विनियमों के विनियम 16 के अनुरूप थी और वैध थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि आयोग ने पोस्ट टेक्स डब्ल्यूए सीसी के रूप में बट्टा घटक पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2014–15 के लिए सौर पीवी के लिए जनेरिक स्तरीकृत टैरिफ का अवधारण किया है और बट्टा घटक से संबंधित अपीलकर्त्ता द्वारा मांगी गई सहायता आरई टैरिफ विनियमों के संशोधन या समीक्षा के लिए मांग करते हुए होगी जिसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 111 के अधीन दाखिल इस अपील में नहीं लिया जा सकता। तदनुसार अपील को रद्द किया गया।

7.8.7.4 2013 की अपील संख्या 162: इनोक्स नवीकरणीय लि. बनाम केविविआ एवं अन्य

इनाक्स नवीकरणीय लि. पूर्व में गुजरात क्लोरो कैमिकल ने आयोग द्वारा पारित 9.5.2013 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मौजूदा अपील दाखिल की जिसमें निर्णय लिया कि अपीलकर्ता गेमिंग में लिप्त था और अपीलकर्ता को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि को 870 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आदेश किया। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या आयोग इन निष्कर्षों की रिकाडिंग में न्यायोचित था कि अपीलकर्ता यह दर्शाने

के लिए किसी प्रमाण की अनुपस्थिति में आशंकाओं के आधार पर केवल गेंमिंग का दोषी था कि अपीलकर्ता ने इरादतन गेमिंग के सहारे कोई लाभ लिया। अपीलीय न्यायाधिरण ने यह निर्णय किया कि केन्द्रीय आयोग ने यह सही ठहराया है कि अपीलकर्ता इसके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड पर विचार करने के बाद और एनआरएलडीसी के जांच रिपोर्ट के बाद गेमिंग में लिप्त पाया गया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे यह निर्णय लिया कि अपीलकर्ता द्वारा उत्पादन अनुसूची की गलत घोषणा से आरआरवीएनएल को वित्तीय हानि हुई जिसके लिए केन्द्रीय आयोग ने अपीलकर्ता द्वारा अदा किए जाने वाली आरआरवीपीएनएल को सही क्षतिपूर्ति प्रदान की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को रद्द किया और केन्द्रीय आयोग के आदेश को बनाए रखा

7.8.7.5 2014 की अपील संख्या 186 – वित्तीय तकनीक (इंडिया) लि.) बनाम केविविआ एवं एएनआर

वित्तीय प्रौद्योगिकी इंडिया लि (एफटीआईएल) ने स्वप्रेरणा याचिका संख्या एसएम/341/2013 में आयोग द्वारा पारित 13.5.2014 के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की जिसके द्वारा आयोग ने निम्नलिखित के अनुपालन के लिए आईईएक्स को निर्देश दिया:

क. आईईएक्स यह सुनिश्चित करेगा कि एफटीआईएल 30.9.2014 तक आईईएक्स से समूची शेयरहोडिंग को डाईवेस्ट करेगा।

ख. शेयरों की अनिर्णीत डाईवेस्टमेंट से एफटीआईएल के मताधिकार समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार के शेयरहोल्डिंग के स्थान पर कोई निगमित लाभ एक्सचेंज द्वारा आस्थगित रखा जाएगा या रखा जाएगा।

ग. आईईएक्स यह सुनिश्चित करेगा कि एफटीआईएल का किसी नामिती का आईईएक्स के बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं है।

घ. आईईएक्स को यह निर्देश है कि तत्काल प्रभाव से उक्तनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करे और आयोग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित विषयों को तैयार किया है।

क. क्या आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 या पावर एक्सचेंज विनियम विद्युत एक्सचेंज में शेयरहोल्डिंग पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने की शक्ति है।

ख. क्या आयोग ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किए बिना और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित करने में गलती की है?

ग. क्या आयोग ने एफएमसी के 17.12.2013 के आदेश पर निर्भर करते हुए गलती की है जिसके विरुद्ध रिट याचिका माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है?

घ. क्या आयोग ने सेबी के 19.3.2014 के आदेश पर निर्भर करते हुए गलती की है जिसके विरुद्ध सिक्यूरिटी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल अपील 9.7.2014 को रद्द कर दी गई है?

ङ क्या प्रतिवाद आदेश नए विनियम 22 क जोड़ते हुए 3 अप्रैल 2014 को यथासंशोधित केविविआ(पावर मार्केट) विनियम 2010 की शक्तियों एवं संभावनाओं से आगे हैं?

च. क्या आयोग अपीलकर्ता के शेयरहोल्डिंग की डाइवेस्टमेंट का निर्देश देने से पूर्व अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता को कोई उचित अवसर दिए बिना और स्वतंत्र जांच किए बिना प्रतिवाद आदेश पारित करने में न्यायोचित है?

चूंकि उक्त सभी मुद्दें अंतःसंबद्ध थे इसलिए माननीय न्यायाधिकरण ने उनपर एकसाथ निर्णय किया। माननीय न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्षों में यह पाया कि आयोग 13.5.2014 के प्रतिवाद आदेश को पारित करने में विधिक रूप से न्यायोचित है। जिसमें आईईएक्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एफटीआईएल को आईईएक्स से इसकी समूची शेयरहोल्डिंग डाइवेट करनी चाहिए और शेयरों का अनिर्णीत अनावरण होना चाहिए इसलिए अपीलकर्ता के मताधिकार समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार के शेयरहोल्डिंग के स्थान पर कोई निगमित लाभ आईईएक्स द्वारा आस्थगित या रोक रखा जाएगा। प्रतिवाद आदेश में आईईएक्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अपीलकर्ता का

कोई नामिती आईईएक्स के बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं है और आईईएक्स को तत्काल प्रभाव से बहस आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और केन्द्रीय आयोग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। केन्द्रीय आयोग स्वप्रेरणा याचिका संख्या एसएम/341/2013 के माध्यम से स्वप्रेरणा कार्यवाहियों को आरंभ करने में विधिक रूप से उचित था और क्रमशः 17.12.2013 और 19.3.2013 के एफएमसी एवं सेबी के आदेशों पर विधिक रूप से निर्भर किया। केन्द्रीय आयोग ने अपीलकर्ता के बारे में प्रथ्यर्थी/आईईएक्स के बारे में कुछेक जांच करते हुए कई आदेश पारित किए और केन्द्रीय आयोग तथा आईईएक्स के बीच पत्राचार के आदान प्रदान से यह तथ्य स्पश्ट होता है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय आयोग के समक्ष स्वप्रेरणा कार्यवाहियों के बारे में पूर्ण जानकारी थी लेकिन वह जानबूझकर किसी व्यक्तिगत सुनवाई के अपेक्षा करते हुए केन्द्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। उक्त स्थिति में आयोग के लिए अनिवार्य नहीं था कि प्रतिवाद आदेश के पारित करने से पूर्व अपीलकर्ता के विरुद्ध स्वतंत्र और पृथक जांच की जाए विशेष रूप से जब विस्तृत अभिमतों द्वारा माननीय मुबंई उच्च न्यायालय ने एफएफसी के दिनांक 17.12.2013 के आदेश के प्रचालन के स्थगन के लिए इंकार किया। माननीय उच्च न्यायालय या किसी उच्च फोरम में रिट याचिका की अनिर्णितता केन्द्रीय आयोग के लिए कोई आधार नहीं था कि उक्त रिट याचिकाओं के निपटान तक मामले को अनिर्णीत रखा जाए। अपीलकर्ता स्वप्रेरणा कार्यवाहियों में केन्द्रीय आयोग के समक्ष जानबूझकर किए गए अपने असहयोग के कारण पूर्वाग्रह दर्शाने में असफल रहे और प्रतिवाद आदेश विधिक रूप से और सही रूप में पारित किया गया।" अंततः माननीय न्यायाधिकरण ने 4.2.2015 के अपने आदेश के माध्यम से माननीय न्यायाधीकरण ने गुणावगुण के रूप में अपील को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के विरुद्ध उक्त सभी मुद्दों का निर्णय लिया। माननीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय लिया कि आयोग द्वारा पारित 13.5.2014 के प्रतिवाद आदेश में कोई गैर विधिकता या दुराग्रह नहीं है।

7.8.7.6 2014 की अपील संख्या 95 : छतीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लि. बनाम केविविआ एवं एएनआर

छतीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लि. (सीएसपीडीसीएल) ने याचिका संख्या 193/एमपी/2012 में आयोग द्वारा पारित 20.2.2014 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह अपील दाखिल की जिसके द्वारा आयोग ने मध्यप्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी लि. द्वारा सीएसपीडीसीएल को पर्याप्त विलंब के बाद अदा किए गए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज या अधिभार के भुगतान के लिए अपीलकर्ता के दावे को रद्द किया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय किया कि "आयोग अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अदा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार या ब्याज के भुगतान के लिए अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत करने में विधिक रूप से न्यायोचित है और आयोग का दृष्टिकोण विधिक रूप से वैध है जिसमें इस स्थिति में इस अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।"

7.8.7.7 2014 का अपील संख्या 90 – सासन पावर लि. बनाम केविविआ एवं अन्य

सासन पावर लि ने याचिका सख्या 75/एमपी/2013 में आयोग द्वारा पारित 22.2.2014 के विरुद्ध अपील दाखिल की जिसके द्वारा आयोग ने परियोजना के प्रचालन अवधि के दौरान लागतो का प्रभाव डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण क्षतिपूर्ति के लिए दावे को अस्वीकार किया गया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

क. क्या डीजल उपभोक्ताओं की दोनों श्रेणियों के सृजन के संबंध में राजनीतिक एवं मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के 17.1.2013 के निर्णय एवं बल्क उपभोक्ताओं के लिए डीजल की बाजार संबद्ध कीमत को चार्ज करना विधि में परिवर्तन की घटना है?

ख. क्या प्रशासित कीमत मैकेनिज्म 1997 और 2002 में भारत सरकार द्वारा विघटित किया गया था जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को गैरविनियमित किया गया या क्या भारत सरकार ने 1997 और 2002 में प्र ाासित कीमत मैकेनिज्म के विघटन के लिए गए निर्णय के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत के विनियमों को जारी रखा?

माननीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय लिया कि "बोली के प्रस्तुत करने के समय पर अपीलकर्ता

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजपत्र अधिसूचना के बारे में जानकारी थी। बाजार निर्धारित कीमतों के प्रति अपीलकर्ता को जानकारी थी। यह स्पष्ट था कि डीजल कीमत का विधिक मैकेनिज्म के रूप में एपीएफ अधिक समय नहीं रहा और डीजल की कीमत बाजर निर्धारित घटकों द्वारा संचालित की जाएगी। एपीएफ का विघटन कटऑफ तारीख से काफी पूर्व रहा। अपीलकर्ता यह नहीं कह सकता कि डीजल की कीमत में वृद्धि की संभावना उसके मस्तिष्क में नहीं थी। अपीलकर्ता इस अनुमान पर बोली को प्रस्तुत नहीं कर सका कि भारत सरकार कीमतों की नियंत्रण को जारी रखेगी।" अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे यह निर्णय लिया कि "यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता का डीजल की सब्सिडाइज कीमत पर ओएमसी के साथ दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति करार है और राजनीतिक एवं आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति दिनांक 17.1.2013 के निर्णय ने डीजल की कीमतों को प्रभावित किया। अपीलकर्ता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए कटऑफ तारीख के अनुसार विधिक स्थिति यह है कि एपीएम को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.3.2002 द्वारा विघटित कर दिया गया है। भारत सरकार या ओएमसी से अपीलकर्ता को कोई आश्वासन नहीं कि भारत सरकार डीजल कीमत पर नियंत्रण को जारी रखेगी और मुक्त बाजार मैकेनिज्म को आरंभ नहीं किया जाएगा। एपीएम को कभी भी पुनः आरंभ नहीं किया गया।"

अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी निर्णय किया कि "अपीलकर्ता को बोली प्रस्तुत करने के समय पर डीजल कीमत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए वृद्धिशील संघटक को उद्गत करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी या कान्ट्रेक्ट अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए उद्गत गैर वृद्धिशील लागत को भाामिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अपीलकर्ता ने 25 वर्ष की समूची परियोजना अवधि के लिए ऊर्जा प्रभारों के गैर वृद्धिशील संघटक को उद्गत करने का निर्णय किया। यह अपीलकर्ता द्वारा लिया गया एक वाणिज्यिक निर्णय था। अपीलकर्ता विधि में परिवर्तन के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकता जो कटऑफ तारीख के बहुत पहले हुई थी जब एपीएफ विघटित हो गया था। प्रतियोगी बोली प्रक्रिया की इस प्रकार की पद्धति से अनुमति नहीं दी जा सकती।"

उक्त अभिमतों के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता सासन पावर लि द्वारा दाखिल अपील को रद्द किया और यह निर्णय दिया कि अपील में कोई मैरिट नहीं है।

7.8.7.8 2013 की अपील संख्या 77 : टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्री लि. बनाम एनटीपीसी लि. एवं अन्य, 2013 की अपील संख्या 194 – बीसीईएस, यमुना पावल लि. बनाम केविविआ तथा अन्य तथा 10 अन्य संबद्ध अपीलें

उपरिलिखित अपीलें विभिन्न याचिकाओं में आयोग द्वारा पारित आदेशों दिनांक 22.10.2012, 5.12.2012 और 8.10.2013 को चुनौती देते हुए अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता वितरण कंपनी द्वारा दाखिल की गई जिसमें आयोग ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1.1.2006 से 31.3.2009 के दौरान उत्पादन केन्द्रों में संबंधित कर्मचारियों, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्टाफ और केन्द्रीय विद्यालय के वेतन संशोधन के लिए उनके द्वारा उपगत अतिरिक्त लागत वसूली के लिए एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और एसजेवीएनएल जैसी उत्पादन कंपनियों को अनुमति दी ताकि केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अधीन रियायत के लिए शक्ति और कठिनाइयों को दूर किया जा सके। बहस आदेशों में अपीलकर्ता ने विचार के लिए किसी प्रकार के मुद्दों को उठाया है इसलिए माननीय न्यायाधिकरण ने 24.32.2015 के सामान्य अधिनिर्णय सहित इन सभी अपीलों पर निर्णय किया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलों में किए गए निवेदनों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया है:

क. क्या आयोग कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो विनियमों के प्रयोग के परिणामतः उत्पन्न हुई हैं और जो इन विनियमों को प्रभाव देने में उत्पन्न हो सकती हैं?

ख. क्या आयोग कठिनाइयों को दूर करने में विनियमों के सशोधन करने, विनियमों के शर्तों के विपरीत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है?

ग. क्या आयोग प्रत्यर्थी कार्पोरेशनों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के व्ययों की अनुमति देते हुए यह विचार करने में सफल रहा है कि प्रत्यर्थी कार्पोरेशनों ने

असामान्य विलंब के बाद आयोग से संपर्क किया है विशेष रूप से जब संगत टैरिफ अवधि पहले से समाप्त हो गई है और अगली टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ याचिका संबंधित प्रत्यर्थी कार्पोरेशन द्वारा दाखिल की गई है?

घ. क्या आयोग यह अवज्ञा करने में सही था कि टैरिफ एक पैकेज है और इस प्रकार टैरिफ का प्रत्येक संघटक अलग से नहीं देखा जा सकता?

मुद्दा संख्या (क) और (ख) के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि यदि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 2004 के टैरिफ विनियमों के पूर्व कार्यान्वित की गई हैं और यदि वेतन की जानकारी हुई है तो केन्द्रीय आयोग विगत वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर ओएंडएम व्यय को सामान्य करते हुए कुल मिलाकर टैरिफ विनियम 2004 के विनियम 21 (IV) में विनिर्दिष्ट सामान्य ओएंडएम में कर्मचारी लागत में वृद्धि का घटक होगी। दिनांक 1.1.2007 से वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में वेतन आदि में वृद्धि चूंकि टैरिफ विनियम 2009 के प्रवृत होने के बाद दिनांक 7.7.2010 और 17.8.2010 के भारत सरकार के परिपत्रों द्वारा वास्तविक रूप से कार्यान्वित किया गया था। तथापि प्रस्तावित वृद्धि पर एनटीपीसी जैसे कार्पोरेशनों द्वारा विचार किया गया था और उस समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जब 2009 के टैरिफ विनियमों पर विचार किया जा रहा था"

माननीय न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि "छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण तदन्तर प्रगति हुई और वेतनमानों का संशोधन एवं अन्य लाभों का संशोधन कठिन स्थिति थी जो 2004 के टैरिफ विनियमों को लागू करने में उत्पन्न हुई विशेष रूप से टैरिफ विनियम 2004 के विनियम 23 के समय यदि इसे ओएंडएम व्ययों के संबंध में इसकी शर्तों को प्रभावित करते हुए एनटीपीसी जैसी विद्युत उत्पादकों/कार्पोरेशन द्वारा उपगत व्यय एंव समुचित विधिक लागतों की वसूली नहीं हो सकेगी।"

अंतिम रूप से माननीय न्यायालय ने यह निर्णय किया कि "छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वास्तविक कर्मचारी लागत 2004 के टैरिफ विनियमों के विनियम 21 (iv) पूर्णतया फैक्टर नहीं की गई थी और इस स्थिति में 2004 के टैरिफ विनियमों के विनियम 12 और 13 के अधीन आयोग द्वारा प्रदत "कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति" और "रियायत की शक्ति" के प्रयोग की मांग करता है। आयोग ने स्वविवेकी जांच के अध्यधीन कर्मचारी लागत में वृद्धि की अनुमति देते हुए प्रतिवाद आदेशों को पारित करने में किसी गैर विधिकता को स्वीकार नहीं किया। प्रतिवाद आदेशों में आयोग ने इस प्रकार की शक्तियों के प्रयोग के लिए पर्याप्त कारणों को उल्लेख किया है और अपने न्यायिक स्वविवेक में उक्त शक्तियों के प्रयोग का भी उल्लेख किया है चूंकि आयोग द्वारा न्यायिक स्वविवेक के गैर प्रयोग से प्रत्यर्थी कार्पोरेशनों को कठिनाई एवं अन्याय का सामना करना होगा या उसके अनुचित परिणाम होते है।

माननीय न्यायालय ने आगे यह दोहराया कि "2004 के टैरिफ विनियमों को उन परिस्थितियों के आधार पर अधिसूचित किया गया जो 2004 के टैरिफ विनिमयों के अधिसूचना के समय अस्तित्व मे रहे। 2004 से 2009 की अवधि के लिए ओएंडएम व्ययों के मामले में यह पूर्ववर्ती वर्ष के ओएंडएम के आधार पर निर्धारित किया गया। 2004 के टैरिफ विनियमों के संबंध में ओएंडएम व्यय कर्मचारियों की लागत में वृद्धि को कवर नहीं करते इसलिए कर्मचारियों की लागत में वृद्धि के शीर्ष में नगदी आउटफ्लों को टैरिफ विनियम 2004 के अधीन ओएंडएम व्ययों में शामिल नहीं किया गया"

विषय संख्या (ग) पर एनटीपीसी इत्यादि जैसी विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रतिवाद याचिका को दाखिल करने में संगत टैरिफ अवधि की समाप्ति के बाद असामान्य विलंब के संबंध में माननीय न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया कि "विद्युत उत्पादन कार्पोरेशनों को स्वतंत्रता प्रदान की गई और कर्मचारियों के वेतन में वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारी लागत में वृद्धि की उचित स्थिति में उसी मुद्दे को उठाने के लिए याचिका संख्या 2004 का 160 में पारित दिनांक 9.5.2006 के आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा निर्देश दिया गया" एनटीपीसी इत्यादि जैसे विद्युत उत्पादन कार्पोरेशनों द्वारा आयोग के समक्ष दाखिल की गई प्रतिवाद याचिकाओं को उसे दाखिल करने में किसी प्रकार के विलंब से ग्रसित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम विद्युत उत्पादन

कंपनियों द्वारा वास्तविक आधार पर ओएंडएम व्ययों का दावा करने में विलंब के इस मुद्दे पर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/अपीलकर्ताओं के किसी तर्क को बलपूर्ण नहीं पाते।"

इस तथ्य पर विचार करते हुए आयोग की असफलता के संबंध में विषय संख्या (घ) पर कि टैरिफ एक पैकेज है और इसे वैयक्तिक संघटकों को संशोधित करते हुए पीसमील ढंग से संशोधित नहीं किया जा सकता, माननीय न्यायाधिकरण ने यह पाया कि "2004 की याचिकासंख्या 160 में 9.5.2006 के आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों को प्रदान की गई स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को विधिसम्मत और न्यायोचित मानते हुए आयोग ने एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएनएल जैसी याचिकाकर्ताओं/प्रत्यार्थियों को अनुमति दी कि संबंधित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए उपगत अतिरिक्त लागत की वसूली की जाए चूंकि एनटीपीसी इत्यादि जैसी विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन को हाइपर तकनीकी आधार पर उनके विधिसम्मत दावों को मना नहीं किया जा सकता। एक बार कर्मचारी लागत अनुमति दिए जाने वाले ओएंडएम व्यय के भाग के रूप में मान्य हो जाती है तो टैरिफ में पासथ्रू के रूप में अनुमत की जाने वाली कर्मचारी लागत में वृद्धि सहित कर्मचारी लागत में आपर्ति के लिए कोई कारण नहीं हो सकती। एनटीपीसी के मामले में चूंकि वर्ष 2006–2007 और 2007–08 के दौरान कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव जिसे वर्ष 2009 के टैरिफ विनियमों में 2009–14 के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय परिगणित नहीं किया गया इसलिए केन्द्रीय आयोग के पास टैरिफ विनियम 2004 के विनियम 12 और 13 के अधीन प्रतिवाद आदेशों जैसे उचित आदेशों को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं।"

माननीय न्यायालय ने अंतिम रूप से यह निर्णय दिया कि "2004 से 2009 की नियंत्रण अवधि पूरा होने के बाद ओएंडएम व्यय जैसे दावों में कोई त्रुटि नहीं है। 1.1.2007 से प्रभावी बड़े वेतन पर विचार उस समय नहीं हुआ जब 2004 के टैरिफ विनियम वेतन में वृद्धि के कारण और उसे अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद एनटीपीसी इत्यादि के कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि को लोकउद्यम विभाग के निर्णय के अनुसरण में प्रभावी किया गया। इस प्रकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशें और डीपीई के कार्यालय ज्ञापनों को संगत समय पर एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित किया गया और उसके अनुसार आयोग ने ओएंडएम व्यय के अधीन कर्मचारी लागत में वृद्धि सहित प्रतिवाद आदेश पारित किया।

उक्त अभिमतों सहित माननीय न्यायाधिकरण ने 2013 की अपील संख्या 55, 2013 की 77, 2013 की 194, 2012 की 259, 2013 की 63, 2013 की 143, 2013 की 158 और 2014 की 43 को रद्द किया और संबंधित याचिकाओं में आयोग द्वारा पारित दिनांक 20.10.2012, 5.10.2012 और 8.10.2013 के प्रतिवाद आदेशों की पुष्टि की।

7.8.7.9 2014 का सीडब्ल्यूपी संख्या 5849 – श्री आरसी मेहता बनाम केविविआ

उक्त पीआईएल जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के समक्ष श्री आरसी मेहता द्वारा दाखिल की गई जिसमें केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 के कुछेक उपबंधों के चुनौती दी गई। पार्टियों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने इस अभिमत के साथ पीआईएल को रद्द किया कि "हम यह नहीं पाते कि यह रिट याचिका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई हस्तक्षेप की मांग करती है कि अधीनस्थ विधान को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती जिसने उस समय पर सुझाव/विचारों को दाखिल नहीं किया जब सभी स्टेकहोल्डरों और आम जनता को अवसर प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम महेन्द्र एडं महेन्द्र लि. : (2011) 13 एससीसी 77 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि न्यायिक पुनरीक्षण के लिए यह अननुज्ञेय है और अधीनस्थ विधान को पुनःफ्रेम के लिए निर्देश जारी किए।

7.9 वर्ष 2014.15 के दौरान अन्य गतिविधियां

7.9.1.1 राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

वर्ष 2014–15 के दौरान सीईआरसी ने

राजभाषा कार्यान्यवन और उन्नयन के लिए कई गतिविधियां की । सीईआरसी के माननीय अध्यक्ष महोदय के अधीन एक विशेष समारोह दिनांक 30.09.2014 को आयोजित किया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हिंदी लेखन और विभागीय प्रोत्साहन योजना के लिए विजेताओं को शील्ड, पुरस्कार प्रदान किए गए।

सचिव, सीईआरसी की अध्यक्षता में एक हिंदी कार्यशाला 22.10.2014 को आयोजित की गई। अन्य स्टाफ के अलावा अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

आयोग के अधिकारी/स्टाफ के लिए 'यूनिकोड' हिंदी फोंट में कम्प्यूटर प्रोगामिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 11–12 अगस्त 2014 को आयोजित किया गया। मैसर्स ई–आर्यन साफ्टवेयर कंपनी लि. से यूनिकोड में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

आयोग में दिनांक 16.9.2014–30.9.2014 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन वाद विवाद और कविता प्रतियोगिता आयोग के अधिकारियों/स्टाफ के लिए की गई। 30.9.2014 को आयोग में विशेष समारोह आयोजित किया गया और आयोग के माननीय अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं को शील्ड/पुरस्कार/ प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

28.11.2014 को एक सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई इसके अलावा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 तिमाही बैठके 30.6.2014, 03.09.2014, 30.12.2014 और 31.3.2015 को आयोजित की गई जिसमें वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान प्रगति की समीक्षा की गई और शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग की योजनाओं को तैयार किया गया।

7.9.1.2 स्वच्छ भारत अभियान:

"स्वच्छ भारत अभियान" से संबंधित विभिन्न गतिविधियां वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित की गई। अनुच्छेद लेखन, स्लोगन लेखन इत्यादि सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कृत स्लोगनों को केविविआ की गृह पत्रिका "सौदामनी" में प्रकाशित किया गया। केविविआ परिसर में स्वच्छता अभियान 27–28 सितम्बर 2014 के दौरान किया गया जिसका उद्देश्य रिकार्ड की बेहतर व्यवस्था, कार्यस्थल को दुरुस्त करना और पर्यावरण इत्यादि को बेहतर करना था। केविविआ ने स्वच्छ भारत मिशन/स्वच्छता अभियान के उद्घाटन के अवसर पर 2.10.2014 को आयोजित मैराथन दौड़ में भी हिस्सा लिया। उसी दिन स्वच्छता अभियान (राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान) के भाग के रूप में केविविआ परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वच्छता के पालन के लिए शपथ ग्रहण की गई।

7.9.1.3 गृह हिंदी पत्रिका "सौदामनी" :

आयोग ने हिंदी में तिमाही आंतरिक पत्रिका "सौदामनी" का प्रकाशन आरंभ किया जिसका पहला अंक (अप्रैल–जून 2014 को) केविविआ के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रिलीज किया गया। इस पत्रिका में संक्षेप में संबंधित अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं/बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट को शामिल किया जाता है। इसके अलावा आयोग में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कृत प्रविष्टियों (अर्थात निबंध, लेख, कविता इत्यादि) को भी प्रकाशित किया गया था। पत्रिका में मुख्य रूप से आयोग में किए जा रहे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को कवर किया जाता है।

7.9.1.4 वार्षिक दिवस व्याख्यान:

आयोग ने केविविआ के वार्षिक दिवस के अवसर पर 'वार्षिक दिवस व्याख्यान 'श्रृंखला' आरंभ की है जिसमें प्रत्येक वर्ष वार्षिक दिवस के अवसर पर व्याख्यान के लिए प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है ताकि केविविआ के कर्मियों के साथ वक्ता के अनुभव और विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच उपलब्ध करवाया जा सके और तदन्तर

प्रकाशित किया जा सके। आयोग ने 24 जुलाई 2014 को अपना 16वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर डा. विमल जालान, पूर्व गवर्नर (भारतीय रिजर्व बैंक) ने केविविआ के कर्मियों को संबोधित किया और "भारतीय अर्थव्यव्यस्था की स्थिति एवं विनियामकों की भूमिका" विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं।

7.9.1.5 सीसीएमएएस(ई–कोर्ट) की स्थापना के लिए पहल :

आयोग ने न्यायालय मामले प्रबंधन स्वचालन प्रणाली (ई–कोर्ट) को आरंभ करने की कार्यवाही की पहल की जिसमें पारंपरिक ई–फाइलिंग और ई–हियरिंग साफ्टवेयर के नियोजन को शामिल किया गया है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य अंकीकृत याचिकाओं/उत्तरों/प्रत्युत्तर, टिप्पणियों/आपत्तियों इत्यादि को दाखिल करने को प्रोत्साहित करना है और स्टेकहोल्डरों इत्यादि को संगत मामलों की अद्यत्तन स्थिति उपलब्ध करवाने के लिए एसएमएस/ईमेल सेवाओं का प्रयोग, पारंपरिक रिपोर्टों का प्रोदभावन, अंकीकृत याचिकाओं/आरओपी तक पहुंच उपलब्ध करवाना है। इस प्रणाली से आयोग में समन्वित, लोचशील गतिशील डाटाबेस विकसित किया जा सकेगा जिससे आयोग द्वारा विभिन्न डाटा विश्लेषणात्मक उपकरणों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिए जा सकेंगे।

7.9.2 केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय परामर्श समिति की 19वीं बैठक 12 मई 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। समिति ने विचार विमर्श के लिए 'पारेषण संकुलता' और कड़ी क्षमता 'कड़ी क्षमता' लिया। निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

पारेषण संकुलता :

देश में उत्पादन क्षमता वृद्धि में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई लेकिन अभी 140000 मेगावाट की सीमा तक केवल मांग की पूर्ति की गई है। उपभोक्ताओं को डीजल जनसैन के प्रयोग का सहारा लेने के लिए बाध्य हैं। यह अनुमान है कि मौजूदा 90000 मेगावाट विद्युत डीजल जनसैट के माध्यम से

उत्पादित किया जाता है जिसमें प्रत्येक वर्ष से 5000 हजार से 8000 मेगावाट की वृद्धि अनुमानित है। ऊर्जा संरक्षण के जोखिम को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एसईआरसी को डीजल जनसैट के प्रयोग पर नियंत्रण की हिदायत दी जाए।

पोसोको यह यह मत है कि अंतरप्रादेशिक अंतरण की दिल्ली में इस प्रकार की कुल क्षमता के 36 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पर और वादविवाद करने की आवश्यकता है। यदि यह आवश्यकता हो जाती है तो बाहरी विशेषज्ञों को इस विषय पर जांच के लिए लगाया जा सकता है।

टीटीसी/एटीसी इत्यादि से संबंधित विषयों के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अनुसरण में गठित विश्वसनीयता परिषद का निजी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

टीटीसी/एटीसी/मार्जन आवंटन की घोषणा पर अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। टीटीसी/निर्धारण वास्तविक समय आधार पर होना चाहिए।

पारेषण क्षमता का हिस्सा डेअहेड मार्केट/विद्युत एक्सचेंजों के लिए रिजर्व होना चाहिए।

एसईआरसी को समुचित पारेषण कारिडोर का सुजन करते हुए अंतःराज्यिक पारेषण/उप पारेषण नेटवर्क की वृद्धि के लिए एसटीयू को निर्देश जारी करने चाहिए। इस प्रकार के निर्देशों के गैर अनुपालन की स्थिति में एसईआरसी को पारेषण अनुज्ञप्ति के निलंबध रद्द करने का आश्रय लेना चाहिए।

चूंकि नवीकरणीय स्रोतों के माध्मय से विद्युत उत्पादन में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है इसलिए पारेषण योजना में इस उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने यह तर्क किया है कि दीर्घकालीन पीपीए (अर्थात 25 वर्षों इत्यादि के लिए) मांग अनिश्चितता के कारण दोषपूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए पीपीए की अवधि को फिर से देखा जा सकता है।

उत्पादन अनिश्चितता पारेषण संकुलता के लिए बड़ा कारण है। पीजीसीआईएल, सीईए और पोसोको वृद्धि के लिए उचित मार्जिन का समायोजन करते समय पारेषण पूर्वानुमान के लिए विस्तृत कार्य करना चाहिए और सभी लागत तत्वों को लेते हुए और ग्रिड की सुरक्षा पर कोई समझौता किए बिना लघु और बड़े(अल्पकालिक और दीर्घकालिक के स्थान) पर सही योजना के लिए प्रयास करना चाहिए। एसईआरसी नियमित आधार पर कार्य के लिए योजना निकाय की गठन पर विचार कर सकता है।

सामान्य नेटवर्क पहुंच फ्रेमवर्क यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

कुछ सदस्यों यह तर्क दिया कि विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अंतर्गत 12 प्रतिशत या 150 मेगावाट का नियंत्रण छोटे राज्यों के लिए कार्यान्वयन के लिए कठिन है।

पारेषण में टीओडी टैरिफ पर पारेषण प्रणाली के अधिक न्यायिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विचार किया जाएगा।

सीटीयू दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए पीपीए का आग्रह करता है। कई कारणों से उत्पादकों के लिए यह कठिन है। एनईपी में यह व्यवस्था है कि हिताधिकारी के साथ पूर्व करार नेटवर्क विस्तार के लिए पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सीटीयू ने यह तर्क दिया कि सही पारेषण योजना उत्पादन एवं मांग निश्चितता के अंदर संभव है। अल्पकालिक संव्यवहारों का प्रतिशतता शेयर अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और पारेषण योजना इस मार्जन में घटक होना चाहिए।

कड़ी क्षमता:

48000 मेगावाट क्षमता से अधिक कोयला संबद्धता, पीपीए की गैर समाप्ति या कोयले के प्रत्यावर्तन के लिए लोचशीलता की कमी के कारण इन परियोजनाओं को कोयले का आवंटन करते हुए किया जाना चाहिए और अधिनिमय की धारा 62 के अंतर्गत विनियामक हस्तक्षेप के माध्यम से किया जाना चाहिए। कोयले क्षेत्र में पुनः सुधार की आवश्यकता है। कोयला खनन को गैर राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था कोयले की कमी के कारण बड़ी लागत चुका रही है। इसका पता लागया जाना चाहिए।

इसके अलावा गैर आधारित उत्पादन केन्द्र प्राप्त करने के लिए संभावित हैं यदि गैस कीमत बढ़ जाती है। गैस आधारित उत्पादन सहायक सेवाओं के लिए प्रयुक्त किया जाए। पीक मांग वर्ष के दौरान एक बार 'तत्काल मांग' की मौजूदा पद्धति के स्थान पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए 'सतत मांग' के आधार पर संगणित की जानी चाहिए।

मांग/भार पूर्वानुमान प्रभावी विद्युत प्रणाली प्रचालन के लिए विवेचनीय घटक है। इसे ठीक से राज्य स्तर पर फिलहाल नहीं किया जा रहा है। एसईआरसी राज्य कंपनियों को निर्देश जारी कर सकती है कि उचित मांग/भार/संसाधन पूर्वानुमान के लिए सीईए, पोसोको, पीजीसीआई इत्यादि के साथ परामर्श करते हुए आवश्यक अध्ययन करे।

राज्य कंपनियों को केस 1 बोली के माध्यम से विद्युत को अनिवार्य रूप से अवाप्त करना चाहिए। विनियामक आदेशों के अनुपालन में नियंत्रण नहीं है। पीओसी प्रभार कई कंपनियों द्वारा अदा नहीं किए जा रहे हैं। यह देखा गया है कि पीपीए को महत्व नहीं दिया जाता है। यह परिदृश्य मुकदमे की ओर अग्रसर करता है जो व्यक्तियों/सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए अत्यंत खर्चीला साबित हो रहा है।

उद्योग विद्युत की गैर उपलब्धता के कारण नुकसान उठा रहा है। उद्योग विद्युत की निश्चित आपूर्ति के लिए विश्वसनीयता प्रभार जैसे अतिरिक्त प्रभार को अदा करने का इच्छुक है तथापि यह उल्लेख किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार की योजना फ्लोट की गई लेकिन औद्योगिक उपभोक्ताओं के रूप में अधिक सफलता के बिना उपभोक्ताओं ने कंपनी को

विश्वसनीयता प्रभार के भुगतान के विकल्प के स्थान पर निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत अवाप्त करने को वरियता दी। इस मुद्दें पर दूसरा दृष्टिकोण यह रहा कि विश्वसनीयता प्रभार की अवधारणा निर्बाध पहुंच के लिए विकल्प के रूप में ली जानी चाहिए। 1 मेगावाट भार से कम वाले उपभोक्ता और वे उपभोक्ता जो निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत आवाप्त करने के लिए अभीष्ट नहीं है वे इस विकल्प का चयन कर सकते हैं।

डे अहेड मार्केट / अंतःदिवस मार्केट को कड़ी क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए और सुदृढ़ होना चाहिए।

एसईआरसी के प्रतिनिधियों को सीएसी की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है ताकि वे सीएसी में विचार किए जा रहे मुद्दों के बारे में संवेदनशील हो सके। विनियामक प्रभावशीलता को इन पैरामीटरों पर लिया जाना चाहिए जिसमें भार शेडिंग में कमी पर हस्तक्षेप, डीजल उत्पादन का प्रयोग कड़ी क्षमता के प्रयोग को सरल बनाना और इस प्रकार के अन्य संबद्ध पैरामीटरों को शामिल किया जाए।

एफओआर को इस प्रकार के विवेचनीय विषयों पर विचार करना चाहिए और इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए कार्यान्वयन उपायों में मदद करनी चाहिए और मतैक्य विकसित करना चाहिए। इसके लिए एफओआर को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए

विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित विषयों पर मतैक्य विकसित किया जाए:

कुल अंतरण क्षमता की तुलना में उपलब्ध अंतरण क्षमता के विषय पर विनियामकों का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

पारदर्शिता को बढ़ाने तथा टीटीसी/एटीसी को सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

सामान्य नेटवर्क पहुंच की अवधारणा को तत्काल आरंभ किया जाए।

पारेषण योजना को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने पर विचार करना चाहिए।

डेअहेड/अंतःदिवस बाजार को मजबूत किया जाना चाहिए। सहायक सेवाओं के लिए बाजार डियायन यथाशीघ्र सृजित किया जाना चाहिए।

गैस आधारित उत्पादन केन्द्रों को सहायक सेवाओं के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

पारेषण के लिए टीओटी टैरिफ की जांच की जानी चाहिए। पारेषण की आर्थिक लागत इस संदर्भ में पालिसी/विनियम में ली जानी चाहिए।

सीएसी और एफओआर के पारस्परिक विचार विमर्श को सरल बनाए जाना चाहिए।

एसईआरसी को डिस्काम द्वारा विद्युत अवाप्ति की पर्याप्ता पर बल देते हुए प्रभावित किया जाना चाहिए। ताकि वैश्विक सेवा और आपूर्ति बाध्यता की अनिवार्यता को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के अनुपालन में गठित विश्वसनीयता परिषद को निजी क्षेत्र तथा सदस्यों से प्रतिनिधित्व को सहयोजित किया जाना चाहिए।

एकलघु समिति सीएसी के सदस्यों के बीच से गठित की जानी चाहिए ताकि पारेषण संकुलता से संबद्ध मुद्दों की जांच की जा सके।

7.9.3 विनियामक फोरम की गतिविधियां

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवा प्रदान करता है।

विनिमामक फोरम की 7 बैठकें 2014–15 के दौरान आयोजित की गई जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार किया गया और सिफारिशें की गईः

विनियामक फोरम ने वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित अध्ययनों को पूरा कियाः

क. क्रास सब्सीडी में कमी के लिए रोड मेप का अध्ययन

ख. 24 गुणा 7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर अध्ययन

ग. ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्तओं के फीडर पृथक्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करने के लिए फ्रेमवर्क पर अध्ययन और प्रभावी मीटरिंग पर उपाय सुझाना।

निम्नलिखित सतत अध्ययन है:

क. वितरण कंपनियों का कार्यनिष्पादन

ख. आरईसी फ्रेमवर्क का पुनरीक्षण

"एफओआर" विद्युत क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

क्र. स.	कार्यक्रम के ब्यौरे	आयोजन स्थल	आयोजन की अवधि
1	विद्युत क्षेत्र में विनियामक विषयों के विभिन्न पहलुओं पर विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए सातवां क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	देशी संघटक : आईआईटी कानपुर में सिंगापुर में विदेशी संघटक	28–30 जनवरी 2015 18–20 फरवरी 2015
2.	"सीजीआरएफ के अधिकारियों एवं ओंबड्समैन के लिए उपभोक्ता हित का संरक्षण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीटीआई, फरीदाबाद	26–27 फरवरी 2015

7.9.4 भारतीय विनियामक फोरम(एफओआई आर) की गतिविधियां

आयोग भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है जिसमें न केवल अध्यक्ष शामिल हैं बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों के और अन्य विनियामकों जैसे टीएमपी, पीएनजीआरबी, सीसीआई, एईआरए जैसे अन्य विनियामक प्राधिकरणों के सदस्य भी शामिल हैं। एफओआईआर को भारत में विभिन्न आधारभूत क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुभवों के शेयर के लिए प्लेटफार्मों के रूप में मूल रूप से स्वीकार किया गया है। फोरम आरआरई की स्थापना की प्रक्रिया में है। एफओआईआर अपने सदस्यता आधार के विस्तार में कार्य कर रहा है। एफओआईआर की 15वीं वार्षिक आम बैठक तथा 35वीं आम सभा की बैठक दिल्ली में 26 जून को आयोजित की गई। इसके बाद 36वीं और 37वीं शासी निकाय की बैठकें आयोजित की गईं और विशेष शासी निकाय की बैठक कोच्ची में 14 दिसम्बर 2014 को आयोजित की गई।

7.9.5 अवसंरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम (साफिर) की गतिविधियां

साफिर वर्ष 1999 स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है जो संबद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों, क्षेत्र के बुनियादी विनियामकों के नेटवर्क के रूप में (जिसमें बंग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। सदस्यों की 4 श्रेणियां है अर्थात शैक्षणिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, कारपोरेट/कंपनियां और विनियामक निकाय हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान कोबढ़ावा देना विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना, जानकारी और विशेषज्ञता का लाभप्रद विनिमय करना तथा विश्व सर्वोत्तम पद्धतियों का तत्परता से कार्यान्वयन करना है।

केविविआ साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। सुश्री पुष्पा वेलापिली, कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीलंका की सार्वजनिक कंपनी आयोग (पीयूसीएसएल) को जनवरी 2014 में साफिर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कार्यकारी अध्यक्ष पीयूसीएसएल के रूप में अपनी अवधि पूरा करने के बाद, उनके स्थान पर पीयूसीएसएल एवं साफिर के अध्यक्ष श्री सलिया मथ्यू का चयन किया गया। वर्ष 2014–15 में साफिर ने 27 से 29 जनवरी 2015 के दौरान बंगलादेश प्रशासन एवं प्रबंधन संस्थान (बीआईआईएएम) ढाका, बंगलादेश में अवसंचरना विनियम एवं सुधारों पर कोर पाठ्यक्रम आयोजित किया। साफिर की आठवीं कार्यकारी बैठक बंगलादेश में 27 जनवरी 2015 को आयोजित की गई और साफिर की 21वीं स्थायी समिति की बैठक थिम्फू, भूटान में 25–27 मार्च 2015 के दौरान 9वीं कार्यकारी समिति की बैठक के साथ आयोजित की गई।

7.9.6 सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/ विनिमय कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और स्टाफ द्वारा में सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरा/विनिमय कार्यक्रम के ब्यौरे **अनुबंध–X** और **अनुबंध–XI** में दिए गए हैं।

8

वर्ष 2014–15 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

8 .वर्ष 2014–15 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएँ

क्र. स.	अधिसूचना संख्या	राजपत्र तारीख	विनियम
1.	111	09.04.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (प्रथम संशोधन) विनियम 2014
2.	113	12.04.2014	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19 .01. 2005 के अनुसार (समय समय के यथासंशोधित) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ की अवधारण के लिए मार्गनिर्देश।
3.	112	11.04.2014	30 सितम्बर 2014 तक बोली खोलने के लिए पारेषण सेवा (10 अक्तूबर 2008 तक यथासंशोधित) के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश
4.	171	10.06.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम 2014
5.	245	21.08.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आय ोग (अंतरराज्यिक पारेषण में सयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (चतुर्थ संशोधन) विनियम 2014
6.	286	07.10.2014	31 मार्च 2014 तक बोली खोलने के लिए पारेषण सेवा (10 अक्तूबर 2008 तक यथासंशोधित) के लिए टै ि रफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश
7.	286	07.10.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति)(द्वितीय संशोधन) विनियम 2014
8.	291	14.10.2014	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्गनिर्देश – यह 1 अक्तूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए वार्षिक वृद्धि दरें।
9.	381	31.12.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचनल व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014

क्र. स.	अधिसूचना संख्या	राजपत्र तारीख	विनियम
10.	380	31.12.2014	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद न के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014
11.	06	05.01.2015	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें)(द्वित्तीय संशोधन) 2014
12.	32	28.01.2015	राजपत्र अ धिसूचना संख्या 380 31 दिसम्बर 2014 (अधिसूचना संख्या एल–1/12/2010/केविविआ दिनांक 30 दिसम्बर 2014 का शुद्धिपत्र)
13.	59	23.02.2015	राजपत्र अधिसूचना संख्या 06 5 जनवरी 2015 (अधिसूचना संख्या एल–1/94/केविविआ/2011 दिनांक 5

9

वर्ष 2015–16
के लिए
कार्यसूची

9. वर्ष 2015–16 के लिए कार्यसूची

क. अंतरराज्यिक स्तर पर पवन एवं सौर पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए संचालित पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और असंतुलन के लिए फ्रेमवर्क।

ख. सहायक सेवा प्रचालनों पर विनियम

ग. टैरिफ की निबंधन और शर्तें पर विनियम का संशोधन

घ. भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का संशोधन

ङ ऊर्जा के अवशिष्ट के समावेशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तों पर विनियमों का संशोधन

10
लेखों की वार्षिक विवरणी

10 लेखों की वार्षिक विवरणी

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹30.32 करोड़ विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि से (भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखे गए) जारी किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान ₹9.98 का अव्ययित शेष वर्ष 2014–15 में अग्रेषित किया गया और यह 2014–15 वर्ष के लिए ₹ 40.30 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि हो गया। इसमें से वर्ष के दौरान ₹ 30.93 करोड़ की रकम प्रयोग की गई और वर्ष के अंत में अर्थात 31.03. 2015 को अप्रयुक्त ₹10.17 करोड़ रुपए का शेष अप्रयुक्त बना रहा। (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के रूप में ₹9.37 करोड. प्लस ₹0.80 करोड़) जिसे 2015–16 के दौरान आगे ले जाया गया। ब्यौरे **अनुबंध XII** में दिए गए हैं।

11

आयोग का मानव संसाधन

11 आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अंत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। मुख्य मानव संसाधनों के ब्यौरे **अनुबंध XIII** में दिए गए हैं। इसके अलावा, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाये है।

आयोग में स्वीकृत/भरे गए/रिक्त पद

क्रम. स	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	0
2.	प्रमुख	4	3	1
3.	संयुक्त प्रमुख	5	4	1
4.	उप प्रमुख	13	13	0
5.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6	सहायक प्रमुख	16	15	1
7	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1
8	सहायक सचिव	2	1	1
9	वेतन एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	1	1
10	प्रधान निजी सचिव	4	4	0
11	निजी सचिव	5	5	0
12	सहायक	6	6	0
13	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	0	1
14	निजी सहायक	7	2	5
15	आशुलिपिक	3	1	2
16	हिंदी टंकक(अ.श्रे.लि.)	1	0	1
17	स्वागती एवं टेलिफोन आपरेटर	1	1	0

18	वरिष्ठ चपरासी / ड्राफ्टी	2	2	0
19	चपरासी	2	2	0
20	ड्राईवर	4	4	0
	कुल	**82**	**66**	**16**

वर्ष 2014–15 के दौरान भर्ती		
क्र.स.	**पद का नाम**	**भरे गए पदों की संख्या**
1	सचिव	1
2	उप प्रमुख	2
3	सहायक प्रमुख	8
4	चपरासी	2
	कुल	13

अनुबन्ध

अनुबंध-I

केविविआ के समक्ष दाखिल याचिकाओं की स्थिति (1.4.2014 से 31.3.2015)

पिछले वर्ष 2013-2014 से आगे लाई गई	2014-2015 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई	31.3.2015 को लंबित
365	652	1017	234	783

1.4.2014 से 31.3.2015 तक निपटाई गई याचिकाएं

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
1	टीडीएल/294/2013	06.11.2013	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	श्रेणी III क लिए अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	01.04.2014	व्यापार अनुज्ञप्ति
2	121/2012	10.04.2012	नागापट्टनम मधुगिरी ट्रांसमिशन कंपनी लि. चे/ओ पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	नागापटनम–मधुगिरी पारेषण कंपनी लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति	16.04.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
3	131/एमपी/2012	07.05.2012	मैसर्स महागुज पावर लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62,79 और 178 के अंतर्गत याचिका	16.04.2014	विविध याचिकाएं
4	262/एसएम/2012	11.12.2012	केविविआ	राष्ट्रीय विद्युत एक्सचेंज लि. के परिचालनों को आरंभ करना	17.04.2014	स्वप्रेरणा याचिका
5	001/आरपी/2014	09.01.2014	झझर पावर लि.	याचिका संख्या 170/एमपी/2013 में कार्यवाही के रिकार्ड के/ संशोधन के लिए आवेदन	21.04.2014	पुनरीक्षण याचिका
6	आरपी/012/2014	03.04.2014	एनटीपीसी लि.	15.02.2014 से 31.03.2014 तक की बढ़ाई गई अवधि के लिए आईडीसी और आईईडीसी की अस्वीकृति की सीमा के लिए याचिका संख्या 11/एपी/2014 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 13.02.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	24.04.2014	पुनरीक्षण याचिका
7	आरपी/11/2014	03.04.2014	एनटीपीसी लि.	बढ़ाई गई अवधि के लिए आई डीसी और आईईडीसी की अस्वीकृति की सीमा के लिए याचिका संख्या 12/एपी/2014 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 13.02.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	24.04.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
8	244 / जीटी / 2013	30.07.2013	एसजेवीएन लि.	31.03.2014 के लिए प्रथम यूनिट के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी)के प्रत्याशित तारीख से अवधि के लिए रामपुर हाइड्रो विद्युत परि योजना(412मेगावाट)के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए	06.05.2014	उत्पादन टैरिफ
9	एमपी / 052 / 2014	07.03.2014	वंदना विद्युत लि.	शपथ पत्र सहित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयो–जकता में दीर्घकालिक पहुच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (आई)(एफ) के अंतर्गत याचिका	09.05.2014	विविध
10	एमपी / 072 / 2014	17.04.2014	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) 22.07.2014, जो भी पहले हो, की घोषणा तक दक्षिण ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए स्वप्रेरणा बनाए रखने के लिए आयोग की अनुमति की मांग करना।	12.05.2014	विविध याचिका
11	065 / टीटी / 2012	16.01.2012	पीजीसीआईएल	(क) 1X63एमवीएआर बस रिएक्टर सहित बीदादी में नील मंगला–सोमनहली 400 केवीडीसी लाइन का लीलो (ख) दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में एक्स के सुदृढीकरण प्रणाली के अंतर्गत बीदादी जीआईएस / एस में डाउनस्ट्रीम नेटवर्क सहित उपकरणों एवं संबद्ध बे सहित 2X500 एमवीएआईसीटी के लिए पारेषण टैरिफ	13.05..2014	पारेषण टेरिफ
12	271 / 2010	18.10.2010	केबीयूएन	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट 2 के टैरिफ के लिए याचिका	13.05.2014	उत्पादन टैरिफ
13	135 / जीटी / 2013	04.09.2012	एनटीपीसी लि.	टुइंगअप कार्य के बाद कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (840 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	13.05.2014	उत्पादन टैरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
14	194/टीटी/2012	28.06.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में 765 केवी पूलिंग स्टेशनों के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत फतेहपुर और आगरा एस/एस में 765 केवी एस/सी फतेहपुर आगरा के लिए संबद्ध लाइन बेज के लिए टैरिफ	13.05.2014	पारेषण टैरिफ
15	एसएम/354/2013	08.01.2014	स्व–प्रेरणा से याचिका	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रातों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 8 के अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए जेनेरिक स्तरीकृत उत्पादन टैरिफ का निर्धारण	15.05.2014	स्वप्रेरणा याचिका
16	304/2009	12.07.2009	एनटीपीसी	टैरिफ तल्चर टीपीएस (460 मेगावाट) का अनुमोदन	15.05.2014	उत्पादन टैरिफ
17	116/जीटी/2013	02.04.2012	टीएचडीसी इंडिया लि.	कोटेश्वर हाईड्रो इलेक्ट्रीक परियोजना के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	15.05.2014	उत्पादन टैरिफ
18	139/जीटी/2013	14.06.2012	एनटीपीसी लि.	टूइंगअप कार्य के बाद अंत गैस पावर पावर स्टेशन (419.33 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए	15.05.2014	उत्पादन टैरिफ
19	148/जीटी/2013	07.09.2012	एनटीपीसी लि.	टूइंअप कार्य के बाद विध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज III (1000 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमादेन	15.05.2014	उत्पादन टैरिफ
20	176/जीटी/2013	01.02.2013	एनटीपीसी लि.	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ का अनुमोदन	15.05.2014	पुनरीक्षण याचिका
21	88/टीटी/2011	04.06.2011	पीजीसीआईएल	डब्ल्यूआरएसएस IX के अंतर्गत पारेषण टैरिफ	15.05.2014	पारेषण टेरिफ
22	188/जीटी/2013	13.02.2013	एनटीपीसी लि.	टूइंगअप कार्य के बाद 1.04.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टैशन (2000 मेगावाट) के संशोधित टैरिफ का अनुमोदन	15.05.2014	पुनरीक्षण याचिका
23	एसएम/004/2014	12.03.2014	केविविआ	बीएसट्रांसकॉल लि. द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान)	19.05.2014	स्वप्रेरणा याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				विनियम 2012 का गैर अनुपालन		
24	एसएम/353/2013	07.01.2014	स्वप्रेरणा याचिका	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान लागू सौर पीवी पावर परियोजनाओं और सौर थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए बैंच मार्क पूंजी लागत मानदंडों का निर्धारण	15.05.2014	स्वप्रेरणा याचिका
25	टीडीएल/283/2013	24.10.2013	पार्श्वनाथ पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	मैसर्स सासन पावर लि. यूएमपीपी की अनुसूचीकरण और सीओडी की घोषणा से संबद्ध विषय	19.05.2014	व्यापार अनुज्ञप्ति
26	284/2010	11.02.2010	पीजीसीआईएल	400 केवी डी/सी रायगढ़–रायपुर टीएल पश्चिमी क्षेत्र के संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ	19.05.2014	पारेषण टैरिफ
27	107/टीटी/2012	25.10.2011	पीजीसीआईएल	कोरबा के लिए – बाल्को टीपीएस के बरसिंगपुर डीसी लाइन और डब्ल्यूआरएसएस 2 के अंतर्गत अन्य आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ	19.05.2014	पारेषण टेरिफ
28	112/टीटी/2012	31.12.2011	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए पारेषण टैरिफ एनआरएसएस V	19.05.2014	पारेषण टेरिफ
29	टीटी/323/2013	20.12.2013	दरभंगा–मोतीहारी ट्रांसमीशन कंपनी लि	दरभंगा –मोतीहारी पारेषण कंपनी लि. द्वारा स्थापित पारेषण प्रणाली पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना VI से संबंधित पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए	20.05.2014	पारेषण टेरिफ
30	एमपी/058/2014	31.03.2014	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	30.04.2014 तक या 2 X 250 मेगावाट एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन 2 विस्तार के सीओडी की घोषणा तक जो भी पहले हो यूआई मेकेनिज्म के अंतर्गत गतिविधियों को आरंभ करने के लिए इंफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति	20.05.2014	विविध याचिका
31	एमपी/061/2014	31.03.2014	टौरंट एनर्जी लि.	संबंधित यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की अवधि	23.05.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए डीजीईएन मेगा पावर परियोजना के यूनिट 51, 52 और 53 से इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति है।		
32	टीएल/324/2013	20.12.2013	दरभंगा–मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लि	दरभंगा मोतीहारी पारेषण कंपनी लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति	30.05.2014	पारेषण टेरिफ
33	एमपी/080/2014	01.05.2014	जेसवाल नेको ऊर्जा लि.	विद्युत के निकास बल्क पावर पारेषण करार के निबंधन एवं शर्तों के लिए याचिकाकर्त्ता का प्रदान किए गए निर्बाध पहुंच अनुमोदन से उद्भूत विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (आई)(एफ) के अंतर्गत याचिका	30.05.2014	विविध याचिका
34	टीएल/326/2013	31.12.2013	पूर्लिया एंड खडकपुर ट्रांसमिशन	पूर्लिया एवं खड़कपुर पारेषण कंपनी लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए	30.05.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
35	टीएल/080/2013	26.04.2013	राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लि.	विद्युत में व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	03.06.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
36	आरपी/004/2014	04.02.2014	एनएलडीसी गंजरात ट्रांसमिशन सिस्टम लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आईईजीसी) विनियम 2010 के अनुसार स्वचालित मांग प्रबंध योजना के कार्यान्वयन पर स्वप्रेरणा याचिका संख्या 208/एसएन/2011 में 18.12.2013 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	06.06.2014	पुनरीक्षण याचिका
37	177/जीटी/2013	19.03.2013	एनएचपीसी लि.	टनकपुर पावर स्टेशन का पुनरीक्षण	09.06.2014	पुनरीक्षण याचिका
38	209/टीटी/2013	04.09.2012	एचपी. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड के लिए 220 केवी प्रणाली से संबद्ध आस्ति 220 केवी डी/सी कुनीहार पंचकुला पारेषण लाइन	09.06.2014	पारेषण टेरिफ
39	210/टीटी/2013	04.09.2012	एचपी. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	उत्तरी ग्रिड के लिए 220 केवी प्रणाली से संबद्ध आस्ति 220 केवी डी/सी माजरी कोदेरी पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ	09.06.2014	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
40	211/टीटी/2013	04.09.2012	एचपी. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि.	आस्ति 220 केवी डी/सी सौर – रंजीत सागर बांध पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ	09.06.2014	पारेषण टेरिफ
41	एमपी/009/2014	24.01.2014	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	निर्धारित अधिकत्तम शेयरहोल्डिंग सीमाओं से संबद्ध केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010के साथ पठित विनियम 19 (1)(1) के अनुपालन के लिए समय फ्रेम को बढ़ाने के लिए	11.06.2014	विविध याचिका
42	101/टीटी/2013	30.04.2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	भारत और बंगलादेश के विद्युत ग्रिड के अंतर्संबंध से संबद्ध बहरमपुर–बेहरामारा टीएल और अन्य घटकों का पारेषण टैरिफ	11.06.2014	पारेषण टेरिफ
43	003/आरपी/2014	30.01.2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	2009 से 2014 ब्लाक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में (पोसोको के गठन के बाद पावर ग्रिड भाग अर्थात् याचिकाकर्त्ता द्वारा रखे गए एसएलडीसी प्रणाली और संचार प्रणाली भार) एककीकृत भार प्रेषण और संचार योजना के लिए फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में याचिका संख्या 57/टीटी/2012 के माननीय आयोग द्वारा पारित 14.11.2013 के आदेश का पुनरीक्षण	11.06.2014	पुनरीक्षण याचिका
44	एमपी/087/2014	19.05.2014	एनटीपीसी लि.	यथासंशोधित अंतरराज्यिक पारेषण और संबंध मामले 2009 में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच, प्रदान करने के लिए याचिका	19.06.2014	विविध याचिका
45	एमपी/063/2014	03.04.2014	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में 2012–13 वर्ष के लिए बबूरा उप केन्द्र में विशेष सुरक्षा बलों के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए रियायत हेतु अनुमोदन शक्ति के लिए याचिका	19.06.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
46	एसएम / 003 / 2014	12.03.2014	केविविआ	सुभाष कबीनी पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 का गैर अनुपालन	20.06.2014	स्वप्रेरणा याचिका
47	168 / जीटी / 2013	02.04.2012	एसजेवीएनएल लि.	नात्फा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	20.06.2014	उत्पादन टैरिफ
48	एमपी / 075 / 2014	17.04.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2012–13 के लिए सालाकाटी और बोगांई गांव उप केन्द्रों में विशेष सुरक्षा बलों के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदन हेतु याचिका	20.06.2014	विविध याचिका
49	205 / 2009	23.09.2009	पीजीसीआईएल	वर्ष 2008 –09 के लिए पश्चिमी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित विनियम 86 के अंतर्गत प्रोत्साहन का अनुमोदन	23.06.2014	पारेषण टेरिफ
50	285 / 2009	23.09.2010	एनटीपीसी लि.	1.04.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए क्वास गैस पावर स्टेशन (656.02 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	25.06.2014	उत्पादन टैरिफ
51	094 / टीटी / 2012	15.03.2012	पीजीसीआईएल	125 एमवीएआर बस रिएक्टर और राजगढ़ एसएस में अन्य घटकों के लिए पारेषण टैरिफ	25.06.2014	पारेषण टेरिफ
52	226 / 2009	08.10.2009	एनटीपीसी लि.	शपथ पत्र दिनांक 24.8.2010 और 21.10.2010 के माध्यम से एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना को ध्यान में रखते हुए 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए झनौर गंधारा गैस पावर स्टेशन के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	25.06.2014	उत्पादन टैरिफ
53	आरसी / 003 / 2014	17.01.2014	पीएक्सआईएल	26.02.2013 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता को समय बढ़ाने की मांग करते हुए याचिकाकर्त्ता द्वारा अनुरोध	02.07.2014	विविध याचिका
54	एमपी / 071 / 2014	15.04.2014	पीजीसीआईएल	1.1.2014 तक पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना 2	02.07.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				(परियोजना बी) की अपेक्षित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को बढ़ाया जाना		
55	236/जीटी/2013	13.06.2013	उत्तरी पूर्वी विद्युत ऊर्जा	नीप्को के खंडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन (50 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	02.07.2014	पुनरीक्षण याचिका
56	एमपी/306/2013	21.11.2013	प्रगति पावर कार्पोरेशन लि.	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना एवं संबद्ध मामले) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2012 दिनांक 21.3.2012 के अंतर्गत प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन से 6 महीने से आगे प्रगति III सीसीपीएस 1371 एमवी पावर प्लांट के संबद्ध वेस्ट हीट रिक्वरी यूनिट और गैस टर्बाइन नं. 4 के इन्फर्म पावर के प्रवृति अंतक्षेपण और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन	02.07.2014	विविध याचिका
57	097/टीटी/2013	26.04.2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	एनआरएसएस गगप के अंतर्गत रुड़की उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 125 एमवीएआर बस रिएक्टर के पारेषण टैरिफ का निर्धारण	02.07.2014	पारेषण टेरिफ
58	एमपी/282/2013	22.10.2013	बीएसईएस यमुना पावर लि.	उत्तरी क्षेत्र अननुसूचित अंतःपरिवर्तन पूल लेखा निधि से याचिकाकर्त्ता को संदेयी अननुसूचित के अंतःपरिवर्तन के भुगतान की मांग करने वाली याचिका	02.07.2014	विविध याचिका
59	143/एमपी/2013	23.07.2013	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.	उत्तरी क्षेत्र अननुसूचित अंतःपरिवर्तन पूल लेखा निधि से संदेय अननुसूचित के अंतःपरिवर्तन का भुगतान	02.07.2014	विविध याचिका
60	टीटी/055/2014	31.03.2014	उंचार ट्रांसमिशन लि.	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. की पूर्णतया स्वामित्व की अनुषंगी 100 प्रतिशत उंचार पारेषण लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के	03.07.2014	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				संबंद्ध में पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत आवेदन		
61	64/टीटी/2012	13.01.2012	पीजीसीआईएल	बचाऊ उप केन्द्र (विस्तार) और अन्य तत्वों में संबद्ध बेज सहित मुंद्रा बचाऊ (ट्रिपल स्नोबर्ड) पारेषण लाइन का पारेषण टैरिफ	03.07.2014	पारेषण टेरिफ
62	एमपी/293/2013	06.11.2013	जानकी कार्पो.	अंतरराज्यिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के दौरान केविविआ के उल्लंघन में यूआई प्रभारों की विदहोल्डिंग और बेकअप आपूर्ति प्रभारों का उद्ग्रहण	03.07.2014	विविध याचिका
63	049/टीटी/2013	07.01.2013	पीजीसीआईएल	वापी में 400/220 केवी उपकेन्द्र में 400/220 केवी, 1'315 एमवीए आटो ट्रांसफोर्मर की स्थापना के लिए पारेषण टैरिफ	03.07.2014	पारेषण टेरिफ
64	082/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में आस्ति 1 : 765 केवी मोगा–भिवानी टी/एल और आस्तियां 2 : उत्तरी ग्रिड भाग 1 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबद्ध 765 केवी जट्टीकलन भिवानी टी/एल के लिए पारेषण टैरिफ	03.07.2014	पारेषण टेरिफ
65	174/एमपी/2013	11.09.2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन मानक) विनियम 2012 में उल्लिखित कार्यनिष्पादन पैरामीटरों की रियायत के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कारोबार विनियम के विनियम 24 और 111 के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण के अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक) विनियम 2012 की कठिनाइयों को दूर करना।	03.07.2014	विविध याचिकाएं
66	183/एमपी/2013	30.09.2013	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा. लि.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. के लिए याचिकाकर्त्ता	03.07.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				के गैस पावर स्टेशन (1967.08 मेगावाट) से विद्युत की बिक्री एवं खरीद		
67	091/एमपी/2013	10.05.2013	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 29 (5) और धारा 142 के साथ पठित धारा 79 (1)(सी)(के) के अंतर्गत याचिका।	04.07.2014	विविध याचिका
68	238/जीटी/2013	13.06.2013	नार्थ इस्ट्रन इलेक्ट्रेक पावर कार्पोरेशन लि.	(नीपकों) के कोपीली हाइड्रो पावर स्टेशन (200 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	04.07.2014	पुनरीक्षण याचिका
69	050/जीटी/2014	05.03.2014	एनटीपीसी लि.	31.3.2014 तक प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अवधि के लिए बढ़सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज II (1320 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए केविविआ (कारबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय V के साथ के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 और 79 (1)(क) के अंतर्गत याचिका	08.07.2014	उत्पादन टैरिफ
70	आरसी/088/2014	19.05.2014	पेन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट लि.	पैन इंडियां नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट लि. के रूप में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना	08.07.2014	विनियामक आयोग
71	टीएल/321/2013	20.12.2013	पेट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लि.	शपथ पत्र सहित आवेदक को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना।	14.07.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
72	029/टीडीएल/2013	05.03.2013	जय इंटरनेशनल प्रा. लि.	जय इंटरनेशनल प्रा. लि. के लिए विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	18.07.2014	अनुज्ञप्ति
73	217/टीटी/2012	11.09.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में शासाराम उपकेन्द्र एसयूएमपीपीटीएस में एनजीआर और सर्ज अरेस्टर सहित 3X110 एमवीएआर, 1 बेज 765 केवी शंट रिएक्टर	21.07.2014	पारेषण टेरिफ
74	056/टीएल/2014	31.03.2014	उंचार ट्रांसमिशन लि.	उन्चार पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन एवं	21.07.2014	अनुज्ञप्ति

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				शर्तें तथा अन्य संबंध मामले) विनियिम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत आवेदन		
75	066 / टीटी / 2014	15.04.2014	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लि	आरएपीपी पारेषण कंपनी लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के स्वीकार के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत आवेदन	23.07.2014	पारेषण टैरिफ
76	153 / एमपी / 2013	08.08.2013	पीजीसीआईएल	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि. को कनेक्टीविटी प्रदान करने के संबंध में अपेक्षित पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए अनुमोदन	24.07.2014	विविध याचिका
77	038 / टीटी / 2013	14.01.2013	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क एवं 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत लखनऊ संबद्ध बेज सहित 125 एमवीएआर बस रिएक्टर, पूर्वी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और उत्तरी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के जरिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र / दक्षिणी क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना पारेषण टैरिफ	31.07.2014	पारेषण टेरिफ
78	128 / एमपी / 2014	30.06.2014	टौरंट एनर्जी लि.	संबंधित यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक 6 महीने से आगे की अवधि के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित यूनिट 51, 52 और 53 से इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति की मांग करने वाली याचिका	31.07.2014	विविध याचिका
79	067 / टीएल / 2014	15.04.2014	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लि.	आरएपीपी पारेषण कंपनी लि को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	31.07.2014	अनुज्ञप्ति
80	002 / आरपी / 2014	22.01.2014	स्टील अर्थारिटी आफ इंडिया लि.	20.11.2013 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय	01.08.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103, 111 और 114 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अंतर्गत याचिका		
81	एमपी/051/2014	07.03.2014	क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	आवेदक कंपनी की ओर से मुजफ्फरपुर, भारत ढालकेबर (नेपाल) के लिए इंडो नेपाल ट्रांसमिशन लाइन भारतीय संघ क्षेत्र में आने वाले सरसंध खंड में 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर की चल एवं अचल आस्तियों के दृष्टिबंधक के जरिए पावर फाईनेंस कार्पोरेशल लि. के पक्ष में प्रतिभूतियों के सृजन के लिए क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17.3 के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन	01.08.2014	विविध याचिका
82	एमपी/068/2014	15.04.2014	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लि.	आवेदक कंपनी की ओर से बिहार में किशनगंज जिले में उपकेन्द्र के लिए सिक्किम के उत्तरी जिले में तीस्ता 3 एचईपी से 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन की चल और आस्तियों के दृष्टिबंधक के जरिए प्रतिभूति एजेंट के रुप में कार्य करने वाले बड़ोदा के पक्ष में प्रतिभूतियों के सृजन के लिए मेसर्स तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लि. को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17(3) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन	01.08.2014	विविध याचिका
83	111/टीटी/2012	30.11.2011	पीजीसीआईएल	एनआरएसएसएस–-XVII. में निपराना शिखर लाइन के लिए पारेषण टैरिफ	05.08.2014	उत्पादन टैरिफ
84	159/एमपी/2013	29.08.2013	अरावली पावर कंपनी लि.	झज्जर में अरावली पावर कंपनी लि. की इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना से विद्युत के प्रेषण के संबंध में यूआई लेखों का पुनरीक्षण	05.08.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
85	टीटी/001/2014	17.01.2014	पैटर्न ट्रांसमिशन कंपनी लि.	शपथ पत्र सहित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान की गई याचिकाकर्त्ता द्वारा स्थापित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ को अपनाना	05.08.2014	उत्पादन टैरिफ
86	एसएम/001/2014	07.01.2014		केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम 2010 का गैर अनुपालन	05.08.2014	स्वप्रेरणा याचिका
87	198/टीटी/2012	14.08.2012	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना	07.08.2014	पारेषण टेरिफ
88	टीटी/089/2014	19.05.2014	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लि.	एनआरएसएस XXXI (भाग ख) द्वारा स्थापित पारेषण प्रणाली उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना के संबंध में पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत आवेदन	07.08.2014	पारेषण टेरिफ
89	182/जीटी/2013	08.03.2013	एनटीपीसी लि.	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 के टैरिफ का अनुमोदन	07.08.2014	उत्पादन टैरिफ
90	085/एमपी/2013	30.04.2013	पोसोको डब्ल्यूआरएलडीसी	मैसर्स शासन पावर लि. यूएमपीपी की अनुसूची और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा से संबंधित मुद्दें	08.08.2014	विविध याचिका
91	093/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	यूआरआई 2 पारेषण प्रणाली उत्तरी क्षेत्र के संबद्ध बेज सहित किशनपूर एस/एस में बस रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ	19.08.2014	पारेषण टेरिफ
92	एमपी/309/2013	26.11.2013	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि. (ओटीपीसीएल)	यूनिट 1 के सिन्क्रोनाईजेशन से परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक की अवधि के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि के 726.6(2X363.3 मेगावाट) पालटना संयुक्त साईकिल गैस आधारित परियोजना द्वारा अंतःक्षेपित इंन्फर्म पावर पर लागू कैप दर को दूर करने के लिए	19.08.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
93	टीटी / 325 / 2013	31.12.2013	पुर्लिया एंड खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	पूर्लिया और खडगपुर ट्रांसमिशन कंपनी लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए	20.08.2014	पारेषण टेरिफ
94	टीटी / 093 / 2014	19.05.2014	एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लि. (पीजीसीआईएल 100% पूर्णतया स्वामित्व अनुषंगी)	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस–XXXI (भाग क) के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए एनआरएसएस–XXXI(क) ट्रांसमिशन लि. (भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि की पूर्ण रूप से 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुषंगी) के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत पारेषण प्रभारों को अपनाने लिए आवेदन	22.08.2014	उत्पादन टैरिफ
95	एमपी / 158 / 2014	17.07.2014	न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	कुदनकुलम न्यूक्लिर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी–1)यूनिट –1 के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषण तक या 22.10.2014 तक, जो भी पहले हो, इन्फर्म पावर अंतक्षेपण को जारी रखने के लिए आयोग की अनुमति की मांग करना	22.08.2014	विविध याचिका
96	167 / एमपी / 2013	29.08.2013	ऊर्जंकुर श्री दत्ता पावर कंपनी लि.	निदेशों और आदेशों के लिए याचिका जैसाकि याचिकाकर्त्ता को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने पर एनएलडीसी के लिए उचित समझा जाएगा।	25.08.2014	विविध याचिका
97	एमपी / 129 / 2014	30.06.2014	एनटीपीसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण पर संयोजकता, दीर्घकालिक पहुच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम 2012 और केविविआ, विचलन, व्यवस्थापन मेकेनिज्म और संबद्ध मामले 2014 के विनियम 8 के अंतर्गत याचिका	25.08.2014	विविध याचिका
98	TL/090 / 2014	19.05.2014	एनआरएसएस XXXI (बी) पारेषण	एनआरएसएस XXXI बी ट्रांसमिशन लि. को पारेषण	25.08.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
			लि.	अनुज्ञप्ति के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत अनुमोदन		
99	TT/308 / 2013	21.11.2013	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशनों के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत सिपत में संबद्ध बेज सहित 765 केवी एससी रंज सिपत टीएल के सिपत–लीलो प्वाइंट (धर्मजयगढ़) भाग के लिए पारेषण टैरिफ और टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के जरिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र / दक्षिणी क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र से और पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात के लिए पारेषण टैरिफ	02.09.2014	पारेषण टेरिफ
100	086 / टीटी / 2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	सासन के लिए पारेषण टेरिफ– विंध्याचल IV और अरिहन्त III (1000 मेगावाट) जनरेशन परियोजना से संबंध सासन – विंध्याचल पूलिंग पारेषण लाइन	04.09.2014	पारेषण टेरिफ
101	TL/094 / 2014	19.05.2014	एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लि.	(पीजीसीआईएल 100% पूर्णतया स्वामित्व अनुषंगी) एनआरएसएस XXXI (ए) पारेषण लि. के संबंध में केविविआ (पारेषण, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत आवेदन	04.09.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
102	टीडीएल / 043 / 2014	28.02.2014	आईएलएफएस एनर्जी डवेलपमेंट कंपनी लि.	श्रेणी 1 में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	04.09.2014	व्यापार अनुज्ञप्ति

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
103	आरसी / 79 / 2014	01.05.2014	एस्सार एलेक्ट्रिक पावर डवेलमेंट कार्पोरेशन लि.	समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 7 (ख) के श्रेणी 3 से श्रेणी 2 के परंतुक से विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए विनियामक अनुपालन आवेदन	05.09.2014	विनियामक आयोग
104	एमपी / 267 / 2014	26.08.2014	टोरेंट पावर प्रा.लि.	संबंधित यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक 6 महीने से आगे की अवधि के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित यूनिट 51, 52 और 53 के इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण की स्वीकृति के लिए अनुमति की मांग करने वाली याचिका	10.09.2014	विविध याचिका
105	टीडीएल / 021 / 2014	11.02.2014	आरजे पावर इंडिया	अंतराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	12.09.2014	व्यापार अनुज्ञप्ति
106	132 / जीटी / 2013	19.07.2012	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज II के टैरिफ का अनुमोदन	17.09.2014	उत्पादन टेरिफ
107	098 / टीटी / 2012	15.03.2012	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2009 से 2014 तक की अवधि के लिए एनईआर में बोंगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन और प्लाटना गैस आधिरित पावर परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली	16.09.2014	पारेषण टेरिफ
108	015 / एसएम / 2014	21.09.2014		केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विनियम विद्युत आपूर्ति) विनियम 2010 का गैर अनुपालन	21.09.2014	स्वप्रेरणा याचिका
109	181 / एसएम / 2011	15.09.2011		भांखड़ा नांगल और बीज प्रोजेक्ट प्रबंधन बोर्ड से विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण और उत्पादन के लिए टैरिफ का निर्धारण	29.09.2014	स्वप्रेरणा याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
110	एमपी / 225 / 2014	24.08.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. आयोग (टैरिफ की शर्तें)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक निबंधन एवं विनियम 2014 की रियायत के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(कारबार संचालन) विनियम 1999 के विनियम 24 और 111 के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(टैरिफ की निबंधन और शर्तें) की कठिनाई दूर करने के लिए विनियम 55 विद्युत के अंतर्गत और रियायत के लिए विनियम 54 विद्युत के अंतर्गत याचिका	29.09.2014	विविध याचिका
111	084 / टीटी / 2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	दुबरी संबद्ध ईआरएसएस 3 में एक नम्बर बस रिएक्टर सहित दुबरी में संबद्ध बेज और दुबरी में 400 केवी डी / सी बेरीपादा मंधाशल पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ	24.09.2014	पारेषण टेरिफ
112	085 / टीटी / 2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में लोनीखंड कलवा पीएल के लीलो सहित नवी मुबंई के लिए पारेषण टैरिफ	24.09.2014	पारेषण टेरिफ
113	088 / टीटी / 2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण XI	24.09.2014	पारेषण टेरिफ
114	एमपी / 211 / 2014	14.08.2014	डी बी पावर लि.	आरंभिक सिंक्रोनाइजेशन से 6 महीने से आगे बाराधरा, जंजगीर चंपा जिला छत्तीसगढ़ गांव में स्थित (600 मेगावाट)के पूर्ण भार परीक्षण सहित विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति मांगना	24.09.2014	विविध याचिका
115	एमपी / 284 / 2014	10.09.2014	जिंदल पावर लि.	प्रथम सिन्क्रोनाईजेशन के 6 महीने से आगे तमनार में 4 x 600 मेगावाट विद्युत संयत्र के यूनिट 3 के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म विद्युत के अंतःक्षेपण की स्वीकृति के लिए अनुमति मांगने के लिए याचिका	24.09.2014	विविध याचिका
116	आरपी / 017 / 2014	08.07.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए तल्वर थर्मल	24.09.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				पावर स्टेशन (460 मेगावाट) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए माननीय आयोग द्वारा पारित 15.5.2014 के आदेश का पुनरीक्षण		
117	MP/309/2014	12.09.2014	एनटीपीसी लि.	बड सुपर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज II) 1320 मेगावाट) के यूनिट 4 (660 मेगावाट) के संदर्भ में 30.9.2014 से आगे और 31.12.2014 तक ग्रिड में इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका	29.09.2014	विविध याचिका
118	MP/164/2014	22.07.2014	भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	पूर्वी तथा उतरपूर्वी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2013–2014 के संबंध में सल्कटी और बोंग्या गांव उपकेन्द्रों में विशेष सुरक्षा बलों (सीआईएसएफ) के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदन	29.09.2014	विविध याचिका
119	MP/070/2014	15.04.2014	नीपको	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (संशोधन) विनियम, 2013 के विनियम 3 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निंबंधन और शर्तें) के विनियम 54 के अंतर्गत याचिका	30.09.2014	विविध याचिका
120	आरपी/016/2014	08.07.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2000 मेगावट) के टैरिफ के पुनरीक्षण में याचिका 188/जीटी/2013 मे माननीय आयोग द्वारा पारित 15.5.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	01.10.2014	पुनरीक्षण याचिका
121	053/एमपी/2012	16.03.2012	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लि.	भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लान (2X250 मेगावाट) के संबंध में सीएसएलडीसी से यूआई प्रभारों की वसूली	01.10.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
122	176/जीटी/2013 में याचिका संख्या 021/आरपी/2014	14.07.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (1000 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका संख्या 176/जीटी/2013 में माननीय आयोग द्वारा पारित 15.5.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	01.10.2014	पुनरीक्षण याचिका
123	221/जीटी/2013	19.12.2012	टोरेंट पावर लि.	टौरेंट पावर लि. के सुजैन 1147.5 मेगावाट पावरप्लांट के वार्षिक नियत प्रभारों के पुनरीक्षण के कारण टैरिफ का निर्धारण	01.10.2014	उत्पादन टेरिफ
124	130/एमपी/2013	15.07.2013	पोसोको–ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र ग्रिड तथा अंतर्संबद्ध भारतीय ग्रिड की सुरक्षा	07.10.2014	विविध याचिका
125	टीटी/039/2014	27.02.2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण पावर ग्रिड उपकेन्द्र में लाइन बे और रिएक्टर उपबंध के अंतर्गत 765 केवीएस/सी लाइन बेज के लिए 765 केवी औरंगाबाद सबंस्टेशन के विस्तार के लिए टैरिफ ब्लाक 2009 से 2014 के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ का निर्धारण	07.10.2014	पारेषण टेरिफ
126	एमपी/134/2014	03.07.2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग कारोबार का संचालन विनियम 1999 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(अंतःराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम 2010 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 के विनियम	07.10.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				111 और 114 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका		
127	252/जीटी/2013	06.09.2013	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि.	टैरिफ के निर्धारण के लिए 26.5.2011 से 31.3.2014 की अवधि के लिए जेपी कर्चम वांग्टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उत्पादन टैरिफ	09.10.2014	उत्पादन टेरिफ
128	040/टीटी/2013	07.01.2013	पीजीसीआईएल	ईआरएसएस IV के अंतर्गत पटना और रांची एस/एस में संबद्ध बेज सहित 125एमवीएआर बस रिएक्टर का पारेषण टैरिफ	15.10.2014	पारेषण टेरिफ
129	एसएम/331/2013	07.01.2014	स्वप्रेरणा याचिका	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले), विनियम 2009 का गैर अनुपालन	15.10.2014	स्वप्रेरणा याचिका
130	एमपी/392/2014	09.10.2014	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.	आरंभिक सिंक्रोनाईजेशन से 6 महीने के आगे एनटीईसीएल के वैल्यूर टीपीपी के यूनिटरु 3 (500 मेगावाट) के लिए पूर्ण भार ट्रायल सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अवधि का विस्तार की स्वीकृति के लिए अनुमति	17.10.2014	विविध याचिका
131	073/एमपी/2013	15.04.2013	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.	विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता हेतु पार्टियों को भेजते हुए/पार्टियों के बीच विवाद के अधिनिर्णय उसके अंतर्गत किए गए विद्युत नियाम वली 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम2003 की धारा 79(आई)(एफ) के अधीन याचिका	24.10.2014	विविध याचिका
132	आरसी/316/2013	07.12.2013	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज	भारतीय ऊर्जा विनिमय नई दिल्ली के लिए स्वतंत्र निदेशकों के पैनल का अनुमोदन	27.10.2014	विविध याचिका
133	081/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	दक्षिण क्षेत्र में कुदनुकुल्लम के अधीन कोचीन में 1 नं. 400 केवी 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ	30.10.2014	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
134	068 / टीटी / 2012	07.02.2012	पीजीसीआईएल	765 केवी पूलिंग स्टेशनों के लिए और उतरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क, पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क हुए सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात एवं उत्तरी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र वाया उतरी पूर्वी क्षेत्र / दक्षिणी क्षेत्र से सामान्य योजना का टैरिफ	31.10.2014	पारेषण टेरिफ
135	077 / टीटी / 2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी ग्रिड भाग II के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबंद्ध पारेषण आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ	31.10.2014	पारेषण टेरिफ
136	134 / एमपी / 2011	06.03.2011	भारत एल्युमीनियम कंपनी लि.	यूआई विनियम 2010 के खंड5 की व्याख्या पर स्पष्टीकरण	31.10.2014	विविध याचिका
137	100 / टीटी / 2013	26.04.2013	पीजीसीआईएल	सांबा एस / एस तथा एनआर एसएस 22 के अंतर्गत संबद्ध अन्यआस्तियों में आस्ति 1 400 / 220 केवी, 315 एमवीए आई सीटी 2 के लिए पारेषण टैरिफ पश्चिमी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और बेज की वृद्धि के अंतर्गत 2 संख्या 220 केवी लाइन बेज सहित मापूंसा (आईएस 3) एस / एस में 400 / 220 केवी, 1'315 एमवीए ट्रासंफार्मर की स्थापना के लिए पारेषण टैरिफ	31.10.2014	पारेषण टेरिफ
138	255 / टीटी / 2013	19.09.2013	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में ट्रांसफारर्मर और बेस की वृद्धि के अंतर्गत 2 न. 220 केवी लाइन बेस सहित मापूसा (आईसीटी III) एसएस में एक*315 एमवीए ट्रांसफारर्मर 400 / 220 केवी की स्थापना के लिए पारेषण टेरिफ	31.10.2014	पारेषण टेरिफ
139	230 / जीटी / 2013	09.04.2013	एनटीपीसी लि.	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (2100 मेगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	05.11.2014	पुनरीक्षण याचिका
140	एमपी / 408 / 2014	27.10.2014	न्युक्लीयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	22.1.2015 या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक जो भी पहले हो इन्फर्म पावर के	10.11.2014	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				अतःक्षेपण की अनुमति के लिए माननीय आयोग की अनुमति की मांग करते हुए 2 x 1000 मेगावाट के कुदनकुलम न्यूकिलर पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख में प्रत्याशित विलंब		
141	233 / जीटी / 2013	08.05.2013	एनटीपीसी लि.	फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 और स्टेज 2 (1600 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	12.11.2014	पुनरीक्षण याचिका
142	250 / जीटी / 2013	26.08.2013	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिम्हाद्री 1 (1000 मैगावाट) के टैरिफ का अनुमोदन	12.11.2014	पुनरीक्षण याचिका
143	एमपी / 379 / 2014	28.09.2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2013–14 के लिए वगूरा उप केन्द्र में विशेष सुरक्षा बलों (सीआईएसएफ) के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए रियायत हेतु (केविविआ) विनियम 2009 के विनियम 44 के अधीन अनुमोदन	13.11.2014	विविध याचिका
144	टीएल / 221 / 2014	24.08.2014	एनआरएसएस XXIX	एनआरएसएस XXIX पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनिमय 2003 की धारा 15 (1) के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत आवेदन	14.11.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
145	आरसी / 307 / 2014	11.09.2014	एसएन पावर मार्केटस प्रा.लि.	स्टेटक्राफ्ट मार्केट प्रा. लि. को एसएनपावर प्रा. लि से अनुज्ञप्ति के नाम के परिवर्तन के लिए विनियामक अनुपालन आवेदन को प्रस्तुत करना।	17.11.2014	विविध याचिका
146	274 / 2010	13.10.2010	मैथान पावर लि.	मैथान पावर लि. के यूनिट 1 और यूनिट 2 के टैरिफ का निर्धारण	19.11.2014	उत्पादन टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
147	आरपी/019/2014	08.07.2014	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्अेज 3 (1000 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में याचिका संख्या 148/जीटी/2013 में माननीय आयोग द्वारा पारित 15.5.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	20.11.2014	पुनरीक्षण याचिका
148	एमपी/423/2014	03.10.2014	टौरेट पावर लि.	30 नवम्बर 2014 तक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक की अवधि के लिए जो भी पहले हो पूर्णभार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए यूनिट 51, 52 और 53 से इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण की स्वीकृति के लिए अनुमति मांगते हुए याचिका	21.11.2014	विविध याचिका
149	72/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए मुंद्रा(4000 मेगावाट) के लिए पारेषण टैरिफ	01.12.2014	पारेषण टेरिफ
150	069/TT/2012	07.02.2012	पीजीसीआईएल	एनआरएसएस XV से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत अन्य आस्तियों और संबद्ध बेज सहित संयुक्त आस्तियों 1+II: 400 केवी डी/सी मानेसर निमराना के लिए पारेषण टैरिफ	02.12.2014	पारेषण टेरिफ
151	107/टीटी/2013	10.05.2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	तल्चर कोलार एचवीडीसी बाईपोल का पारेषण टैरिफ	02.12.2014	पारेषण टेरिफ
152	आरपी/014/2014	17.04.2014	यूदीपी पावर कापोरेशन लि.	माननीय आयोग द्वारा पारित 20.2.2014 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारबार संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103, 111 और 114 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अंतर्गत पठित	03.12.2014	पुनरीक्षण याचिका
153	RC/322/2013 और RC/003/2014 में याचिका संख्या 24/	26.08.2014	पावर एक्सचेंज इंडिया लि.	याचिका संख्या 322 आरसी/आरसी/2013 और याचिका संख्या आरसी/003/2014 में 2/7/2014 के आदेश के	03.12.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
	आरपी/2014			पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारबार संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(एफ) के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका		
154	टीएल/081/2014	12.05.2014	आईएल एंड एफ एस तमिलनाडु पावर कंपनी लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 (ए) के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	03.12.2014	पारेषण अनुज्ञप्ति
155	एमपी/024/2014	19.02.2014	अदानी पावर लि.	आयकर अधिनियम की धारा 155 जेबी के संशोधन के अनुसार लेवीमैट और यूएस डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्यह्रास और इंडोनेशियन सरकार द्वारा नए कोयला कीमत विनियम के विनियमत सहित अप्रत्याशित, अदर्शनीय और अनियंत्रणीय घटनाओं के कारण व्यवसायिक रूप से याचिकाकर्त्ताओं की पावर प्लांट को रेंडर करने वाली प्रवत्ती घटनाओं के कारण टैरिफ के समायोजन/तंत्र को विकसित करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका	03.12.2014	विविध याचिका
156	एमपी/157/2014	17.07.2014	स्नेहा क्नेटिक पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	सिक्किम में 96 मेगावाट दिक्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पावर की निकासी के लिए अंतरराज्यिक पारेषण लाइन के प्रयोग और कनैक्टीविटी प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की अन्य लागू उपबंधों एवं धारा 79 (आई)(सी)(एफ) के अंतर्गत याचिका	03.12.2014	विविध याचिका
157	17/जीटी/2013	13.06.2012	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप से नेशनल केपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2 X 490 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	04.12.2014	उत्पादन टेरिफ
158	आरपी/008/2014	17.02.2014	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	वर्ष 2009 से 2014 ब्लाक अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में	08.12.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				डब्ल्यूआरएसएस XI के अंतर्गत आस्तियों के लिए पारेषण प्रभारों के निर्धारण के संबंध में याचिका संख्या 62/पीटी/2012 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 23.12.2013 के आदेश का पुनरीक्षण		
159	अडोप्ट/220/2014	24.08.2014	एनआरएसएस XXIX	एनआरएसएस XXIX पारेषण लि. द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत आवेदन	10.12.2014	पारेषण टेरिफ
160	आरपी/013/2014	17.04.2014	एमपी पावर मेनेजमैंट को. लि.	रिहंद मटाटीला हाइडल पावर स्टेशन से एसपीएसईबी को आईटी की गैर आपूर्ति/पावर की एमपी शेयर को रोके रखने के कारण एमपी पावर प्रबंधन कंपनी लि (एमपीपीएल) को प्रतिपूर्ति रकम के भुगतान के लिए यूपी पावर कार्पोरेशन लि. को निर्देश के लिए निवेदन करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका	11.12.2014	पुनरीक्षण याचिका
161	आरसी/448/2014	14.12.2014	आरआरवीपीएनएल	समर्थन में शपथ पत्र सहित आवेदन संख्या 220/एमपी/2012 में पारित 21.2.2014 के आदेश के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए आवेदन	17.12.2014	पारेषण टेरिफ
162	आरपी/009/2014	21.03.2014	एनटीपीसी लि.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (4.4.2012 से 31.3.2014) की वास्तविक तारीख से अवधि के लिए फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 3 (1 x 500 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए दाखिल याचिका संख्या 204/जीटी/2011 में माननीय आयोग द्वारा पारित 21.1.2014 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	17.12.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
163	आरपी/020/2014	10.07.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए अंत गैस पावर स्टेशन (419.33 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका संख्या 193/जीटी/2013 में माननीय आयोग द्वारा पारित 15.5.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	17.12.2014	पुनरीक्षण याचिका
164	116/जीटी/2013 याचिका संख्या में आपी/022/2014	16.07.2014	टीएचडीसी इंडिया लि.	2011 से 2014 तक की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए 15.5.2014 माननीय केविविआ द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश के संदर्भ में पुनरीक्षण याचिका	22.12.2014	पुनरीक्षण याचिका
165	051/टीटी/2013	29.01.2013	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में शासन यूएमपीपीटीएस के अंतर्गत अन्य आस्तियों एवं (प) 765/400 केवी 3 x500 एमवीए आईसीटी II के लिए पारेषण टैरिफ	24.12.2014	पारेषण टेरिफ
166	आरपी/007/2014	17.02.2014	एसएलडीसी, अपट्रांसको	आईईजीसी के विनियम 5.2 के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र में समन्वित आरक्षित ग्रिड प्रचालन के रख रखाव और सुनिश्चित करने से संबंधित एसएलडीसी की याचिका संख्या 263/एमपी/2012 में माननीय आयोग द्वारा पारित 19.12.2013 के आदेश का पुनरीक्षण	24.12.2014	पुनरीक्षण याचिका
167	015/आरपी/2014	19.05.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की टैरिफ अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोनाई गांव थर्मल पावर स्टेशन और प्लाटना गैस आधारित पावर परियोजना के एटीएस के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन करते हुए याचिका संख्या 184/टीटी/2011 में माननीय आयोग द्वारा पारित 22.2.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	26.12.2014	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
168	102/टीटी/2013	08.05.2013	पीजीसीआईएल	थर्मल पावर टेक कार्पोरेशन इंडिया लि. लोवर पूलिंग स्टेशन और अन्य घटकों के लिए पारेषण टैरिफ	26.12.2014	पारेषण टेरिफ
169	आरपी/018/2014	08.07.2014	एनटीपीसी लि.	1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 (840 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में याचिका संख्या 135/जीटी/2013 में माननीय आयोग द्वारा पारित 13.05.2014 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	29.12.2014	पुनरीक्षण याचिका
170	एमपी/566/2014	31.12.2014	जिंदल पावर लि.	शपथ पत्र सहित 31 दिसम्बर 2014 के आगे 4 x 600 मेगावाट के यूनिट III के लिए पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इन्फर्म पावर के अंतक्षेपण की मंजूरी के लिए अनुमति की मांग के लिए याचिका	31.12.2014	विविध याचिका
171	आरपी/10/2014	31.03.2014	एसएलडीसी, मध्यप्रदेश	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आईईजीसी) विनियम 2010 के अनुसार स्वचालित मांग प्रबंध योजना के कार्यान्वयन पर स्वप्रेरणा से पारित 18.12.2013 के आदेश का पुनरीक्षण	05.01.2015	पुनरीक्षण याचिका
172	एमपी/071/2014 में याचिका संख्या 023/आरपी/2014	01.08.2014	पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (महाराष्ट्र) प्रा. लि.	पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (महाराष्ट्र प्रा0 लि0) बनाम भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन के रूप में याचिका संख्या 71/एमपी/2014 शीर्षक के रूप में इस माननीय आयोग द्वारा पारित 2/7/2014 के आदेश का पुनरीक्षण	05.01.2015	पुनरीक्षण याचिका
173	206/टीटी/2012	03.09.2012	पीजीसीआईएल	मालदा में संबद्ध बेज और ईआरएसएस IV के अन्य घटकों से संबद्ध 160 एमवीए ट्रांसफार्मर का पारेषण टैरिफ	06.01.2015	पारेषण टेरिफ
174	095/TT/2012	15.03.2012	पीजीसीआईएल	सासन यूएमपीपीटीएस से संबद्ध अन्य आस्तियों एवं 400 केवी	06.01.2015	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				स्तर पर आरंभिक रूप से प्रभारित सासन सतना सीकेटी1 टीएल के लिए टैरिफ		
175	113/टीटी/2012	31.12.2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र के लिए स्पेयर अंतरसंबद्ध ट्रांसफार्मरों (आईसीटी) का पारेषण टैरिफ	06.01.2015	पारेषण टेरिफ
176	एमपी/209/2014	14.08.2014	टोरेंट पावर लि.	अंतरक कंपनियों के बीच अर्थात याचिकाकर्त्ता टोरेंट एनर्जी लि. और टोरेंट केबल लि. एवं अंतरिती कंपनी, टीईएल के विलयन में, विलयन के रूप में सोफर में टोंरट पावर लि. के बीच प्रस्तावित विलयन के लिए अनुमोदन	07.01.2015	विविध याचिका
177	एमपी/054/2014	13.03.2014	रिलाइंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. एवं अन्य	याचिकाकर्त्ता संख्या 1(रिलाइंस इन्फ्रा) के साथ याचिका संख्या 2 (डब्ल्यूआरटीएम) और याचिका संख्या 3 (डब्ल्यूआरटीजी) के विलयन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 17 (3) के अंतर्गत याचिका	07.01.2015	विविध याचिका
178	एमपी/421/2014	21.10.2014	अदानी पावर लि.	अदानी ट्रांसमिशन इंडिया लि. को अदानी पावर लि. के पारेषण अनुज्ञप्ति (संख्या 20/पारेषण/2013/केविविआ) के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79(आई)(ई) के साथ पठित धारा 17 (3) के अंतर्गत याचिका	08.01.2015	विविध याचिका
179	080/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में कोटेश्वर एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली का पारेषण टैरिफ	09.01.2015	पारेषण टेरिफ
180	106/टीटी/2012	25.11.2011	टोरेट पावर ग्रिड लि.	लीलो प्वाइंट झनौर गंधार देहगांव का पारेषण टैरिफ	09.01.2015	पारेषण टेरिफ
181	199/टीटी/2012	17.08.2012	पीजीसीआईएल	आस्ति 1 के लिए पारेषण टैरिफ : जतिकला 765/400 केवी एस/एस में 400 केवी डी/सी बमनौली–मुडंका/बवाना के दोनों सर्कटों के लीलो, आस्ति 2 आगरा जतिकलां 765 केवी एस/टीएल और आस्ति 3 उतरी ग्रिड भाग 1 के केन्द्रीय भाग	09.01.2015	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				के लिए 765 केवी प्रणाली के अंतर्गत आगरा–मेरठ 765 केवी एस/सी टीएल		
182	067/TT/2012	07.02.2012	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में मैथान राइट बैंक परियोजना और डीवीसी के अंतर्गत अनुपूरक पारेषण प्रणाली से संबद्ध गया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और कोदर्मा–गया पारेषण लाइन 400केवी डी/सी (क्वेद) के लिए पारेषण टैरिफ	15.01.2015	पारेषण टेरिफ
183	207/टीटी/2012	03.09.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क और 764 केवी पूलिंग स्टेशनों के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत आस्तियों (6 नं. बस रिएक्टर भाग IV) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक घटकों का पारेषण टैरिफ, पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात और 2009–14 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के जरिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र/दक्षिण क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र से आयात	16.01.2015	पारेषण टेरिफ
184	169/स्वप्रेरणा/2012	14.08.2012		सभी उत्पादकों द्वारा संबद्ध करार को हस्ताक्षर करना	19.01.2015	स्वप्रेरणा याचिका
185	एमपी/311/2013	29.11.2013	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश के श्रीकुल्लम जिले में 2640 मेगावाट, भावनापादू थर्मल पावर परियोजना से विद्युत के शून्यीकरण के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध निदेश की मांग करना।	19.01.2015	विविध याचिका
186	एमपी/131/2014	01.07.2014	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि.	यूनिट 1 के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख तक घोषणा या 31.3.2015 तक जो भी पहले हो यूआई मेकेनिज्म के अंतर्गत इन्फर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए यथास्थिति	19.01.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				बनाए रखने के लिए आयोगों की अनुमति की मांग करना।		
187	आरपी/006/2014	14.02.2014	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि.	17.2.2014 से केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 पर खंड 12(छूट की शक्ति) के अंतर्गत याचिका के पुनरीक्षण के लिए निवेदन	20.01.2015	पुनरीक्षण याचिका
188	100/टीटी/2012	15.03.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी ग्रिड भाग 2 के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबद्ध पारेषण आस्तियों (भाग 2)के लिए पारेषण टैरिफ	20.01.2015	पारेषण टेरिफ
189	214/टीटी/2012	04.09.2012	पीजीसीआईएल	पश्चिमी क्षेत्र में सासन यूएमपीपी	20.01.2015	पारेषण टेरिफ
190	215/टीटी/2012	04.09.2012	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2009–14 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सासन यूएमपीपीटीएस	22.01.2015	पारेषण टेरिफ
191	070/टीटी/2012	14.02.2012	पीजीसीआईएल	डीवीसी और मैथान राइट बैंक परियोजना के अंतर्गत अनुपूरक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ	22.01.2015	पारेषण टेरिफ
192	115/जीटी/2013	06.11.2012	एनएचपीसी लि.	तीस्ता लो डैम परियोजना स्टेज 3 के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	22.01.2015	उत्पादन टेरिफ
193	याचिका संख्या :003/जीटी/2013	02.09.2011	एनएचपीसी लि.	1.9.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए चटक एचई परियोजना के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	23.01.2015	उत्पादन टेरिफ
194	138/जीटी/2013	08.09.2011	डीवीसी	अतिरिक्त कैपेक्स सहित मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ का अनुमोदन	23.01.2015	उत्पादन टेरिफ
195	टीडीएल/385/2014	28.09.2014	प्रोवेस्टमेंट सर्विस लि.	अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	27.01.2015	अनुज्ञप्ति
196	089/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	एनआरएसएस के अंतर्गत सोहवाल में 400 डी/सी बलिया लखनऊ लाइन के लीलो एवं जयपुर–साउथ में आइसीटी के लिए पारेषण टैरिफ	28.01.2015	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
197	195/जीटी/2013	09.11.2011	टीएचडीसी इंडिया लि.	टिहरी एचपीपी स्टेज 1 का टैरिफ (1000 मेगावाट)	28.01.2015	उत्पादन टेरिफ
198	231/जीटी/2013	09.04.2013	एनएचपीसी लि.	चमेरा 2 के संबंध में टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए टैरिफ का पुनरीक्षण	28.01.2015	पुनरीक्षण याचिका
199	239/2010	27.08.2010	एपीसीपीएल	400 केवी डी/सी झज्जर मुडंका पारेषण लाइन, 31.8.2010 से 31.3.2014 तक की प्रत्याशित वाणिज्यिक तारीख से अवधि के लिए एपीसीपीएल की आईडीएसटीपीपी की समर्पित पारेषण लाइन के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	28.01.2015	पारेषण टेरिफ
200	064/एमपी/2013	03.04.2013	दामोदर वैली कार्पोरेशन लि.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उठाए गए विद्युत आपूर्ति से संबद्ध विवादित मामलों के संबंध में	29.01.2015	विविध याचिका
201	165/टीटी/2013	23.08.2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	दक्षिण क्षेत्र ग्रिड में एसएसXVIII के अंतर्गत होसूर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.11.2013) में मौजूदा बग्लौर सेलम 400 केवी एस/सी के लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक पारेषण टैरिफ	29.01.2015	पारेषण टेरिफ
202	039/टीटी/2013	06.02.2013	पीजीसीआईएल	स्पेयर अंतसंबद्ध ट्रांसफार्मरों (आईसीटी) के उपबंधों के अंतर्गत लखनऊ में स्पेयर आईसीटी और हिसार में स्पेयर आईसीटी के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	03.02.2015	पारेषण टेरिफ
203	105/टीटी/2013	08.05.2013	पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि.	कामैंग एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत 400 केवी बलिपारा एसएस में तीन फेज बस रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ	03.02.2015	पारेषण टेरिफ
204	039/टीटी/2013 में याचिका संख्या 05/आरपी/2013	08.06.2013	पीजीसीआईएल	18.3.2013 के आदेश का पुनरीक्षण – हिसार में 400 केवी स्पेयर आईसीटी और लखनऊ में स्पेयर आईसीटी के तीन फेज स्पेयर ट्रांसफोर्मर के	03.02.2015	पुनरीक्षण याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन		
205	087/टीटी/2012	14.03.2012	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पूर्वी क्षेत्र वाया उत्तरी पूर्वी क्षेत्र/दक्षिण क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र से और पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आयात एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और पूर्वी क्षेत्र वाया उत्तरी पूर्वी क्षेत्र/दक्षिण क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र द्वारा आयात तथा उत्तरी क्षेत्र के लिए नेटवर्क एवं 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अंतर्गत आस्तियां	03.02.2015	पारेषण टेरिफ
206	021/एमपी/2013	20.02.2013	सासन पावर लि.	सासन पावर लि. – निर्माण अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति	04.02.2015	विविध याचिका
207	008/एमपी/2015	15.01.2015	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लि.	जून 2015 तक की अवधि के लिए 1 x 600 मेगावाट यूनिट से इन्फर्म से अंतःक्षेपण की स्वीकृति के लिए संशोधन हेतु याचिका	09.02.2015	विविध याचिका
208	टीडीएल/355/2014	29.08.2014	आरपीसीएल पावर ट्रडिंग प्रा. लि	आईपीसीएल पावर ट्रेडिंग पावर लि को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	10.02.2015	अनुज्ञप्ति
209	200/टीटी/2012	27.06.2012	पीजीसीआईएल	डीवीसी तथा मैथान राइटबैक परियोजना के अंतर्गत अनुपूरक पारेषण प्रणाली से संबद्ध 765 केवी एस/सी फतेहगढ़ आगरा टीएल के लिए पारेषण टैरिफ	10.02.2015	पारेषण टेरिफ
210	151/टीटी/2011	24.06.2011	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी उत्तरी अंतरक्षेत्रीय एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के अंतर्गत संसारम में 1 x 500 मेगावाट एचवीडीसी बैक टू बैक स्टेशन के लिए पारेषण टैरिफ	11.02.2015	पारेषण टेरिफ
211	एमपी/567/2014	31.12.2014	डीबी पावर लि.	आंरभिक सिंक्रोनाईजेशन से 6 महीने के आगे 12 दर्रा	12.02.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				झंजगीर, चंपा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित डीवी पावर लि. थर्मल पावर प्लांट यूनिट '2 (600 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए अवधि को बढ़ाने के लिए एवं डीएस एम के अंतर्गत यूनिट 2 के लिए स्टार्टअप पावर के आहरण के लिए अनुमति मांगते हुए नए उत्पादन केन्द्रों के 2014 के लिए स्टार्टअप पावर के आहरण के लिए क्रियाविधि के साथ पठित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना व संबद्ध मामले) 2009 के विनियम 8 के अंतर्गत याचिका के मामले में।		
212	एमपी/092/2014	19.05.2014	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के मध्यस्थता मनाही के मामले में याचिका	16.02.2015	विविध याचिका
213	एमपी/092/2014 में याचिका संख्या आरपी/025/2014	17.10.2014	भारत एल्युमीनियम कंपनी लि.	जून 2013 में प्राप्त किए गए आवेदनों के लिए एमटीओए प्रदान करने को सैटसाईट करने 8.8.2014 तथा 5.9.2014 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए आवेदन	16.02.2015	पुनरीक्षण याचिका
214	एमपी/376/2014	28.09.2014	डीबी पावर लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 27 (आई) के अंतर्गत इस माननीय आयोग द्वारा यथाअनुमोदित एवं केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत आईएसटीएस में संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने के लिए विस्तृत	16.02.2015	विविध याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
				क्रियाविधि एवं विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के मध्यस्थता और अनुचितता के रूप में 22.9.2014 के पत्र की घोषणा करते हुए आदेश या उचित निर्देश की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की 79 (आई)(के) के साथ पठित धारा 79 (आई) के अंतर्गत याचिका		
215	एमपी / 393 / 2014	09.10.2014	डीबी पावर लि.	विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के विपरित और अवैध, मध्यस्थता संदहास्पद एवं भेदभावपूर्ण तथा केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम 2009 के रूप में 22.9.2014 के पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा मौजूदा लाइनों के लीलों पर एलटीए की आवंटन को घोषित करते हुए आदेश या उचित मार्गनिर्देश की मांग करते हुए याचिका	16.02.2015	विविध याचिका
216	MP/382 / 2014	28.09.2014	एमको एनर्जी लि.	अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली को दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए नोडल एंजेसी एवं केन्द्रीय पारेषण यूटिलीटी, प्रत्यर्थी तथा याचिकाकर्त्ता उत्पादनकारी कंपनी के बीच उत्पन्न विवादों के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 79 (आई)(एफ) के अंतर्गत याचिका	16.02.2015	विविध याचिका
217	568 / आरसी / 2014	31.12.2014	इंडियन एनर्जी एक्सचेज लि.	भारतीय ऊर्जा विनिमय लि. नई दिल्ली के लिए स्वतंत्र निदेशकों के पैनल के लिए विनियामक अनुपालन आवेदन	20.02.2015	अनुज्ञप्ति
218	003 / एसएम / 2015	27.02.2015	स्वप्रेरणा याचिका	सौर उत्पादनकारी केन्द्रों से उत्पादित विद्युत के लिए पारेषण प्रभार	02.03.2015	स्वप्रेरणा याचिका

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
219	एमपी / 049 / 2014	05.03.2014	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लि.	फरवरी 2014 से आगे की अवधि के लिए दक्षिण क्षेत्र के संघटकों द्वारा क्षमता से अतिरिक्त अंतरण क्षमता के लिए पूर्वी क्षेत्र – दक्षिण क्षेत्र कारिडोर में निर्बाध पहुंच की अनुमति के लिए पोसोको को निर्देश देना और पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण ओडिशा में ग्रिडको पावर के अंतःक्षेपण के लिए पूर्वी–दक्षिण क्षेत्र कारिडोर में 350 मेगावाट तक की सीमा के लिए अतिरिक्त अंतरण क्षमता घोषित करने के लिए मार्गनिर्देश की मांग करते हुए याचिका	09.03.2015	विविध याचिका
220	196 / जीटी / 2013	15.11.2011	दामोदर घाटी निगम	चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए टैरिफ का अनुमोदन	12.03.2015	उत्पादन टेरिफ
221	091 / एमपी / 2015	09.03.2015	डीबी पावर लि.	डीएसएम के अंतर्गत यूनिट 2 के लिए स्टार्टअप पावर के निकासी के लिए और आंरभिक सिन्क्रोनाइजेशन से 6 महीने से आगे गांव बारादरा, जंजीर चंपा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित डीबी पावर लि0(थर्मल पावर लि.) यूनिट 2 (600 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए अवधि बढ़ाने के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका	11.03.2015	विविध याचिका
222	084 / एमपी / 2013	30.04.2013	श्री रेनुका सुगर्स लि.	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (आई)(ई) और आर ईसी तंत्र के अंतर्गत विनियम	13.03.2015	विविध याचिका
223	213 / एमपी / 2013	09.10.2013	आरआरवीपीएनएल	विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक लाइनों का उल्लंघन करने वाली और अन्य राज्यों के साथ संबद्ध आरवीपीएन स्वामित्व की पारेषण लाइनों / तंत्र के संबंद्ध में टैरिफ	18.03.2015	पारेषण टेरिफ

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
224	187/टीटी/2011	01.08.2011	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में डीवीसी मैथान राइट बैक परियोजना के लिए अनुपूरक पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ	17.03.2015	पारेषण टेरिफ
225	002/आरपी/2015	12.02.2015	एनटीपीसी लि.	31.1.2010 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए नेशनल केपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 दादरी (2 x 490 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका संख्या 17/जीटी/2013 में माननीय आयोग द्वारा पारित 4.12.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	18.03.2015	पुनरीक्षण याचिका
226	003/आरपी/2015	03.02.2015	एनटीपीसी लि.	ट्रूंइगअप कार्य के बाद 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 और 2 (2100 मेगावाट) के टैरिफ के संबंध में याचिका संख्या 230/जीटी/2013 में माननीय आयोग द्वारा पारित 5.11.2014 के आदेश का पुनरीक्षण	18.03.2015	पुनरीक्षण याचिका
227	054/एमपी/2015	29.01.2015	सौलर पावर	आरंभ होने की तारीख से प्रमाण पत्र के जारी होने के लिए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2010 के अंतर्गत याचिका	18.03.2015	विविध याचिका
228	एमपी/548/2014	29.12.2014	दरभंगा–मोतीहारी ट्रांसमिशन कंपनी लि	आईडीबीआई ट्रस्टीसिप सर्विसिज लि. (सिक्योरिटी ट्रस्टी) के पक्ष में सुरक्षा हित के सर्जन के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 (3) और 17 (4) के अनुमोदन के लिए याचिका	18.03.2015	पुनरीक्षण याचिका
229	89/जीटी/2011	25.03.2011	डीवीसी	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फेज II के लिए टैरिफ का निर्धारण	20.03.2015 टैरिफ	उत्पादन

क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय	निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
230	226 / जीटी / 2013	05.03.2013	एनटीपीसी लि.	ट्रूइंगअप कार्य के बाद 16.9.2011 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 (2 x 500 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	20.03.2015	पुनरीक्षण याचिका
231	099 / टीटी / 2012	15.03.2012	पीजीसीआईएल	उत्तरी ग्रिड भाग III के केन्द्रीय भाग के लिए 765 केवी प्रणाली से संबद्ध आस्तियों के लिए पारेषण टैरिफ	24.03.2015	पारेषण टेरिफ
232	026 / जीटी / 2013	02.09.2011	एनएचपीसी	चमेरा एचईप्रोजेक्ट स्टेज III के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	24.03.2015	उत्पादन टेरिफ
233	006 / एमपी / 2013	16.01.2013	सासन पावर लि.	सासन पावर लि – प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागत के लिए विधि में परिवर्तन के कारण प्रतिपूर्ति	30.03.2015	विविध याचिका
234	222 / जीटी / 2013	24.12.2012	एनटीपीसी लि.	फिरोज गांधी उंचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज II (420 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण	31.03.2015	उत्पादन टेरिफ

अनुबंध-II

एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्र/यूनिट की 31.03.2015 को संस्थापित क्षमता एवं वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

क्र.सं.	उत्पादन केन्द्र	31.3.2015 को स्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के तारीख
एनटीपीसी का कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्र			
क.	**पिटहैड उत्पादन केन्द्र**		
1	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	1.1.1991
2	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	1.4.2006
3	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-III	500.00 500.00	19.11.2012 27.03.2014
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	1.5.1988
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260.00	1.2.1992
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	1.10.2000
7	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-III	1000.00	15.7.2007
8	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-IV	500.00 500.00	1.3.2013 27.03.2014
9	कोरबा एसटीपीएस, एसटीपीस स्टेज-I एवं II	2100.00	1.6.1990
10	सिपत स्टेज-II	1000.00	1.1.2009
11	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I एवं II	2100.00	1.4.1991
12	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-III	500.00	25.03.2005
13	तलचर टीपीएस	460.00	1.7.1997
14	तलचर एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	1.7.1997
15	तलचर एसटीपीएस स्टेज-II	2000.00	1.08.2005
16	कोरबा एसटीपीएस (स्टेज-III)	500.00	21.03.2011
17	सिपत स्टेज-I	1980.00	01.10.2011, 25.5.2012 एवं 1.8.2013
	उप–जोड़	**20900.00**	

क्र.सं.	उत्पादन केन्द्र	31.3.2015 को स्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के तारीख
ख.	**गैर–पिटहैड उत्पादन केन्द्र**		
1	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज-I	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2	एफजीयूटीपीपी स्टेज-II	420.00	1.1.2001
3	एफजीयूटीपीपी स्टेज-III	210.00	1.01.2007
4	एनसीटीपी दादरी (स्टेज-I)	840.00	1.12.1995
5	एनसीटीपी दादरी (स्टेज-II)	980.00	30.07.2010
6	फरक्का एसटीपीएस I एवं II	1600.00	1.7.1996
7	फरक्का एसटीपीएस III	500.00	4.4.2012
8	तांदा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
9	बदरपुर टीपीएस	705.00	1.4.1982
10	कहलगांव एसटीपीएस	840.00	1.8.1996
11	कहलगांव स्टेज-II	1500.00	20.03.2010
12	सिंहाद्री-I	1000.00	1.3.2003
13	सिंहाद्री-II	500.00 500.00	16.09.2011, 30.9.2012
14	मौदा	500.00 500.00	13.3.2013 30.3.2014
15	बड़-II	660.00	04.03.2015
	उप–जोड़	**12115.00**	
	कुल कोयला (क+ख)	**33015.00**	

क्र.सं.	उत्पादन केन्द्र	31.3.2015 को स्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के तारीख
ग.	**एनटीपीसी के गैस/तरल ईंधन आधारित केन्द्र**		
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4	ओरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990
5	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	कुल एनटीपीसी (गैस)	**4016.64**	
	कुल एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**37031.64**	

अनुबंध-III

नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन के उत्पादन केंद्रों/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.3.2015 को संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	उत्पादन केन्द्र	31.3.2014 को स्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन के तारीख
1	टीपीएस-I	600	21.02.1970
2	टीपीएस-II (स्टेज-I)	630	23.04.1988
3	टीपीएस-II (स्टेज-II)	840	09.04.1994
4	टीपीएस-I (विस्तार)	420	05.09.2003
5	सीएफबीसी आधारित बरसिंगसर टीपीएस	250	21.01.2012
6	**कुल लिग्नाईट**	**2740**	

अनुबंध-IV

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों की 31.3.2015 को संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

उत्पादनकारी स्टेशन	क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
	थर्मल	
बोकारो 'बी' टीपीएस	(3 X 210) = 630	यू-I मार्च 86, यू-II नवम्बर 90 यू-III अगस्त 93
चन्द्रपुरा टीपीएस	(3 X 130) + (2 X 250) = 890	यू-I अक्तूबर 64, यू-II मई 65 यू-III जुलाई 68, यू-VII नवंबर 11 यू-VIII जुलाई 11
दुर्गापुर टीपीएस	(1X140) + (1X210 मेगावाट) = 350	यू-III दिसं 66, यू-IV सितं 82
मेजिया टीपीएस	(4 X 210) + (2 X 250) (2 X 500) = 2340	यू-I मार्च 96, यू-II मार्च 98 यू-III सितं 99, यू-IV फरवरी 05 यू-V फरवरी 08, यू-VI सितंबर 08 यू-VII अगस्त 11, यू-VIII अग. 12
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	यू-I मई 12, यू-II मार्च 13
कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) = 1000 2014-15 के दौरान दूसरी यूनिट प्रारंभ हुई	यू-I जुलाई 13; यू-II जून, 2014
कुल थर्मल	**6210**	

अनुबन्ध-V

उत्तरपूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम (नीपको) के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों की 31.3.2015 को संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.3.2015 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के तारीख
1	अगरतला जीपीएस	84	01.08.1998
2	असम जीपीएस	291	01.04.1999
3	**कुल**	**375**	

अनुबन्ध-VI

थर्मल पावर केन्द्रों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र का नाम	मार्च, 2015 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2014–15 नियत प्रभार (पैसे/किलो वाट घंटा)	31.03.2015 को ऊर्जाप्रभार (पैसे/किलो वाट घंटा)	कुल (पैसे/किलोवाट घंटा)
एनटीपीसी केन्द्र					
क	**कोयला आधारित केन्द्र**				
1	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-I	1000	82.06	172.00	254.06
2	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-II	1000	93.91	170.10	264.01
3	रिहंद एसटीपीएस स्टेज-III	1000	130.55	165.70	296.25
4	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	53.66	117.30	170.96
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260	64.76	171.20	235.96
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-II	1000	65.56	161.40	226.96
7	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-III	1000	112.07	161.10	273.17
8	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-IV	1000	141.50	161.30	302.80
9	कोरबा एसटीपीएस स्टेज- I एवं II	2100	53.37	105.10	158.47
10	कोरबा एसटीपीएस स्टेज-III	500	162.35	105.20	267.55
11	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I एवं II	2100	60.62	259.70	320.32
12	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-III	500	95.69	269.80	365.49
13	तल्चर टीपीएस	460	126.33	135.60	261.93
14	तल्चर एसटीपीएस स्टेज-I	1000	84.55	145.00	229.55
15	तल्चर एसटीपीएस स्टेज-II	2000	80.54	145.00	225.54
16	सिपत एसटीपीएस स्टेज-I	1980	140.88	138.00	278.88
17	सिपत एसटीपीएस स्टेज-II	1000	129.23	137.00	266.23
18	बड़-II	660		388.20	388.20
19	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज-I	420	87.41	291.40	378.81
20	एफजीयूटीपीपी स्टेज-II	420	90.73	291.40	382.13
21	एफजीयूटीपीपी स्टेज-III	210	139.84	291.40	431.24
22	एनसीटीपी दादरी स्टेज-I	840	90.52	392.10	482.62
23	एनसीटीपी दादरी स्टेज-II	980	159.54	367.10	526.64
24	फरक्का एसटीपीएस स्टेज-I एवं II	1600	81.74	259.40	341.14
25	फरक्का एसटीपीएस स्टेज-III	500	168.52	257.10	425.62
26	टांडा टीपीएस	440	112.86	351.80	464.66
27	बदरपुर टीपीएस	705	89.81	464.10	553.91
28	कहलगांव एसटीपीएस स्टेज-I	840	96.87	236.10	332.97
29	कहलगांव एसटीपीएस स्टेज-II	1500	121.34	222.90	344.24
30	सिम्हाद्री स्टेज-I	1000	101.50	294.00	395.50
31	सिम्हाद्री स्टेज-II	1000	167.80	292.50	460.30
32	मौदा	1000	154.22	378.00	532.22

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र का नाम	मार्च, 2015 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2014–15 नियत प्रभार (पैसे/किलो वाट घंटा)	31.03.2015 को ऊर्जाप्रभार (पैसे/किलो वाट घंटा)	कुल (पैसे/किलोवाट घंटा)
ख	ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने वाले (एपीएम)				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	401.60	455.76
2	फरीदाबाद सीसीजीटी	431.00	79.51	328.00	407.51
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	340.40	410.30
4	ओरैया जीपीएस	663.36	52.84	413.80	466.64
5	गंधार जीपीएस	657.39	100.13	326.50	426.63
6	कवास जीपीएस	656.20	78.65	332.00	410.65
ग	ईंधन के रूप में एनएपीएम गैस का प्रयोग करने वाले				
1	गंधार जीपीएस	657.39	100.13	356.20	456.33
2	कवास जीपीएस	656.20	78.65	362.30	440.95
घ	ईंधन के रूप में एलएनजी का प्रयोग करने वाले				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	1134.50	1188.66
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	0.00	79.51
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	954.10	1024.00
4	ओरैया जीपीएस	663.36	52.84	1148.20	1201.04
5	कवास जीपीएस	431.00	78.65	1030.60	1109.25
6	गंधार जीपीएस	657.39	100.13	*0	
ड	ईंधन के रूप में तरल ईंधन (नाफथा/एचएसडी) का प्रयोग करने वाले				
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	54.16	*0	
2	फरीदाबाद	431.00	79.51	*0	
3	अंता सीसीजीटी	419.33	69.90	*0	
4	ओरैया जीपीएस	663.36	52.84	*0	
5	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	86.20	*0	
6	कवास गैस	656.20	78.65	*0	

स्रोत : एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों का माह बिक्री आंकड़ा।
*कोई ऊर्जा अनुसूची नहीं थी

वर्ष 2014–15 के लिए नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन

क्र. सं.	उत्पादनकारी केन्द्र का नाम	मार्च, 2015 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	नियत प्रभार पैसे / किलोवाट	ऊर्जा प्रभार पैसे / किलोवाट	कुल पैसे / किलोवाट
1	टीपीएस-I	600.00	87.73	264.70	352.43
2	टीपीएस-II (स्टेज-I)	630.00	62.08	221.30	283.38
3	टीपीएस-II (स्टेज-II)	840.00	63.39	221.30	284.69
4	टीपीएस-I (विस्तार)	420.00	133.07	209.80	342.87
5	सीएफबीसी आधारित बरसिंगसर टीपीएस	250.00	255.79	126.20	381.99

वर्ष 2014–15 के लिए डीवीसी केन्द्र

क्र. सं.	उत्पादनकारी केन्द्र का नाम	मार्च, 2015 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	नियत प्रभार पैसे / किलोवाट	ऊर्जा प्रभार पैसे / किलोवाट	कुल पैसे / किलोवाट
1	बीटीपीएस	630.00	122.97	236.00	358.97
2	सीटीपीएस (1-3)	390.00	157.94	286.90	444.84
3	डीटीपीएस	350.00	135.13	284.80	419.93
4	डीएसटीपीएस	1000.00	186.36	196.50	382.86
5	केटीपीएस	1000.00	171.45	202.20	373.65
6	एमटीपीएस (यूनिट 1 से यूनिट 4)	840.00	131.36	201.00	332.36
7	एमटीपीएस (यूनिट 5 एवं यूनिट 6)	500.00	171.87	205.10	376.97
8	एमटीपीएस (यूनिट 7 एवं यूनिट 8)	1000.00	168.15	207.90	376.05
9	सीटीपीएस (यूनिट 7 एवं यूनिट 8)	500.00	168.15	230.50	398.65

वर्ष 2014–15 के लिए नीपको केन्द्र

क्र. सं.	उत्पादनकारी केन्द्र का नाम	मार्च, 2015 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	नियत प्रभार पैसे / किलोवाट	ऊर्जा प्रभार पैसे / किलोवाट	कुल पैसे / किलोवाट
1	अगरतला जीपीएस	84.00	126.78	346.70	473.48
2	असम जीपीएस	291.00	147.25	263.10	410.35

स्रोत : उत्पादन कंपनी से प्राप्त एनएलसी, डीवीसी और नीपको के उत्पादन केन्द्र का ऊर्जा प्रभार डाटा

अनुबन्ध-VII

हाईड्रो उत्पादन कंपनियों (एनएचपीसी, एनएचडीसी, डीएचडीसी, एचजीवीएनएल, डीवीसी नीपको) की संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
क	**एनएचपीसी**				
1	बैरा सियोल	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	3 X 60 = 180	1982
2	चमेरा-I	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	3 x 180 = 540	1994
3	चमेरा - II	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	3 x 100 = 300	2004
4	चमेरा - III	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	3 x 77 =231	2012
5	परबती स्टेज-III	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	4 x 130 = 520	2014
6	सलाल I और II	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	1987/1995
7	यूरी - I	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	1997
8	यूरी - II	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	2014
9	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	पौंडेज	3 x130 = 390	2007
10	निम्बो बज्गो	जम्मू एवं कश्मीर	पौंडेज	3x15= 45	2013
11	चटक	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4x11=44	2013
12	सेवा-II	जम्मू एवं कश्मीर	पौंडेज	3 x 40 = 120 MW	2010
13	टनकपुर	उत्तराखंड	आरओआर	3 x 31.4 = 94.20	1993
14	दौलीगंगा	उत्तराखंड	पौंडेज	4 x 70 = 280	2005
15	तिस्ता –V	सिक्किम	पौंडेज	3 x 170 = 510	2008
16	तिस्ता लो डेम -III	सिक्किम	स्मॉल पौंडेज के साथ आरओआर	4 x 33 =132	2013
17	रंगित	सिक्किम	पौंडेज	3 x 20 = 60	2000
18	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	1983
	कुल (आई.सी.)			**4961.20**	
ख	**एनएचडीसी**				
19	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	2005
20	ओंकेश्वर	मध्य प्रदेश	पौंडेज	8x65 = 520	2007
	कुल (आई.सी.)			**1520.00**	
ग	**टीएचडीसी**				
21	टिहरी	उत्तराखंड	स्टोरेज	4x250=1000	2007
22	कोटेश्वर	उत्तराखंड	पौंडेज	4x100=400	2012
	कुल (आई.सी.)			**1400.00**	
घ	**एसजेवीएनएल**				
23	नाथ्पा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	6X250=1500	2004
24	रामपुर	हिमाचल	टैंडम	6x68.66=412	2014
	कुल (आई.सी.)			**1912.00**	
ड	**डीवीसी**				
25	मैथान	झारखंड/प.बंगाल	स्टोरेज	2x20+1x23.20=63.20	1958
26	पंचेत	झारखंड/प.बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	1991
27	तलैया	झारखंड	स्टोरेज	2x2=4	1953
	कुल (आई.सी.)			**147.20**	
च	**नीपको**				
28	रंगानदी	अरूणाचल प्रदेश	पौंडेज	3x135=405	2002
29	कोपीली स्टेज-I	असम	स्टोरेज	4x50=200	1997
30	कोपीली स्टेज-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	2004
31	खांडोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	1984
32	डोयांग	नागालैंड	स्टोरेज	3x25=75	2000
	कुल (आई.सी.)			**755.00**	
छ	**आईपीपी**				
33	कर्चमवांगटू	हिमाचल प्रदेश	पौंडेज	4x250=1000	2011
	आई सी का कुल योग			**11,695.40**	

अनुबन्ध-VIII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की परिधि की अधीन हाइड्रो केन्द्रों का समन्वित टैरिफ

क्र.सं.	संगठन/विद्युत केन्द्र	संस्थापित क्षमता मेगावाट	2014-15 के लिए यौगिक दरें* (₹/किलोवाट घंटा)
	एनएचपीसी :		
1	बैरासियोल	180	1.75
2	लोकटक	105	3.26
3	स्लाल	690	1.01
4	टनकपुर	94.20	2.24
5	चमेरा –I	540	2.01
6	ऊरी-I	480	1.50
7	रंगीत	60	2.76
8	चमेरा-II	300	2.63
9	धौलीगंगा-I	280	2.79
10	दुलहस्ती	390	5.74
11	तिस्ता-V	510	2.22
12	सेवा –II	120	4.05
13	चमेरा-III	231	3.98
14	चटक	44	6.55
15.	तिस्ता-III	132	6.80
16.	निम्बों बज्गो	45	4.15
17	यूरी-II	240	7.72
	नीपको :		
1	कोपीली स्टेज–I	200	0.78
2	खांडोंग	50	1.28
3	कोपीली स्टेज-II	25	1.76
4	डोयांग	75	4.09
5	रंगानदी	405	1.97
	एनएचडीसी		
1	इंदिरा सागर	1000	2.28
2	औंकारेश्वर	520	4.19
	टीएचडीसी:		
1	टिहरी स्टेज-I	1000	6.05
2	कोटेश्वर	400	3.81
	एसजेवीएनएल:		
1	नफथा झाकरी	1500	2.59
2.	रामपुर	412	5.50
	डीवीसी:		
1.	मैथान	63.2	2.79
2.	पंचेत	80	1.19
3.	तलिया	4	4.85

*2014-15 के लिए पूंजी लागत की ट्रूईंग पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन

अनुबन्ध-IX

2014-15 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (₹/किलोवाट घंटा)

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आरई प्रौद्योगिकी हेतु जनरिक टैरिफ			
विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्त वर्ष 2015-16)	बढ़े मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)
पवन ऊर्जा			
पवन क्षेत्र -1 (सीयूएफ 20%)	6.58	0.71	5.87
पवन क्षेत्र -2 (सीयूएफ 22%)	5.98	0.64	5.34
पवन क्षेत्र -3 (सीयूएफ 25%)	5.27	0.57	4.70
पवन क्षेत्र -4 (सीयूएफ 30%)	4.39	0.47	3.92
पवन क्षेत्र -5 (सीयूएफ 32%)	4.11	0.44	3.67
लघु हाइड्रो विद्युत प्रोजेक्ट			
एचपी, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य (5 मेगावाट से नीचे)	4.64	-	-
एचपी, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट तक)	3.95	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से नीचे)	5.47	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट तक)	4.65	-	-

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परिवर्ती लागत (वित्त वर्ष 2015-16)	लागू टैरिफ दर (वित्त वर्ष 2015-16)	बढ़े मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील) मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)
वाटर कूल कंडेन्शर एवं ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास पावर परियोजना (राइस्ट्रा और जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना से भिन्न					
आंध्र प्रदेश	3.06	4.48	7.53	0.18	7.36
हरियाणा	3.12	5.09	8.21	0.18	8.03
महाराष्ट्र	3.13	5.21	8.34	0.18	8.16
पंजाब	3.14	5.33	8.47	0.18	8.29
राजस्थान	3.06	4.45	7.50	0.18	7.32
तमिलनाडु	3.05	4.40	7.45	0.18	7.27
उत्तर प्रदेश	3.07	4.55	7.62	0.18	7.44
अन्य	3.09	4.79	7.88	0.18	7.70

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परिवर्ती लागत (वित्त वर्ष 2015-16)	लागू टैरिफ दर (वित्त वर्ष 2015-16)	बढ़े मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)
वाटर कूल कंडेन्शर एवं ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास पावर परियोजना (राइस्ट्रा और जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना से भिन्न)					
आन्ध्र प्रदेश	3.24	4.58	7.82	0.20	7.62
हरियाणा	3.30	5.21	8.51	0.20	8.32
महाराष्ट्र	3.31	5.33	8.64	0.20	8.45
पंजाब	3.33	5.45	8.78	0.20	8.58
राजस्थान	3.24	4.55	7.79	0.20	7.59
तमिलनाडु	3.23	4.50	7.74	0.20	7.54
उत्तर प्रदेश	3.25	4.66	7.91	0.20	7.71
अन्य	3.27	4.90	8.17	0.20	7.97
वाटर कूल कंडेन्शर एवं ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास पावर परियोजना (राइस्ट्रा और जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना से भिन्न)					
आन्ध्र प्रदेश	3.20	4.48	7.67	0.20	7.48
हरियाणा	3.26	5.09	8.35	0.20	8.16
महाराष्ट्र	3.27	5.21	8.48	0.20	8.28
पंजाब	3.28	5.33	8.61	0.20	8.41
राजस्थान	3.19	4.45	7.64	0.20	7.44
तमिलनाडु	3.19	4.40	7.59	0.20	7.39
उत्तर प्रदेश	3.20	4.55	7.76	0.20	7.56
अन्य	3.23	4.79	8.01	0.20	7.81

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परिवर्ती लागत (वित्त वर्ष 2015-16)	लागू टैरिफ दर (वित्त वर्ष 2015-16)	बढ़े मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)
वाटर कूल कंडेन्शर एवं ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर सहित बायोमास पावर परियोजना (राइस्ट्रा और जूलीफलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना से भिन्न)					
आंध्र प्रदेश	3.38	4.58	7.96	0.21	7.75
हरियाणा	3.44	5.21	8.66	0.21	8.44
महाराष्ट्र	3.46	5.33	8.79	0.21	8.58
पंजाब	3.47	5.45	8.92	0.21	8.71
राजस्थान	3.38	4.55	7.93	0.21	7.72
तमिलनाडु	3.38	4.50	7.88	0.21	7.67
उत्तर प्रदेश	3.39	4.66	8.05	0.21	7.84
अन्य	3.41	4.90	8.31	0.21	8.10
बायोगैस आधारित सह उत्पादन					
आंध्र प्रदेश	3.15	2.90	6.05	0.25	5.80
हरियाणा	2.84	4.13	6.97	0.21	6.76
महाराष्ट्र	2.55	4.07	6.62	0.18	6.43
पंजाब	2.79	3.63	6.42	0.21	6.21
तमिलनाडु	2.46	3.13	5.59	0.18	5.41
उत्तर प्रदेश	3.18	3.24	6.42	0.25	6.17
अन्य	2.78	3.52	6.29	0.21	6.08

सौर पीवी एवं सौर थर्मल			
विवरण	स्तरीकृत निर्धारित लागत (वित्त वर्ष 2015-16)	बढ़े मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)
सौर पीवी	7.04	0.69	6.35
सौलर थर्मल	12.05	1.25	10.80

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परिवर्ती लागत (वित्त वर्ष 2015-16)	लागू टैरिफ दर (वित्त वर्ष 2015-16)	बढ़े मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)	(₹/किलोवाट घंटा)
बायोमास गैसीफायर पावर प्रोजेक्ट					
आंध्र प्रदेश	2.58	4.08	6.66	0.13	6.53
हरियाणा	2.64	4.65	7.28	0.13	7.15
महाराष्ट्र	2.65	4.75	7.40	0.13	7.27
पंजाब	2.66	4.86	7.52	0.13	7.39
राजस्थान	2.58	4.06	6.63	0.13	6.50
तमिलनाडु	2.57	4.02	6.59	0.13	6.46
उत्तर प्रदेश	2.59	4.15	6.74	0.13	6.61
अन्य	2.61	4.37	6.98	0.13	6.85
बायोगैस आधारित सह उत्पादन					
बायोगैस	3.57	4.29	7.86	0.26	7.60

अनुबन्ध-X

आयोग के अधिकारी/स्टाफ द्वारा सेमिनार/सम्मेलनों/विनियम कार्यक्रमों में सहभागिता वर्ष 2014–15 (भारत से बाहर)

क्र.सं.	प्रतिनियुक्त अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि	सेमिनार/सम्मेलन/कार्यक्रम का नाम	देश का नाम
1.	श्री अ.कु. सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)	24 अप्रैल 14 से 26 अप्रैल 14	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एवं पर्यावरण फेयर एवं सम्मेलन में ईएसएमएपी नॉलेज एक्सचेंज सत्रों में वक्ता के रूप में सहभागिता	इस्तानबुल, टर्की
2.	श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष	28 अप्रैल 14	ऊर्जा बाजार प्राधिकरण सिंगापुर के साथ बैठक/विचार विमर्श में भाग लेना	सिंगापुर
3.	श्री एम.एम. चौधरी, सहायक प्रमुख (वित्त)	2 जून 14 से 7 जून14	''वितरण ग्रिड प्रबंधन, चुनौती एवं समाधान– नवीकरणीय ऊर्जा की बड़े पैमाने पर समाकलन'' में सहभागिता करना	जर्मनी
4.	श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष	11 अगस्त 14 से 15 अगस्त 14	एफओआर एवं एलबीएनएल, सीईसी, सीपीयूसी, यूएसए के बीच एमओयू के अधीन बैठक में भाग लेना	यूएसए
5.	श्री एम.के. आनंद प्रमुख (वित्त)	21 सितंबर 14 से 26 सितंबर 14	फेसिलेटटींग आफ शोर विंड इन इंडिया (फोविंड) परियोजना के अंतर्गत ''यूरोपीए देशों में आफ शोर पवन क्षेत्रों का विकास'' से संबंधित अध्ययन में सहभागिता	जर्मनी (हमबर्ग)
6.	सुश्री शुभा शर्मा, सचिव	13 अक्तूबर 14 से 15 अक्तूबर 14	''विद्युत क्षेत्र सुधारों, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं इत्यादि से संबंधित विषयों पर शिक्षण एवं अनुभव को शेयर करना तथा विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर भारत और यूके के बीच प्रस्तावित एमओयू के लिए समन्वय के क्षेत्रों को अंतिम रूप देना'' कार्यक्रम में सहभागिता करना	यू.के.
7.	श्रीमती रश्मि नायर उप प्रमुख (विनियामक मामले)	22 नवंबर 14 से 29 नवंबर 14	अंतरराष्ट्रीय जूसमेनर बैल्ट (जीआईजेड) तकनीकी सहायता के लिए दयूत्सए डेसल सेल्फ के अंतर्गत ''पारेषण नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा समाकलन और जर्मनी में स्टेट ऑफ द आर्अ अनुसंधान पहल के लिए सहभागिता करना'' से संबंधित अध्ययन में सहभागिता	जर्मनी
8.	सुश्री अर्चना अहलावत उप प्रमुख (एमआईएस)	21 जनवरी 15 से 30 मई 15	ई गवर्नेंश के लिए सिफट हेतु विश्वसनीय सूचना प्रणाली निर्माण (सी)'' में ग्रुप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना	जापान
9.	श्रीमती रितु रनदेवा सहायक प्रमुख (विधि)	27 जनवरी 15 से 29 जनवरी 15	''अवसंरचना विनियम और सुधारों'' पर 14वें साफिर कोर पाठ्यक्रम में भाग लेना	ढाका (बांग्लादेश)
10.	श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष	27 जनवरी 15	साफिर की 8वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेना	ढाका (बांग्लादेश)
11.	श्री गिरीश भा. प्रधान, अध्यक्ष	25 मार्च 15 से 27 मार्च 15	साफिर की स्थायी समिति की बैठक की 21वीं बैठक में भाग लेना	भूटान
12.	सुश्री शुभा शर्मा, सचिव	25 मार्च 15 से 27 मार्च 15	साफिर की स्थायी समिति की बैठक की 21वीं बैठक में भाग लेना	थिम्फू (भूटान)

अनुबन्ध-XI

आयोग के अधिकारी/स्टाफ द्वारा सेमिनार/सम्मेलनों/विनियम कार्यक्रमों में सहभागिता वर्ष 2014–15 (भारत में)

क्र.सं.	प्रतिनियुक्त अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यक्रम का नाम	अवधि	स्थान
1.	श्री विजय मेंघाणी संयुक्त प्रमुख (इंजी) श्रीमती सावित्री सिंह सहायक प्रमुख (इंजी)	डॉ. जे. गीरी पीईएसडीएल, आईईईई फैलो द्वारा 18वां थॉमस एल्वा एडिशन मैमोरियल व्याख्यान	17 सितंबर 2014	एनएलडीसी नई दिल्ली
2.	श्री विक्रम सिंह उप प्रमुख (इंजी) श्री सुकांत गुप्ता उप प्रमुख (इंजी)	"विद्युत प्रणाली में सबसिक्रोन्वस रैसोरेंस की माडलिंग और सैमुलेशन" पर सीईपी अल्पकालिक पाठ्यक्रम	11 सितंबर 2014 से 12 सितंबर 2014	आईईटी बंबई ओवल मुंबई
3.	सुश्री शिल्पा अग्रवाल उप प्रमुख (इंजी)	विद्युत प्रणाली मितव्ययिता पर कार्यक्रम	16 सितंबर 2014 से 20 सितंबर 2014	एनपीटीआई फरीदाबाद
4.	श्री सुकान्त गुप्ता उप प्रमुख (इंजी)	विद्युत केन्द्रों में पीएटी योजना के कार्यान्वयन पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार	30 जनवरी 2015	नई दिल्ली
5.	श्री बी. श्रीकुमार उप प्रमुख (विधि) श्रीमती रश्मि नायर उप प्रमुख (वि. मामले)	प्रतिस्पर्धा विधि में सर्टिफिकेट कोर्स	अक्तूबर 2014 एवं दिसंबर 2014	गुड़गांव
6.	श्री देवेन्द्र सलूजा उप प्रमुख (इंजी) श्री वी. एस. राणा सहायक प्रमुख (इंजी)	सतत विकास के लिए हाइड्रो पावर पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	5 फरवरी 2015 से 07 फरवरी 2015	देहरादून
7.	श्री एस.सी. श्रीवास्तव संयुक्त प्रमुख (इंजी) श्री सुकांत गुप्ता संयुक्त प्रमुख (इंजी)	कोयला आधारित विद्युत उत्पादन पर 6टा वार्षिक सम्मेलन	10 फरवरी 2015 से 11 फरवरी 2015	नई दिल्ली

अनुबन्ध-XII

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2015 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधक की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन के बारे में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहुलओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार पर प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं किः–:

i. हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;
iii. हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 व 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख–रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।
iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैंः

क. लेखों पर टिप्पणियां : शून्य

ख. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त की गई 30.32 करोड़ रुप्ए की अनुदान सहायता में से (मार्च, 2015 में रुपए शून्य प्राप्त किए गए थे) और पूर्ववर्ती वर्ष के 9.98 करोड़ रुपए अव्ययित शेष से यह कुल रकम 40.30 करोड़ रुपए गई। केविविआ 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 30.93 करोड़ रुपए का प्रयोग कर सका जिसमें 9.37 करोड़ रुपए का बकाया अप्रयुक्त रह गया।

ग. प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें पृथक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, उसे उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया गया।

v. पिछले पैरा में अपने संप्रेक्षण के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध–1 में उल्लिखित मामलों के अधीन, रहते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध हैं, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, और)

ख)जहां तक अधिशेष के आय तथा व्यय लेखा का संबंध हैं। यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–**III,**
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 सितम्बर, 2015

अनुबन्ध-I

[पैरा 4(vi) में उल्लिखित]

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	केविविआ के लेखाओं के आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक रूप से इसके अपने अधिकारियों द्वारा की जाती है और आंतरिक लेखा परीक्षा का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा मेनुअल है। केविविआ के संव्यवहारों के आंतरिक लेखा परीक्षा 31 मार्च 2015 तक पूरी कर ली गई है और 30 सितम्बर 2014 और 31 मार्च 2015 को समाप्त छमाही के लिए उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 30 जून 2015 को जारी कर दी गई है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	मानिटरिंग प्राप्तियों एवं भुगतान करने तथा उसके लेखांकन के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मेकेनिज्म केविविआ की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाना है।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	केविविआ ने वर्ष 2014–15 के लिए केविविआ की आस्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक सनदी लेखाकार फर्म अर्थात् मैसर्स गर्ग एंड गर्ग को नियोजित (16.5.2015)किया। फर्म ने अपनी रिपोर्ट 20.7.2015 को प्रस्तुत की।
4.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	केविविआ उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

संकल्प

आयोग ने वर्ष 2014–15 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखाओं पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प किया:

"संकल्प करते हैं कि 31.03.2015 को आयोग का तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखाओं सहित प्राप्तियां और संदाय लेखाओं को अनुमोदित किया जाए और किया जाता है।"

संकल्प करते हैं कि 31.03.2015 को आयोग का तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए और व्यय लेखा सहित प्राप्तियां और संदाय लेखा पर सचिव और आंतरिक वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हस्ताक्षर किए गए और किए जाएंगे"

हस्ता/–

(शुभा शर्मा)

सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01 जुलाई 2015

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**3.77**	62.32
सीईआरसी निधि	2	**19,476.43**	14,424.26
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	**1,709.66**	925.19
कुल		**21,189.86**	**15,411.77**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4	**407.42**	533.20
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	5	**20,735.22**	14,878.57
विविध व्यय	6	**47.22**	-
(बट्टेखाते नहीं डाली गई या समायोजित की सीमा तक)			
कुल		**21,189.86**	15,411.77
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	11		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	12		

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण			अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
आय					
2013-14 में जारी की गई रकम का अव्ययित शेष	998.08	449.64			
चालू अवधि के दौरान सीईआरसी से जारी निधि	3,032.00	3,170.00			
	4,030.08	3,619.64			
घटाएं: बचत/सीईआरसी निधि को वास अंतरित खर्च					
न किया गया बचत/शेष	937.10	998.08		**3,092.98**	2,621.56
अन्य आय			7	**1.45**	3.36
आस्थगित आय				**12.85**	6.61
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)					
कुल (क)				**3,107.28**	2,631.53
व्यय					
स्थापना खर्चे			8	**941.09**	802.15
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि			9	**2,087.52**	1,851.16
अवक्षयण				**171.20**	97.27
कुल (ख)				**3,199.81**	2,750.58
व्यय पर आय की अधिकता/कमी के लिए शेष (क–ख)				**(92.53)**	(119.05)
घटाएं: **पूर्व अवधि मदें (निवल)**			10	**0.39**	7.67
पूंजी निधि को अंतरित अधिक/घाटे का शेष				**(92.92)**	(126.72)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			11		
आकस्मिकता दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण			12		

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2015 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची–1 पूंजी निधि	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
(क) पूंजी रिजर्व	**16.62**	23.23
घटाएं: अचल आस्तियों पर अवक्षयण के कारण आस्थगित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	**12.85**	6.61
उप जोड़ (क)	**3.77**	16.62
(ख) व्यय से आय की अधिकता का संचित शेष		172.42
जोड़: आय और व्यय के लेखा से अंतरित कुल आय/व्यय की अधिकता		(126.72)
उप जोड़ (ख)		45.70
उप जोड़ (क + ख)	**3.77**	62.32

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–2 सीईआरसी निधि			चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
वर्ष के प्रारंभ में शेष			**14424.26**	8870.24
	चालू वर्ष	गत वर्ष		
घटाएं: **2013–14 में रिलीज की गई रकम का खर्च न किया गया शेष**	**998.08**	449.64		
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज	**3032.00**	3170.00		
वापस की गई लाइसेंस फीस	**-**	10.50		
ब्याज का उत्क्रमण	**5.31**		**4035.39**	3630.14
			10388.87	5240.10
जोड़े : **प्रत्यक्ष आय :**				
फाइलिंग शुल्क/टैरिफ शुल्क	**5038.49**	5243.74		
लाइसेंस फीस	**2838.52**	2559.34		
वार्षिक पंजीकरण शुल्क	**58.00**	64.00		
विविध शुल्क	**17.32**	13.79	**7952.33**	7880.87
अप्रत्यक्ष आय :				
अर्जित ब्याज (टीडीएस निल)	**171.08**	178.24		
अन्य आय	**27.05**	30.34	**198.13**	208.58
			18539.33	13329.55
जोड़े : **अविवादित दंड**			**-**	96.63
जोड़े : **वर्ष के दौरान सीईआरसी निधि में वापस की गई बचत**			**937.10**	998.08
कुल योग			**19476.43**	14424.26

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–3 : चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
क. चालू दायित्व		
1. विविध क्रेडिटर्स	**158.55**	125.55
2. प्रतिदेय वेतन (सदस्य एवं स्टॉक)	**64.28**	55.25
3. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ शुल्क)		
3.1 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 14–15	**-**	66.00
3.2 अनुज्ञप्ति शुल्क – वित्त वर्ष 14–15	**-**	48.25
3.3 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	**11.50**	5.00
3.4 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	**680.44**	1.00
3.5 अनुज्ञप्ति शुल्क – वित्त वर्ष 15–16	**14.13**	-
3.6 पारेषण टैरिफ – वित्त वर्ष 15–16	**34.81**	-
3.7 पारेषण टैरिफ – वित्त वर्ष 16–17	**5.59**	-
3.8 पारेषण टैरिफ – वित्त वर्ष 17–18	**5.42**	-
3.9 पारेषण टैरिफ – वित्त वर्ष 18–19	**5.25**	-
4. वैधानिक देयताएं :		
4.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	**0.40**	0.16
4.2 सीपीएफ (वैधानिक व स्वैच्छिक)	**0.29**	0.12
4.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	**3.81**	3.32
4.4 पेंशन अंशदान	**11.48**	8.83
4.5 सीईआरसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	**10.58**	9.03
4.6 प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	**3.31**	1.94
4.7 ग्रेच्युटी पेयबल – अन्य	**6.49**	6.90
4.8 ग्रुप बचत सब बीमा/एलआईसी	**0.01**	0.01
4.9 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	**0.11**	0.12
4.10 एनपीएस समरूप अंशदान	**0.17**	0.05
4.11 जीपीएफ अग्रिम	**0.05**	-
4.12 एचबीए अग्रिम	**0.02**	-
5. अन्य चालू दायित्व		
5.1 जुर्माना	**395.27**	356.15
5.2 प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप	**8.76**	8.87
5.3 अन्य वसूलियां (कंप्यूटर अग्रिम)	**0.00**	0.00
5.4 भारत सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	**0.00**	0.00
5.5 अन्य वसूलियां (कार अग्रिम)	**0.07**	0.01
कुल (क)	**1420.79**	696.55
6. प्रावधान		
6.1 छुट्टी नकदीकरण	**145.28**	129.03
6.2 ग्रेच्युटी	**134.33**	98.02
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
7.1 टीडीएस भुगतान	**5.25**	-
7.2 संदेय लेखा परीक्षा शुल्क (सी एंड सी)	**4.01**	1.59
कुल (ख)	**288.87**	228.64
कुल योग (क+ख)	**1709.66**	925.19

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुसूची–4 : नियत आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास							
	वर्ष के आरंभ में लागत	समा योजन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	समा योजन	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. आस्तियां :													
लकड़ी का विभाजन एवं नवीकरण	**213.48**		-		**213.48**	**117.34**		26.09			**143.43**	**70.05**	96.14
फर्नीचर और फिटिंग्स	**337.89**	0.21	2.73	4.96	**335.87**	**204.19**	0.14	45.45	0.38	4.30	**245.86**	**90.01**	133.70
मशीनरी और उपकरण	**234.11**	(0.34)	3.98	2.96	**234.79**	**116.61**	(0.14)	58.02	1.81	2.77	**173.53**	**61.26**	117.50
कंप्यूटर /बाह्य उपकरण	**180.83**	0.04	39.65	18.20	**202.32**	**143.04**	-	22.85	12.56	17.32	**161.13**	**41.19**	37.79
पुस्तकालय पुस्तकें	**4.21**	-	0.88	-	**5.09**	**2.08**	-	2.14	0.65	-	**4.87**	**0.22**	2.13
साफ्टवेयर	**21.18**				**21.18**	**18.92**	-	1.25	-	-	**20.17**	**1.01**	2.26
कुल	**991.70**	(0.09)	47.24	26.12	**1012.73**	**602.18**	-	155.80	15.40	24.39	**748.99**	**263.74**	389.52
ख. प्रगति में पूंजी संकर्म													
पूंजी डब्ल्यूआईपी–रिम्स एसआरएस	**143.68**		-	-	**143.68**	**-**				-	**-**	**143.68**	143.68
कुल	**143.68**	-	-	-	**143.68**	**-**	-	-	-	-	**-**	**143.68**	143.68
कुल योग	**1135.38**	(0.09)	47.24	26.12	**1156.41**	**602.18**	-	155.80	15.40	24.39	**748.99**	**407.42**	533.20
पूर्ववर्ती वर्ष	**1066.84**	-	107.63	39.09	**1135.38**	**496.78**	-	94.33	19.64	8.57	**602.18**	**533.20**	570.06

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–5 : चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
I चालू आस्तियां		
1.1 बैंक शेष अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खाता		
कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	**1017.47**	1079.51
बचत खाता		
कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	**0.30**	7.19
1.2 सीईआरसी निधि खाता (भारत का लोक खाता)	**18618.58**	12924.90
1.3 सावाधिक जमा (मुकदमे से प्राप्ति के लिए दंड)	**393.55**	356.15
2 ऋण और अन्य आस्तियां		
2.1 ऋण		
2.1.1 स्टाफ	**3.54**	0.62
2.1.2 अन्य	**23.41**	0.98
2.2 अग्रिम और अन्य रकमें नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
2.2.1 पूर्व संदत्त	**54.90**	23.11
2.2.2 प्रतिभूति निक्षेप	**509.76**	395.41
2.2.3 विनियामक फोरम	**17.28**	24.64
2.2.4 भारतीय विनियामक संघ	**4.90**	8.01
2.2.5 दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम मंच	**-**	4.50
2.2.6 निपटाई गई आस्तियों के लिए प्राप्य रकम	**-**	1.02
3 आय प्रोद्भूत		
3.1 ब्याज प्रोद्भूत (आटोस्वीप पर)	**43.34**	45.84
3.2 ब्याज प्रोद्भूत (दंड के लिए एफडीआर पर)	**1.72**	1.71
4 प्राप्य शुल्क	**46.47**	4.98
कुल	**20735.22**	14878.57

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–6 : विविध व्यय (बट्टे खाते में डाली गई या समायोजित की सीमा तक)	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
व्यय पर आय की अधिकता का संचित शेष	**45.70**	-
जोड़ें अधिक/कम : आय व व्यय लेखा में अंतरित व्यय पर आय (घाटा)	**(92.92)**	-
कुल	**(47.22)**	**-**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–7 : अन्य आय	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
आस्तियों के विक्रय/निपटारे पर लाभ	**1.05**	0.57
बट्टे खाते अधिक प्रावधान	**-**	2.36
घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	**0.40**	0.43
कुल	**1.45**	**3.36**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–8 : स्थापना व्यय	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
1 **वेतन एवं मजदूरी** :		
1.1 कर्मचारी वृंद/अधिकारी के वेतन	**225.31**	224.58
1.2 अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	**168.80**	137.41
1.3 भत्ते और बोनस	**319.55**	237.44
1.4 भविष्य निधि में अंशदान	**49.67**	40.43
2 **अन्य निधियों में अंशदान** :		
2.1 उपदान	**3.31**	1.79
2.2 पेंशन अंशदान	**11.06**	9.32
2.3 छुट्टी वेतन अंशदान	**10.31**	9.14
2.4 उपदान के लिए प्रावधान	**35.16**	14.17
2.5 छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**15.77**	38.67
3 **कर्मचारीवृंद कल्याण खर्चे**		
3.1 चिकित्सा और स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं	**40.92**	22.57
3.2 एक समान चार्ज	**0.12**	0.20
3.3 अन्य	**31.99**	17.85
4 **अन्य (विनिर्दिष्ट करें)** :		
4.1 ट्यूशन फीस/सीईए	**6.66**	5.39
4.2 एलटीसी	**12.49**	9.39
4.3 छुट्टी नकदीकरण	**9.86**	33.63
4.4 पारिश्रमिक व्यय (हिंदी बैठक)	**0.11**	0.17
कुल	**941.09**	802.15

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–9 : अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
1 श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	**206.68**	177.13
2 विद्युत एवं ऊर्जा	**43.83**	36.91
3 जल प्रभार	**5.22**	4.19
4 मरम्मत एवं रख रखाव		
4.1 कंप्यूटर	**2.57**	2.81
4.2 भवन	**11.25**	11.10
4.3 अन्य	**10.44**	8.58
4.4 एयरकंडीशनर	**15.28**	16.84
5 किराया दल तथा कर	**1076.05**	901.49
6 वाहन चालन एवं रखरखाव	**14.67**	6.70
7 डाक व्यय एवं टेलीफोन प्रभार	**33.40**	30.35
8 मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**19.07**	16.02
9 यात्रा एवं वाहन		
9.1 स्वदेश यात्रा व्यय	**18.80**	41.30
9.2 विदेश यात्रा व्यय	**15.46**	9.18
9.3 वाहन	**2.89**	3.02
10 बैठक/सेमिनार/कार्यशाला संबंधी खर्चे	**19.59**	23.44
11 अभिदाय खर्चे	**51.07**	41.59
12 लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	**2.42**	0.30
13 व्यवसायिक प्रभार	**364.15**	365.75
14 विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	**72.92**	52.76
15 अन्य (विनिर्दिष्ट करें) :		
15.1 पुस्तक एवं आवधिक पत्रिकाएं	**13.75**	11.41
15.2 विविध खर्चे	**0.30**	0.44
15.3 टैक्सी/कार पट्टा किराया पर लेने संबंधी प्रभार	**45.63**	41.23
15.4 बैंक प्रभार	**0.01**	0.00
15.5 सूचना प्रणाली–अनुज्ञप्ति शुल्क आदि	**17.10**	18.85
15.6 प्रशिक्षण खर्चे	**1.07**	0.34
15.7 नियत आस्तियों के निपटान पर हानि	**0.01**	6.60
15.8 बट्टे खाते समाप्त/क्षतिग्रस्त मदें	**0.60**	-
15.9 सुविधा प्रबंधन प्रभार (एफएमसी)	**22.70**	22.70
15.10 विश्वासघात के विरुद्ध बीमा एवं नकदी संचालन	**0.12**	0.13
15.11 उपभोग्य वस्तु	**0.47**	-
कुल	**2087.52**	1851.16

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची–10 : अवधि पूर्व मदें		चालू वर्ष 31.03.15	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.14
1	भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	**0.35**	
2	प्रतिभूति जमा के रूप में लेखा में दर्शायी गई पूर्ववर्ती वर्ष में प्रदत्त किराया	**(0.04)**	16.09
3	गुम आस्ति के अवक्षयण को राइट बैक करना	**0.06**	1.41
4	पूर्ववर्ती वर्ष में बची गई आस्तियों का अवक्षयण	**0.02**	
5	अनुज्ञप्ति शुल्क की वापसी		(7.50)
6	व्यवसायिक शुल्क का भुगतान		2.30
7	अधिक्य प्रावधान		(4.63)
कुल		**0.39**	7.67

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31.3.2015 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 11 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरिणी के फार्म एवं रिकार्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखों को लेखांकन सिद्धान्तों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियां

नियत आस्तियां आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अर्जन की लागत पर कथित की जाती हैं।

3. मूल्यह्रास

(i) नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में दी गई दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।

(ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास और 30 सितम्बर के पश्चात अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास 30 सितम्बर के बाद निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है और उस वर्ष के लिए आधी दर पर मूल्यह्रास 30 सितम्बर से पूर्व निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) 5000/– रूपए या उससे कम की मूल्य की नियत आस्ति को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियों का उपाकरण

साफ्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या साफ्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन संव्यवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस एवं रकम केविविआ निधि में क्रेडिट की जाती है। (भारत के पब्लिक लेखा में रखी गई) केविविआ की निधि से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रकम आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में परिगणित की जाती है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।
(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार 2009–10 तक अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है तो उसे लेखा मानक–11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते है।

9. सेवा निवृति फायदे

कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृति पर संदेह उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31.03.2015 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची – 12 आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पण

1. केविविआ निधि

(i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को शामिल किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोत्रों से प्राप्त अन्य रकम में शामिल हैं। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।

(ii) केविविआ निधि नियमावली के अनुसार भारत के लोक लेखा के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर व्यपगत और गैर ब्याज वहन खाता होगा। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 8726 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹ 7990 लाख) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से ₹ 3032 लाख की रकम (पूववर्ती वर्ष में ₹ 3170 लाख) रिलीज की जिससे 31.3.2015 को केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा) में ₹ 18,619 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹12,925 लाख) का शेष रह गया। विद्युत मंत्रालय ने भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी गई केविविआ निधि से रिलीज रकम को 'अनुदान सहायता' के रूप में माना। अध्यक्ष, केविविआ ने मामले को भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी जा रही केविविआ की निधियों से आहरण के रूप में और सोलिसिटर जे सौराब जी, भारत के पूर्व अटार्नी जनरल के अभिमत के आधार पर सेबी फंड निधियों के अनुसार केविविआ निधियों के संवितरण एवं परिचालन, रखरखाव के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा निधियों को रिलीज करने के संव्यवहार के लिए विद्युत मंत्रालय के सचिव के साथ उठाया।

वित्त मंत्रालय के परामर्श से विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया कि(दिसम्बर, 2012) मौजूदा लेखा प्रणाली के अनुसार विनियामक प्राधिकारियों को आवंटित बजट अनुदान सहायता के रूप में रिलीज किए गए हैं और केविविआ को लेखांकन क्रियाविधि के अनुसार इनका अनुपालन करना होता है और विद्युत अधिनियम 2003 में विचार की निधि प्रणाली को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके अलावा अनुदान सहायता के रूप में सीईआरसी को निधियों को रिलीज करने को विद्युत मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकती।

केविविआ ने (फरवरी 2013) विद्युत मंत्रालय को सूचित किया कि भारत के पूर्व अटार्नी जनरल के विचारों को जून और सितम्बर 2012 में निर्णय लेते समय विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया गया जिसे दिसम्बर 2012 में केविविआ को सूचित किया।

केविविआ के पूर्व सदस्य मामले को (जुलाई 2013) में अनुदान सहायता के रूप में न लेते हुए और भारत की समेकित निधियों के माध्यम से ले जाए बिना केविविआ से धन से आहरण के लिए केविविआ निधि के परिचालनीकरण के लिए लेखा क्रियाविधि को संशोधित करते हुए इस बकाया मुद्दे के समाधान के लिए सचिव (विद्युत) के साथ मामले को उठाया।

अध्यक्ष, केविविआ ने फरवरी 2014 मे दोबारा विद्युत मंत्रालय को अनुरोध किया कि इसके बजट व्यय की सीमा तक केविविआ में प्राप्त फीस को रोकने अनुमति दी जाए और भारत के लोक लेखा में केवल बकाया शेष को जमा किया जाए। इसके बाद विद्युत मंत्रालय की बैठक (मार्च 2014) में यह सहमति हुई की केविविआ इस व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए केविविआ हेतु संगत नियम/क्रियाविधि में संशोधन का सुझाव देगा। तद्नुसार केविविआ ने केविविआ निधि के परिचालनीकरण से संबंधित लेखांकन क्रियाविधि में तदनुरूपी परिवर्तन किए और केविविआ निधि नियमावली 2007 के संशोधनों को (अप्रैल 2014) प्रस्तावित किया। वित्त मंत्रालय से परामर्श करते हुए विद्युत मंत्रालय केविविआ के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ(सितम्बर, 2014)। अध्यक्ष केविविआ ने विद्युत मंत्रालय से पूर्व भारत के अटार्नी जरनल की राय को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाने के लिए विद्युत मंत्रालय से कहा। मामला विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।

(iii) चालू वर्ष के दौरान ₹ 8150 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹ 8089 लाख) की रकम की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय केविविआ निधि खाता (तुलन पत्र की अनुसूची 2) को अंतरित की गई थी और ₹ 3032 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 3170 लाख) (पूववर्ती वर्ष से आगे ले जाई गई बचत को छोड़कर) को आयोग के व्यय की पूर्ति के लिए केविविआ निधि से रिलीज किया गयी थी। इसमें से ₹ 937 लाख का अव्ययित शेष (पूववर्ती वर्ष में ₹ 998 लाख) को केविविआ निधि में वापस अंतरित किया गया है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2015 को करों को शामित करते हुए ₹ 400 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹ 180 लाख) मौजूदा निवल कर की पूंजी प्रतिबद्धता रही।

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि 14 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में 23 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

(i) मार्च 2015 के अंत में 4 लाख रुपए की लिखित मूल्य की आस्तियां (पूर्ववर्ती वर्ष 17 लाख रुपए) मार्च 2010 तक विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई सहायता अनुदान में से अर्जित की गई थी। ये अस्तियां मूल्यह्रासित हैं एवं पूंजी रिजर्व में तद्नुरूपी कटौती से प्रत्येक वर्ष आस्थगित आय के रूप में परिगणित की गई है – चालू वर्ष ₹ 13 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 7 लाख)

(ii) आस्तियों का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2014 में परामर्शदाता द्वारा किया गया। भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी/अधिकता जो महत्वपूर्ण नहीं थी उसे वार्षिक खातों में समायोजित किया गया है। जून 2015 में किया गया आस्तियों का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है।

(iii) नए कंपनी अधिनियम 2013 के आरंभ के कारण मूल्यह्रास की दर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित आस्तियों के जीवन के आधार पर संशोधित की गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को आस्तियों की रकम अनुसूची के अनुसार आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन से अवक्षयण हुआ है। इस लेखा नीति में परिवर्तन के कारण चालू वर्ष के व्यय पर आय का घाटे में 86 लाख रुपए (अनुमानित) की वृद्धि हुई है।

5. चालू देयताएं :

31 मार्च 2015 तक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंर्तगत केविविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड की राशि ₹ 1753 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1753 लाख) की थी जिसमें ₹ 1276 लाख(पूर्ववर्ती वर्ष 1276 लाख) की राशि विभिन्न विधि न्यायालयों में पार्टियों द्वारा कन्टेस्ट की गई और उनके द्वारा केविविआ में जमा नहीं करवाई गई। 477 लाख की शेष रकम (पूर्ववर्ती वर्ष 477 लाख) केविविआ में प्राप्त की गई। प्राप्त की गई रकम में से 356 लाख रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष 356 लाख) विभिन्न विधि न्यायालयों में चल रहें हैं और चालू देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। इसमें 1 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1 लाख) केविविआ के आदेश के आधार पर वापसी योग्य शामिल हैं। प्राप्त रकम लेकिन कन्टेस्ट की गई बैंक में अल्पकालिक सावधि जमा के अंतर्गत रखी गई है और केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी गई)में जमा की जाएगी या न्यायालय मामलों के परीणाम के आधार पर पार्टी को , जैसी भी स्थिति(चालू वर्ष शून्य और पूर्व वर्ष 121 लाख रुपए) में अंतरित किया गया है। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय से निर्देशों के अनुसार विवादित रकम दंड से किए गए सावधि जमा पर 'प्राप्त' ब्याज और अर्जित लेकिन 'अप्राप्त' अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत परिगणित किया गया है। इस कारण आय एवं व्यय लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

(i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान केविविआ में अलग घटनाओं में 4 लैपटाप गुम हो गए थे। 4 लेपटाप में से तीन के मामले में सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया कि सरकारी हिदायतों के अनुसार निर्धारित रकम संबंधित कर्मचारियों से वसूल की जाए और अन्य गलती करने वाले कर्मचारियों(चौथे लैपटॉप के लिए) के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में (2) उनकी मासिक वेतन से वसूली फरवरी 2014 से आंरभ से की गई और मई 2014 में पूरी की गई जबकि पूर्व कर्मचारी (1) को प्रतिदेय ग्रेच्युटी की रकम रोकी गई है। वसूली योग्य शेष रकम प्रतिदेय ग्रेच्युटी से कम हो गई है।

(iii) वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 16,91,875/– के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नगदीकरण करा दिया गया । पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। पुलिस जांच के निष्कर्षो को देखते हुए इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

7. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23) (खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

8. आय एवं व्यय लेखा :

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि से विद्युत मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई रकम के आधार पर पता लगया गया और नगद आधार पर वर्ष के दौरान प्रयोग की गई। जबकि व्यय उपचित आधार पर परिमाणित किया गया है। इसके बाद निधियों के प्रयोग से (जैसे चालू आस्तियों, ऋण और अग्रिमों में वृद्धि एवं नियत आस्तियों के भुगतान) से उपगत लेकिन अदत अधिक व्यय (जैसे केविविआ निधि से असंबद्ध बकाया देयताओं में वृद्धि और मूल्यह्रास) से आय पर अधिक व्यय और इसके विपरीत हुआ है। तद्नुसार, चालू वर्ष के दौरान 93 लाख रुपए की आय (पिछले वर्ष 127 लाख रुपए) पर व्यय अधिक रहा है। इसके बाद, व्यय पर अधिक आय का संचित शेष चालू वर्ष में नकारात्मक हो गया है और तुलनपत्र में विविध व्यय के अंतर्गत(बट्टे खाते में डालने या समायोजित होने की सीमा तक) प्रदर्शित हो गया है।

9. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेख लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उस लेखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

10. अनुसूची 1 से 12 को 31 मार्च 2015 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है।

11. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित किया गया है।

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और आस्तियां

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2014-15	गत वर्ष 2013-14	भुगतान	चालू वर्ष 2014-15	गत वर्ष 2013-14
1. आरंभिक शेष के लिए			**1. खर्चों द्वारा**		
			(क) स्थापना खर्च		
(क) हाथ में नकदी	-	0.10	(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	**168.80**	138.53
(ख) बैंक शेष			(ii) वेतन (अधिकारी और स्थापना)	**243.40**	222.40
(i) चालू खातों में			(iii) भत्ते और बोनस	**292.98**	236.44
कारपोरेशन बैंक – चालू खाता	**1079.51**	579.13	(iv) वृत्तिक और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	**308.07**	362.75
			(v) छुट्टी नकदीकरण	**9.65**	33.63
(ii) बचत खातों में			**(ख) यात्रा खर्च**		
कारपोरेशन बैंक – बचत खाता	**7.20**	421.46	(i) विदेश यात्रा	**15.46**	9.77
			(ii) घरेलू यात्रा	**17.47**	43.00
			(ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य देख रेख	**38.23**	23.02
			(घ) अन्य स्थापना खर्च		
(iii) सावधि जमा	**356.15**	-	(i) ट्यूशन फीस/सीईए	**7.57**	3.93
			(ii) एलटीसी	**13.28**	8.91
2. सीईआरसी निधि से जारी	**3032.00**	3170.00	**(ङ) भविष्य निधि में अंशदान**		
			(i) ईपीएफ/सीपीएफ में अंशदान		
3. आयोग की प्राप्ति के लिए			- सीपीएफ मैचिंग अंशदान	**3.34**	1.95
			- ईपीएफ मैचिंग	**44.31**	40.61
(i) समाचारपत्रों की बिक्री	**0.14**	0.25	- एनपीएस मैचिंग	**1.29**	1.10
(ii) आयोग द्वारा फीस प्रभाग			**(च) कर्मचारी कल्याण खर्च**	**32.86**	19.49
- फाइलिंग फीस	**594.00**	611.10	**(छ) प्रशिक्षण खर्च**	**1.14**	0.34
- अनुज्ञप्ति फीस	**2804.40**	2598.59	**(ज) पारिश्रमिक व्यय (हिंदी बैठक)**	**0.11**	0.17
- टैरिफ फीस	**4390.04**	4401.15			
- वार्षिक पंजीकरण शुल्क	**58.00**	64.00	**2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा**		
- जुर्माना	**-**	8.50			
- अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	**680.44**	1.00	**(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्च**	**204.06**	170.94
			(ख) विद्युत एवं ऊर्जा	**43.47**	36.19
(iii) विविध प्राप्तियां	**17.35**	16.52	**(ग) मरम्मत एवं रखरखाव**	**2.12**	2.26
(iv) अन्य प्राप्तियां (आरटीआई से)	**0.03**	0.09	**(घ) किराया, रेट और कर**	**1059.27**	894.15

जारी...

(₹ लाख में)

(v) ब्याज			(ड) वाहन चलन और रख रखाव		
			- टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	**46.25**	40.70
			- चालन और रख रखाव	**13.06**	7.10
- आटो स्वीप जमा पर ब्याज	**170.40**	166.87	(च) पोस्टेज, टेलीफोन और		
- बचत खातों से ब्याज	**0.96**	0.10	संसूचना प्रभार	**32.50**	29.75
- एफडीआर से ब्याज के लिए	**36.02**	-	(छ) मुद्रण और स्टेशनरी	**19.60**	15.59
			(ज) यात्रा और वाहन	**2.85**	2.86
			(झ) संगोष्ठी/बैठकों के खर्चे	**19.85**	23.74
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए			(ण) अभिदाय खर्चे	**51.19**	51.95
			(ट) अतिथि गृह खर्चे	**-**	17.79
(क) स्टॉफ से अग्रिमों की वसूली			(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस	**-**	0.51
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	**0.64**	0.84	(ड)विज्ञापन और प्रचार	**70.92**	52.76
(ii) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	**-**	0.10	(ढ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)			- एमसी ईपीबीएक्स	**1.32**	1.32
- उत्सव	**0.34**	0.30	- एएमसी फोटोकापी मशीन	**7.19**	7.05
- अन्य वसूली	**0.16**	0.18	- एएमसी एयर कंडीशनर	**8.47**	13.42
			- एएमसी रिम्स सर्वर	**0.28**	-
(ख) आकस्मिक अग्रिमों की सूची			- सुविधा प्रबंधन प्रभार (एफएमसी) कम्प्यूटर	**22.70**	17.03
(i) अन्य अग्रिम (खर्चे)	**1.39**	1.55	- बैंक प्रभार	**0.01**	0.00
			- पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	**12.37**	9.10
(ग) अन्य जमा			- अविश्वास पर बीमा एवं नकदी संचलन	**0.12**	0.13
(i) प्रतिभूति जमा	**0.30**	10.80	- प्रकीर्ण खर्चे	**0.30**	0.43
			- जल प्रभार	**5.16**	3.82
(घ) अन्य प्राप्तियां			- सूचना प्रणाली – अनुज्ञप्ति फीस	**31.84**	3.75
(i) बाइबैक पर प्राप्ति	**-**	1.07	- एयरकंडीशनर एवं रख रखाव	**4.33**	1.54
			- भवन मरम्मत एवं रख रखाव	**11.54**	7.90
5. विप्रेषण प्राप्ति के लिए			- कम्प्यूटर मरम्मत एवं रख रखाव	**2.45**	2.13
			- यूनिफार्म प्रभार	**0.12**	0.20
(क) लाइसेंस फीस	**0.81**	0.60			
			3. किए गए निक्षेप		
(i) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम (सीजीईआईएस)	**0.17**	0.16	(क) प्रतिभूति निक्षेप	**131.30**	0.36
- ईपीएफ/जीएसवएलआई वसूली	**0.23**	35.92			
- सीपीएफ मैचिंग अंशदान/ईपीएफ/जीएसएलेआई/जीपीएफ/एलपीएस	**67.58**	29.42	**4. (I)कर्मचारीवृंद को अग्रिम द्वारा**		
- डीटीई वसूली	**1.51**	0.59	(क) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम		
- एलटीसी वसूली	**0.96**	0.70	(ख) अन्य अग्रिम (खर्चे)	**2.86**	3.38
- एचबीए वसूली	**1.74**	1.36	(ii)आकस्मिक अग्रिमों द्वारा		
			(क) प्रदायकर्त्ता को अग्रिम	**54.49**	0.03

जारी...

(₹ लाख में)

- प्राप्त ग्रेच्युटी	1.15	5.49	**(III) अन्य द्वारा**		
- छुट्टी वेतन अंशदान	0.28	0.20	(क) उत्सव अग्रिम	0.45	0.30
- चिकित्सा और स्वास्थ्य देखरेख वसूली	0.01	0.54	(ख) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	0.41	1.37
- प्राप्त पोस्टेज और टेलीफोन	0.03	0.00	**(IV) समायोजन / विप्रेषण**		
- मीटिंग	1.06	0.00	(क) जीपीएफ / सीपीएफ		
- एफओआईआर / एफओआर / साफिर	41.65	18.57	ईपीएफ आदि / अग्रिम		
- प्राप्त की गई अधिक फीस	3.50	5.00	- विप्रेषित जीपीएफ वसूली	28.52	21.99
- टीडीएस वसूली	150.24	145.64	- विप्रेषित ईपीएफ वसूली	34.51	35.94
- टैक्सी वसूली	0.14	0.01	- विप्रेषित सीपीएफ वसूली	2.79	2.26
- पीएफएस वसुली	1.17	-	(ख) अनुज्ञप्ति फीस	0.81	0.60
- आस्ति के निपटान पर रकम की वसूली	0.61	0.20	(ग) आयकर (वेतन / गैर वेतन)	150.24	145.64
- राज्य प्रभार	0.30	-	(घ) सीजीईजीआईएस / सीईआईएस / जीएसएलआई	0.75	0.77
- आस्ति की बिक्री	2.20	0.95	(ड) भवन निर्माण अग्रिम	1.74	1.36
- वेतन	0.44		(च) मोटर कार / कम्प्यूटर अग्रिम	2.03	0.41
- सीजीएचएस की वसूली	-	0.05	(छ) स्कूटर / मोटर साइकिल अग्रिम	-	0.10
- अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज)	0.22	0.17	(ज) अन्य वसूलियां (एनपीएस)	1.29	1.09
- अतिथि गृह प्रभार	-	1.58			
			5. <u>अंशदानों द्वारा</u>		
			(क) पेंशन	8.41	10.92
			(ख) छुट्टी वेतन	8.57	10.69
			(ग) ग्रेच्युटी	1.94	1.32
			6. <u>नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म व्यय द्वारा</u>		
			(क) भवन	-	14.41
			(ख) उपभोग्य	0.47	-
			(ग) मशीनरी और उपकरण	2.60	0.59
			(घ) पुस्तकालय पुस्तकें	0.88	0.43
			(ड) मशीनरी और उपकरण	40.65	50.89
			(च) रिम्स	21.46	-
			7. <u>अन्य द्वारा</u>		
			(क) वापस ली गई फीस	-	3.00

जारी...

(₹ लाख में)

			8. केविविआ निधि को अंतरित निधियां (भारतीय लोक सेवा)	**8725.68**	7990.00
			9. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में		
			कारपोरेशन बैंक – चालू खाता	**1017.47**	1079.51
			(ii) बचत खातों में		
			कारपोरेशन बैंक – बचत खाता (सीएलएसबी)	**0.15**	7.20
			कारपोरेशन बैंक – बचत खाता (सीएनपीएसबी)	**0.15**	-
			(iii) सावधि जमा	**393.55**	356.15
	13505.47	12300.85		**13505.47**	12300.85

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

संगठन चार्ट

अनुबन्ध-XIII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
(31-03-2015 के अनुसार)